वार्षिक प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

इलाहाबाद

सन् १९५६--५७

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

१९५९

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२३, खण्ड (२) के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, सन् १९५६–५७ ई० का अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करते हैं।

नफीसुल हसन, अध्यक्ष
तेजस्वी प्रसाद भल्ला, सदस्य (छुट्टी पर)
राधाकृष्ण, सदस्य
सुरति नारायण मणि त्रिपाठी, सदस्य
गिरीश चन्द्र, सदस्य

इलाहाबाद :
२५ नवम्बर, १९५८ ई०।

विषय-सूची

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सन् १९५६–५७ के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन

१—आयोग के सदस्य

श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल–एल० बी०, आयोग के अध्यक्ष तथा सर्वश्री तेजस्वी–प्रसाद भल्ला, एम० ए०, एल–एल० बी० और राधाकृष्ण, एम० ए०, एल–एल० बी० उसके सदस्य वर्ष भर बने रहे। श्री पीताम्बर दत्त पाण्डे, एम० ए०, सदस्य ने १७ सितम्बर से १४ दिसम्बर, १९५६ तक दो महीने और २८ दिन के पूरे वेतन पर अवकाश ग्रहण किया और तब ६० वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वे अपने पद से हटे। उनकी जगह श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी, एम० ए०, एल–एल० बी०, आई० ए० एस०, सेवा–निवृत्त मैजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर ने २४ अक्तूबर, १९५६ को पद–भार ग्रहण किया।

(२) श्री गिरीश चन्द्र, एम० ए०, एल–एल० बी० ने पांचवें सदस्य के रूप में ३ जनवरी, १९५७ को पदभार ग्रहण किया।

२—आयोग के कर्मचारिवर्ग

श्री रामनरेश लाल, एम० ए०, एल–एल० बी०, आयोग के सचिव, श्री शिवलाल सहायक सचिव तथा श्री जहूरुल हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव के रूप में वर्ष भर बने रहे। श्री जहूरुल हसनैन, ५ जून से ४ अगस्त, १९५६ तक दो महीने की औसत वेतन पर छुट्टी पर रहे और श्री मुनीश्वरानन्द सक्सेना, एम० ए०, बी० काम०, ज्येष्ठ अधीक्षक, इस अवधि में उनके स्थानापन्न रहे।

(२) अतिरिक्त सहायक सचिव, सदस्य के एक वैयक्तिक सहायक, एक प्रवर वर्ग सहायक तथा तीन अवर वर्ग सहायक के अस्थायी पदों की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई।

(३) वर्ष में सहायक अधीक्षक के दो, सदस्य के वैयक्तिक सहायक का एक, प्रवरवर्ग सहायक के तीन तथा अवरवर्ग सहायक के दो नये अस्थायी पदों की वृद्धि की गई।

(४) चूंकि शासन ने अतिरिक्त सहायक सचिव के अस्थायी पद को स्थायी करने के गत वर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिये यह १९५७–५८ की नयी मांगों की सूची में फिर से शामिल कर दिया गया है।

(५) इस वर्ष भी ७,००० रुपया का पिण्ड राशि अनुदान (लम्प सम ग्रान्ट) कार्य की आकस्मिक वृद्धि हो जाने पर उसको आवश्यकतानुसार निबटाने के लिये, अतिरिक्त अस्थायी अराजपत्रित सचिवालय कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति करने के लिये अध्यक्ष के अधिकार में रखा गया।

३—आय तथा व्यय

इस वर्ष आयोग की आय ५,३३,२२१ रुपये हुई, जबकि गत वर्ष केवल ३,८७,५९७ रुपये की आय थी। यह वृद्धि मुख्यतः आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिये प्रार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुई।

(३) इस वर्ष कुल ६,३३,४४२ रुपया व्यय हुआ, जबकि गत वर्ष ५,४०,४८५ रुपया व्यय हुआ था। व्यय में ९२,९५७ रुपये की वृद्धि का कारण आयोग के एक और सदस्य के पद तथा अन्य अस्थायी पदों की वृद्धि तथा विज्ञापनों, डाक टिकटों एवं यात्रा भत्ता में अधिक व्यय का होना है।

४--आयोग की बैठकें

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विविध परीक्षाओं तथा चुनावों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षायें लेने तथा उनका साक्षात्कार करने के लिये आयोग ने २१० दिन अपनी बैठकें कीं। जो मामले पत्रावलियों के घुमाने से निबटाये न जा सके, उन पर विचार-विनिमय करने के लिये भी आवश्यकतानुसार आयोग ने अपनी बैठकें कीं। गर्मियों में कुछ पदों के लिये साक्षात्कार नैनीताल में किये गये। शेष सभी साक्षात्कार इलाहाबाद में ही हुये।

५--परीक्षा द्वारा भर्ती

आयोग ने इस वर्ष निम्नलिखित परीक्षायें लीं--

(१) परिवहन आयुक्त के संगठन में सहायक प्रादेशिक निरीक्षक (प्राविधिक)।

(२) अपराध अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश में शीघ्रलिपि प्रतिवेदक।

(३) कानूनगो।

(४) उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर वर्ग सहायकों के लिये सम्मिलित परीक्षा।

(५) उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रवर वर्ग सहायकों के लिये सम्मिलित परीक्षा।

(६) फारेस्ट रेंजर्स कोर्स १९५७-५९।

(७) सहायक बिक्रीकर अधिकारी तथा मनोरंजन कर निरीक्षक के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु सम्मिलित परीक्षा।

(८) अधीनस्थ राजस्व (अधिशासी) सेवा में नायब तहसीलदार तथा पेशकार।

(९) उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी), उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा एवं बिक्रीकर अधिकारी सेवाओं के लिये चुनाव करने के हेतु सम्मिलित परीक्षा।

(१०) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का हिन्दी आशुलिपिक। यह परीक्षा अंशतः १९५६-५७ तथा अंशतः १९५७-५८ में ली गई।

२--उपर्युक्त परीक्षाओं में बैठने के लिये कुल ९,२९९ अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिये, जिनमें से ८,५७९ अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति मिली और ७,१७६ अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठे। इन परीक्षाओं सम्बन्धी सम्पूर्ण आंकड़े परिशिष्ट २ की मद संख्याओं ७ से १६ के सामने दिये गये हैं।

३--इस वर्ष कुल ७२४ अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षायें ली गईं, जिनमें से ३७६ चुने गये और नियुक्त किये गये। व्यक्तित्व परीक्षायें परिशिष्ट २ की मद संख्याओं १ से ६,७,९ तथा १२ के सामने दिखलायी गयी ९ परीक्षाओं के सम्बन्ध में ली गई थीं। मद संख्यायें १ से ६ के सामने वे परीक्षायें दिखलायी गई हैं, जिनके लिये लिखित परीक्षायें गत वर्ष हुई थीं।

४--वरिष्ठ वन सेवा (सुपीरियर फारेस्ट सर्विस) (डिप्लोमा) कोर्स १९५७-६०, उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा और उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारियों की सेवा (१९५६) के लिये चुनाव की परीक्षाओं में भर्ती होने के लिये कुल ४६५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। बाद वाली परीक्षा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में न ली जा सकी, क्योंकि फरवरी १९५७ में शासन के निश्चय के अनुसार दो वर्ष की वकालत की शर्त को हटाकर पात्रता क्षेत्र को विस्तृत करके उसके विज्ञापन में संशोधन करना पड़ा और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि को बढ़ाना पड़ा। वरिष्ठ वन सेवा की परीक्षा के लिये वर्ष के अन्तिम भाग में विज्ञापन निकाला गया था।

५--१९५५ की संयुक्त राज्य सेवाओं की परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रिक्तियों के हेतु पर्याप्त संख्या में उन जातियों के अभ्यर्थी उपलब्ध हुये--

	अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रिक्तियों की संख्या	चुने गये और नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या
१--उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	४	४
२--उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	१	१
३--उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा	२	३*

निम्नलिखित सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों के चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या उन जातियों के लिये सुरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम पड़ गई, यद्यपि उनके चुनाव निम्नतर स्तर से किये गये थे :--

	अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१--आबकारी निरीक्षक	८	२
२--उत्तर प्रदेश पंचायत लेखा परीक्षा संगठन में लेखा परीक्षक	३०	२
३--उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा	१०	१†
४--उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारियों की सेवा	२	--
५--कानूनगो	९	१
६--अवर वर्ग सहायक--		
(१) उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिये	१९	१
(२) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के लिये	२	--
७--प्रवर वर्ग सहायक--		
(१) उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिये	९	२
(२) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के लिये	१	--

*नोट--उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा में अनुसूचित जातियों के लिये जो रिक्तियां सुरक्षित विज्ञापित की गई थीं, उनकी संख्या २ थी। परीक्षाफल निकल जाने के बाद शासन ने, आयोग की सलाह से, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये एक और रिक्ति सुरक्षित करने का निश्चय किया, ताकि सेवा में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाय तथा पिछली कमियों की पूर्ति हो जाय।

†नोट--ऐसे दो और अभ्यर्थियों को शासन ने "परीक्षण के लिये उपयुक्त के आधार" पर नियुक्त किया।

६--अपराध अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश में आशु प्रतिवदक के पदों के लिये जिन अभ्यर्थियों को आयोग ने संस्तुत किया था, उनके विषय में नियुक्ति की आज्ञा वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुई थी। शेष सभी मामलों में आयोग की सिफारिशें यथाविधि मान ली गई।

७--परिशिष्ट २ में दिये हुये अंकों पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होगा कि विभिन्न सेवाओं के लिये प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा चुनाव करने के हेतु निकाले गये विज्ञापन के उत्तर में सामान्य रूप से अच्छी संख्या में आवेदन-पत्र आये थे। इसका अपवाद केवल उन सेवाओं के लिये था जिनके लिये आशुलिपि के ज्ञान की अपेक्षा थी। गत प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ पर पैरा ७ में इस बात का उल्लेख किया गया था कि चूंकि अपराध अन्वेषण विभाग में आशु प्रतिवेदकों की परीक्षा के हेतु निकाले गये विज्ञापन के फलस्वरूप बहुत कम अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, इसलिये पहले जो अर्हतायें निर्धारित की गई थीं, उनको घटा दिया गया था। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विज्ञापन फिर से निकाला गया, परन्तु उसके फलस्वरूप भी आयोग को उतने उपयुक्त अभ्यर्थी न मिल सके, जितनों की आवश्यकता थी। हिन्दी आशुलिपि में १४ व्यक्तियों ने प्रतियोगितात्मक परीक्षा में भाग लिया, लेकिन किसी को 'शून्य' से अधिक अंक नहीं मिले। अंग्रेजी आशुलिपि में केवल ३ अभ्यर्थियों ने ३७ से ५४ प्रतिशत तक अंक प्राप्त किये, बाकी उम्मीदवारों को "शून्य" से अधिक अंक नहीं मिले। आयोग के अध्यक्ष के हिन्दी आशु लिपिक के पद के लिये भी बहुत ही कम अभ्यर्थी आये और केवल एक अभ्यर्थी उपयुक्त पाया गया। इन सब बातों से इस तथ्य की परिपुष्टि होती है कि हमारे राज्य में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अच्छे या कम से कम काम चलाऊ आशुलिपिकों की बहुत बड़ी कमी है।

८--गत प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ के आठवें पैरा में एक ऐसी सूची तैयार करने के बारे में उल्लेख किया गया था जिसमें प्रतिवर्ष होने वाली विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां दी गई हों। यह प्रश्न प्रतिवेदनाधीन वर्ष में शासन के विचाराधीन रहा।

६--चुनाव द्वारा भर्ती

जिन पदों के लिये आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् चुनाव किया, उन पदों की कुल संख्या २,०६७ थी, जिनके लिये कुल २०,७३८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। कुल ४,५७२ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया और उनमें से कुल २,११५ अभ्यर्थी चुने गये। इन चुनावों के बारे में विस्तृत विवरण परिशिष्ट ३ में दिया गया है। न अंकों में यथापूर्व, उन पदों से सम्बन्धित संख्यायें भी सम्मिलित हैं, जिनके लिये विज्ञापन गत वर्ष के अन्तिम भाग में निकाले गये थे या जिनके लिये किसी कारणवश उस वर्ष के भीतर चुनाव न किये जा सके थे। उनमें कुछ मामले* ऐसे भी शामिल हैं, जिनमें साक्षात्कार अंशतः प्रतिवेदनाधीन वर्ष में और अंशतः १९५७-५८ में किये गये।

२--६,०६० आवेदन-पत्र, जो परिशिष्ट ३ (अ) में दिखलाये गये १,०१४ पदों के लिये विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त हुये थे, वर्ष के अन्त तक निबटाये नहीं गये। इनके अतिरिक्त चुनाव के लिये ८० अर्थनायें (रिक्वीजीशंस) भी बाकी रहीं जिनके बारे में कोई विज्ञापन इस कारण न निकाले जा सके थे कि या तो विज्ञापित करने के लिये अर्हताओं आदि के प्रश्न पर पत्र-व्यवहार होता रहा या अर्थनायें वर्ष के अन्तिम भाग में प्राप्त हुई थीं।

३--सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारियों के कहने पर आयोग ने निम्नलिखित पदों के लिये जो विज्ञापन निकाले थे वे प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से रद्द कर दिये गये और उन पदों के लिये अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये हुये आवेदन-शुल्क उन्हें लौटा दिये गये--

*अर्थात् परिशिष्ट ३ की मद संख्यायें १७८, १९१, २१२, २३० तथा २३४।

पद का नाम	विज्ञापन को रद्द करने के कारण
१—राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी के लिये न्याय के प्राध्यापक	शासन ने महाविद्यालय को एक संस्कृत विश्वविद्यालय में परिणत करने का निश्चय किया। चूंकि प्रस्तावित विश्वविद्यालय की आवश्यकतायें भिन्न हो सकती थीं, इसलिये शासन ने विज्ञापन को रद्द कर देने का आयोग से अनुरोध किया।
२—उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत ताला विकास योजना के अधीक्षक	शासन ने ताला विकास योजना को बन्द कर दिया।
३—टी० बी० सैनेटोरियम, डाकपाथर, देहरादून के अधीक्षक	शासन ने आयोग को सूचित किया कि कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण सैनेटोरियम बन्द कर दिया गया।
४—उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत सूटकेस फिटिंग के लिये टेक्निकल प्रबन्धक	शासन ने प्रशासनिक कारणों से सूटकेस फिटिंग के निर्माण की योजना को बन्द कर दिया।
५—उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत यान्त्रिक खिलौनों के लिये वर्क्स मैनेजर	शासन ने यान्त्रिक खिलौनों को बनाने की योजना को बन्द कर दिया।
६—उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अंतर्गत कुट्टी काटने की चाकुओं की योजना (चैफ कटर नाइव्ज़ स्कीम) के लिए वर्क्स सुपरिन्टेन्डेन्ट	शासन ने कुट्टी काटने की चाकुओं की योजना को बन्द कर दिया।
७—उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अंतर्गत रिसर्च-कम-माडल वर्कशाप सेन्टर के लिये अभियन्ता	आयोग ने इस योजना के कार्यान्वियन को १९५८-५९ तक टाल देने का निश्चय किया और आयोग से विज्ञापन को रद्द कर देने का अनुरोध किया।

निम्नलिखित पदों का चुनाव करने के लिये भी वर्ष के भीतर अर्थनायें (रिक्वीज़ीशन्स) प्राप्त हुई थीं, किन्तु सके पूर्व कि कोई विज्ञापन निकाला जा सके, ये अर्थनायें वापस मंगा ली गईं—

(१) उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा, क्लास दो, की जल विद्युत् शाखा में सहायक अभियन्ताओं के २२ अस्थायी पद।

(२) ग्रामोद्योगों के अधीक्षक के ९ पद।

(३) सहायक उद्योग संचालक (कौश कृमि पालन) (सेरीकल्चर) के दो पद, तथा

(४) उप-उद्योग संचालक (कौश कृमि पालन) का एक पद।

यह बिल्कुल साफ है कि ऊपर लिखे हुये सभी मामलों में चुनाव करने के लिये आयोग से जब कहा गया, तब पक्का विचार नहीं किया गया था। किसी विज्ञापन को रद्द करना न तो शासन के लिये श्रेयस्कर है और न आयोग के लिये। इसमें समय, श्रम और धन का अपव्यय भी होता है। अतः आयोग सभी सम्बन्धित अधिकारियों पर इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि जब किसी पद को सृजित करने अथवा किसी रिक्त पद को भरने का पक्का निश्चय कर लिया जाय, तभी चुनाव करने के लिये अर्थनायें भेजी जायं।

४--देश में टेक्निकल अर्हताओं से युक्त व्यक्तियों के अभाव में आयोग यथाविधि विज्ञापित ४२७ पदों* पर नियुक्ति करने के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों को संस्तुत न कर सके। आयोग ने इन पदों के लिये अभ्यर्थियों को प्राप्त करने के कुछ सुझाव, जहां कोई है, दिये हैं, जो परिशिष्ट ३ के अभ्युक्ति-स्तम्भ में सम्बन्धित मदों के सामने दिखलाये गये हैं।

५--परिशिष्ट ३ की मद संख्याओं ५३, १३७, १६९, १७५ तथा २३४ के सामने दिखलाये गये १०८ पदों पर आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के लिये आज्ञाओं को जारी करने में काफी देरी की गई, यद्यपि नियुक्ति विभाग ज्ञाप सं० ०-५२५०/२-बी--५४-४८, दिनांक २९ दिसम्बर, १९४८ में ऐसी आज्ञाओं को जारी करने की अवधि केवल २ मास है। शेष सभी मामलों में परिशिष्ट ३ के स्तम्भ ३ में दिखलाई हुई रिक्तियों के लिये आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी यथाविधि नियुक्त किये गये।

६--१९५५-५६ की रिपोर्ट के पृष्ठ ५ पर पैरा ६ में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ३ की मद संख्याओं ४, ६०, ७८ तथा १४० के सामने दिखलाई हुई ३४ रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति आज्ञाओं की प्रतीक्षा थी। उन मदों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है :--

(१) जिस अभ्यर्थी को आयोग ने सहायक उद्योग संचालक (कोश कृमि पालन) के पद (उपर्युक्त मद संख्या ४) पर नियुक्ति के लिये संस्तुत किया था, उसको मद्रास सरकार ने, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा था, कार्य-भार से मुक्त नहीं किया। अतः आयोग ने पद का विज्ञापन फिर से निकालने का सुझाव दिया।

(२) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता (उसी की मद संख्या ६०) के पदों पर नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा अक्तूबर, १९५५ में संस्तुत २६ अभ्यर्थियों के संबंध में औपचारिक नियुक्ति आज्ञा प्रतिवेदनाधीन वर्ष भर में नहीं जारी की गई थी। यह असाधारण विलम्ब का एक मामला है, जिससे मालूम पड़ता है कि सिंचाई विभाग में आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्त करने में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, कुछ दोषपूर्ण है।

(३) आयोग ने निश्चेतक (अनास्थेटिस्ट) (उसी की मद संख्या ७८) के दो पदों में से एक पर नियुक्त करने के लिये जिस अभ्यर्थी को संस्तुत किया था, वह उच्चतर प्रारम्भिक वेतन चाहता था। अतः स मामले में पत्र-व्यवहार होता रहा।

---

*परिशिष्ट ३ की मद संख्याओं २०, २४, २५, २७, ३८ (ख), ४१, ४५, ५३, १२३ (क), १४३ (ख), १५४, १६४, १७५, १८४, १८५, १९०, १९२ (क), १९२ (ख), २०६ (ख), २१२, २१३, २१४, २१६ (ख) के सामने दिखलाये हुये ५१२ पदों के लिये केवल १७० अभ्यर्थी संस्तुत किये जा सके।

उसी परिशिष्ट में मद संख्याओं २३, ३८ (ग), ४८, ६८, ११४, ११८ (ग), ११९ (ख) और (ग), १२२ (क), १२३ (घ) से (छ), १२९, १३० (ग), १३६, १३८, १४२, १५३ (घ), १५७, १५९, १६०, १७७, १७८, १८२, २०१ (ख), २०२, २०३, २०४ (क) से (घ), २०७, २२९ (क) और (ख), २३३ (ख), २३५, २३९ (क) और (ख), २४० से २५१, २५३ से २७६ के सामने दिखलाये हुये ८६ पदों के लिये कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी संस्तुत नहीं किये जा सके।

(४) उसी की मद संख्या १४० के सामने दिखलाये हुये ६ पदों के लिये आयोग की संस्तुतियां यथाविधि मान ली गईं।

७—१९५४-५५ की रिपोर्ट के पृष्ठ ७ के पैरा ९ तथा १९५५-५६ की रिपोर्ट के पृष्ठ ७ के पैरा १३ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। शासन ने चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पालीटेक्निक मेरठ, दौराला, में रासायनिक अभियन्त्रण तथा अभियन्त्रण उपविभाग के प्रधान के पद पर नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा विज्ञापन और साक्षात्कार के पश्चात् मार्च, १९५५ में निर्वाचित एवं संस्तुत अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया और १९ मई, १९५७ तक स्थानापन्न पदधारी को नियुक्ति को चलाते रहे, यद्यपि आयोग ने बार-बार यह सलाह दी कि जिस अभ्यर्थी को उन्होंने चुना था, वह विज्ञापन में दी हुई शर्तों के अनुसार योग्यतम था, अतः उसकी नियुक्ति होनी चाहिये। अन्त में शासन ने पद को समाप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि "दौराला के आसपास रासायनिक अभियन्त्रण के अध्ययन के लिये अधिक क्षेत्र नहीं है।"

८—गत प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ पर पैरा १६ में निर्देशित १९५४-५५ के ९ मामलों में से, जिनके बारे में १९५५-५६ के अन्त तक नियुक्ति आज्ञा नहीं प्राप्त हुई थी, एक चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ, में रासायनिक अभियन्त्रण में व्याख्याता के पद के चुनाव के बारे में था। उस पद पर नियुक्ति के लिये आयोग ने जिस अभ्यर्थी को चुन कर संस्तुत किया था, वह वही था जिसको शासन उसी पालीटेक्निक के रासायनिक अभियंत्रण तथा अभियन्त्रण उपविभाग के प्रधान के पद पर आयोग के परामर्श के विरुद्ध स्थानापन्न रूप से १९ मई, १९५७ तक चलाते रहे (देखिये ऊपर पैरा ७)। तत्पश्चात् शासन ने उसको सी० एम० एस० राजकीय केमिकल टैक्नोलाजी की संस्था दौराला और राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के प्रधानाचार्य-पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया, लेकिन उसने त्यागपत्र दे दिया और उसका त्यागपत्र ३० जुलाई, १९५७ को स्वीकृत कर लिया गया। इस प्रकार उसको 'व्याख्याता' के पद पर नियुक्त करने की आयोग की संस्तुति कार्यान्वित नहीं की गई और इस मामले में भी उनकी सलाह नहीं मानी गई। शेष सभी ८ मामलों में उनकी सलाह मान ली गई।

९—गतवर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ पर पैरा ८ में वर्णित जिला सूचना अधिकारी के दस अस्थायी पदों तथा क्षेत्रीय सूचना अधिकारी के दो अस्थायी राजपत्रित पदों के लिये आयोग द्वारा चुनाव करने के प्रश्न पर निर्णय लेने में जो विलम्ब हुआ, उसकी सूचना आयोग ने शासन के मुख्य सचिव को दी। तत्पश्चात् शासन (सूचना विभाग) ने नवम्बर, १९५६ में आयोग को सूचित किया कि उन पदों के अतिरिक्त विभाग में कुछ और पद हैं, जैसे सूचना अधिकारी, समाचार अधिकारी, अनुवादक, पत्रकार आदि आदि के पद, और उन सब पदों पर अन्तरकालीन नियुक्तियां की गई हैं तथा उन सब मामलों के लिये आयोग को निर्देश करना है। वर्ष की समाप्ति के बाद आयोग को लिखा गया कि क्षेत्रीय सूचना अधिकारी के तीन अस्थायी पद और जिला सूचना अधिकारी के ५२ स्थायी पद थे, जो १ मई, १९५७ से राजपत्रित कर दिये गये थे और शासन ने उन पदों को आयोग के विचार-क्षेत्र में लाने का निश्चय किया है। उन पदों को भरने की प्रक्रिया के बारे में एक निर्देश भी प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर दे दिया गया है। आयोग ने आलेख्य विज्ञापन मांगा है और अब उसकी प्रतीक्षा है।

१०—जनवरी, १९५७ में विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने आयोग को सूचित किया कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों के लिये उन्होंने एक विज्ञापन निकाला था, जिसके उत्तर में ५,००० से कुछ अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और यद्यपि ये पद आयोग के विचार-क्षेत्र में नहीं लाये गये हैं फिर भी शासन ने निश्चय किया है कि इन चुनावों में उनका सहयोग प्राप्त किया जाय। तदनुसार उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि साक्षात्कार में बुलाने के लिए अभ्यर्थियों का चुनाव करने में परामर्श दें और चुनाव समिति की अध्यक्षता करने के लिये अपने किसी सदस्य को मनोनीत भी करें। आयोग ने वांछित सलाह दी और एक चुनाव समिति ने, जिसमें श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी, सदस्य, लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष थे तथा श्री जे० बी०

टन्डन, आई० ए० एस०, संचालक, पंचायत राज, और श्री एस० के० दीक्षित, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सदस्य थे, लखनऊ में २२ मार्च, १ अप्रैल तथा ११ व १८ अप्रैल, १९५७ को ४१५ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के बाद २०० को नियुक्ति के लिये एवं ५० को आरक्षित सूची के लिये चुना।

७--बिना विज्ञापन के भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में, चुनाव की लिखित परीक्षा की अथवा अन्य प्रकार की, सामान्य प्रक्रिया को शिथिल करके ३३४ अभ्यर्थियों (गत वर्ष के ३७ अभ्यर्थियों को शामिल करके) की नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिये आयोग से अनुरोध किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट ४ व ४-अ में दिया हुआ है। परिशिष्ट ४ में दिये हुये मामलों में से ५० अभ्यर्थी उसमें दिये हुये कारणों से नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये और २५८ अनुमोदित नहीं किये गये। जिन मामलों में आयोग ने अनुमोदन नहीं प्रदान किया, उनमें से अधिकांश में उन्होंने सुझाव दिया कि पदों के लिये विज्ञापन निकाले जायं, जब स्थानापन्न पदधारी भी अन्यों के साथ अपने अवसर का उपयोग करें। ८ अभ्यर्थियों के मामलों में आयोग ने उनका साक्षात्कार करने के बाद अपनी राय देने का निश्चय किया। परिशिष्ट ४-अ में दिये हुये १८ पद-धारियों के मामले उसमें दिखलाये गये कारणों से निबटाये न जा सके।

२--सितम्बर, १९५६ में शासन ने आयोग को एक विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि पृष्ठां-कित की, जिसमें १ मई, १९५६ से एक महिला डाक्टर को पी० एम० एस० (महिला) II में परीक्षणकाल (आन-प्रोबेशन) पर नियुक्त किया गया था। आयोग ने देखा कि उक्त महिला डाक्टर को पहले ही आयोग के परामर्श से २६ मार्च, १९५४ से एक स्थायी पद पर एक वर्ष के परीक्षण-काल पर नियुक्त किया गया था। चूंकि विज्ञप्ति से इस बात का साफ पता नहीं चलता था कि उसको १ मई, १९५६ से परीक्षण-काल पर फिर क्यों रखा गया था, इसलिये यह पूछा गया कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया। शासन ने उत्तर दिया कि उसने बम्बई में डी० जी० ओ० कोर्स पूरा करने के लिये एक वर्ष के अध्ययन-अवकाश (स्टडी लीव) के लिये आवेदन-पत्र दिया था और जो छुट्टी उसकी शेष थी वह उसको स्वीकृत की गई थी, लेकिन चूंकि १५ अप्रैल, १९५४ के बाद उसकी कोई छुट्टी शेष नहीं थी, सलिये १६ अप्रैल, १९५४ से उसकी सेवाओं को समाप्त करना पड़ा था। डी० जी० ओ० कोर्स पूरा करने के बाद उसको फिर पी० एम० एस० (महिला) II में १ मई, १९५६ से नियुक्त किया गया। शासन ने खेद प्रकट किया कि उसकी सेवाओं को समाप्त करते समय स्थिति की सूचना आयोग को नहीं दी गई थी और १ मई, १९५६ से उक्त महिला की स्थायी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिये आयोग से अनुरोध किया। आयोग ने जो अनुमोदन मांगा था, उसे दिया, किन्तु यह कहा कि जो सरकारी कर्मचारी किसी पाठचर्या (कोर्स ऑफ स्टडी) को पूरा करने के लिये छुट्टी लेते हैं, उनकी सेवाओं को समाप्त करके सिद्धांततः उनके साथ अन्याय किया जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर वे अपनी पूर्व सेवाओं के सब प्रकार के लाभों से वंचित रह जाते हैं। आयोग ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के बजाय उनको बिना वेतन के छुट्टी दी जा सकती है, जिसमें यह शर्त लगा दी जाय कि ऐसी छुट्टी से उनकी सेवा में विच्छेद नहीं होगा, परन्तु यह उनकी छुट्टी और पेंशन में नहीं गिना जायगा। इसी प्रकार का सुझाव आयोग ने कृषि विभाग के एक मामले में दिया था, जिसमें तीन कर्मचारियों द्वारा आई० ए० आर० आई० में स्नातकोत्तर कोर्स पूरा करने के लिये जाने पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। इस मामले में शासन के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

३--सरकारी और सहायता-प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा राजकीय आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों में से प्रति-उप-विद्यालय निरीक्षक के १० पदों पर विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती द्वारा, अथवा क्षेत्रीय उप-शिक्षा संचालकों के मनोनीत अभ्यर्थियों में से चुनाव करने का प्रश्न, जिसका वर्णन गत प्रतिवेदन के पृष्ठ ८ के पैरा २ में किया गया था, वर्ष भर पत्र-व्यवहारा-न्तर्गत रहा।

८--पदोन्नति द्वारा भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में पदोन्नति द्वारा चुनाव के क्षेत्र में दो परिवर्तन जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, लागू किये गये। इनमें से एक चुनाव की उस प्रक्रिया के बारे में था, जिसमें पदोन्नति के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति द्वारा चुनाव करने की पद्धति लागू की गई :--

(१) लोक सेवा आयोग का एक प्रतिनिधि अध्यक्ष के रूप में, तथा

(२) विभागाध्यक्ष, अथवा नियुक्ति प्राधिकारी अथवा शासकीय सचिव, एक सदस्य के रूप में, और

(३) शासन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मनोनीत विभाग का एक और ज्येष्ठ अधिकारी दूसरे सदस्य के रूप में। यह परिवर्तन आयोग के परामर्श से मई, १९५६ में किया गया। नई प्रक्रिया का विस्तृत विवरण 'उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी--५०-५५, दिनांक १५ मई, १९५६' में पाया जायगा, जो कार्यालय ज्ञाप संख्या ४७६०/२-बी--५०-५५, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५६ द्वारा कुछ संशोधित रूप में, सुगम निर्देश के लिये परिशिष्ट ५ (ब) में उद्धृत कर दिया गया है।

२--दूसरा परिवर्तन पदोन्नति की कसौटी के बारे में था, देखिये नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या ३९६२/२-बी--५०-५५, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५६, जिसने तद्विषयक पूर्व शासकीय आदेश संख्या ०-३०५/२-बी-१९५३, दिनांक ३० जनवरी, १९५३ का अवक्रमण कर दिया। नई कसौटी के अनुसार--

(१) अयोग्यों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता (सीनियारिटी) का सिद्धान्त अब एक ही सेवा के अन्तर्गत एक निम्न ग्रेड या पद से उच्चतर ग्रेड या पद में अथवा एक अधीनस्थ सेवा से दूसरी अधीनस्थ सेवा में पदोन्नति के मामलों में लागू होता है,

(२) पात्रता के सम्पूर्णक्षेत्र में से श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर कड़ाई के साथ चुनाव का सिद्धान्त कुछ अधीनस्थ सेवाओं से राज्य सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में तथा शुद्ध प्रवरण पदों (प्योरली सेलेक्शन पोस्ट्स) में पदोन्नति के मामलों में लागू होता है।

किन्तु 'असाधारण प्रतिभा' सम्पन्न व्यक्तियों की पदोन्नति उपर्युक्त वर्ग (१) में आने वाले मामलों में भी हो सकती है। शासन ने आयोग का परामर्श लिये बिना ही यह परिवर्तन कर दिया था, यद्यपि जब आयोग ने इस भूल की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया, तब उनसे इसको अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया था। आयोग इस नई कसौटी का प्रयोग करके इसके गुणावगुण की जांच करने के विचार से इस धारणा के साथ इससे सहमत हुए कि जो अभ्यर्थी अयोग्य ठहराकर अस्वीकृत कर दिया जायगा, वह सदैव के लिये अयोग्य नहीं समझ लिया जायगा और उसके मामले पर प्रत्येक अनुवर्ती चुनाव में विचार किया जायगा।

३--प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग ने अपने विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं या पदों में ५७७ रिक्तियों में पदोन्नति के लिये २, १७१ उपाधिकारियों के प्रकरणों पर विचार किया। उनके विस्तृत विवरण परिशिष्ट ५ में दिये गये हैं।

४--५७७ रिक्तियों में से ४६१ रिक्तियों में पदोन्नति के लिये अभ्यर्थी आयोग द्वारा संस्तुत किये गये। ६० रिक्तियों के विषय में आयोग पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों को संस्तुत न कर सके और परामर्श दिया कि उन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय। ४७ रिक्तियों के विषय में आयोग ने परामर्श दिया कि पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार एक नया चुनाव किया जाना चाहिये। एक रिक्त को पदोन्नति द्वारा भरने के प्रस्ताव को शासन ने उसके लिये चुनाव किये जाने के पूर्व

ही वापस कर लिया और २ प्रत्याशित रिक्तियां, जिनके लिए चुनाव किया जा चुका था, घटित नहीं हुईं। ६ रिक्तियों के विषय में आयोग ने कोई संस्तुति नहीं की क्योंकि कुछ अग्रेतर सूचना या चरित्रावलियां नहीं प्राप्त हुई थीं। नई प्रक्रिया के अनुसार स्थायी रिक्तियों के लिये चुनाव करते समय आयोग ने काफी बड़ी संख्या में दीर्घावधि स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों के लिये भी अभ्यर्थियों को संस्तुत किया था, जिनमें से सब परिशिष्ट ५ में नहीं दिखलाई गई हैं।

५—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में ४५१ रिक्तियों में पदोन्नति से संबंधित ४३ प्रकरणों को, जिनके विवरण परिशिष्ट ५–अ में दिये हुये हैं, प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से निपटाया नहीं जा सका यद्यपि इन प्रकरणों में से कुछ के विषय में काफी काम वर्ष के दौरान में किया जा चुका था।

६—परिशिष्ट ५ की मद संख्याओं ४, ५, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १५, २५, ४९ तथा ६० के सामने दिखलाये हुये पदों के लिये चुनाव नई प्रक्रिया के अनुसार आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में चुनाव समितियों द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किये जाने के बाद किया गया। अन्य प्रकरणों में (मद संख्याओं ५३ और ५५ को, जिनका निर्देश पैरा ९ में नीचे किया गया है, छोड़ कर) आयोग ने पात्र अभ्यर्थियों की चरित्रावलियों का ही अवलोकन करके अपना परामर्श दिया।

७—३४५ रिक्तियों के संबंध में आयोग के परामर्श यथोचित रूप से स्वीकार कर लिये गये और ११६ रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे।

८—गत प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ के पैरा ४ में निर्देशित सभी ३४ उपाधिकारियों के संबंध में भी आयोग का परामर्श, जिसके विषय में नियुक्ति आज्ञायें १९५५–५६ के अन्त तक नहीं प्राप्त हुई थीं, मान लिया गया।

९—गत प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ के पैरा ४ में निर्देशित १७ उपाधिकारियों के मामलों पर, जो आयोग के पुनर्विचार के लिये लौटा दिये गये थे, आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में २७ उपाधिकारियों का साक्षात्कार करने के बाद अपना परामर्श दिया। आयोग का परामर्श यथोचित रूप से स्वीकार किया गया।

१०—अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रूप दो में से ग्रूप एक में पदोन्नति के एक प्रकरण पर विचार करते समय आयोग ने देखा कि संबंधित कर्मचारी अपने किसी दोष के कारण नहीं, बल्कि कृषि संचालक के कार्यालय की असावधानी के कारण पहले पदोन्नत नहीं किया गया था। इसलिये उन्होंने परामर्श दिया कि ज्येष्ठता के मामले में उसकी हानि नहीं होनी चाहिये और जिस कर्मचारी की असावधानी के कारण उसके मामले पर उचित समय पर विचार नहीं किया जा सका, उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही भी की जानी चाहिये। शासन ने परामर्श मान लिया और तदनुसार आदेश जारी किया।

९—अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

५६१ अभ्यर्थियों की एक वर्ष से अधिक की अथवा एक वर्ष से अधिक होने की सम्भावना वाली अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के प्रकरणों को, जो लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों, १९५४ के विनियम ५ (क) तथा ६ (ग) के अन्तर्गत निर्देशित किये गये थे, आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाया। इनके विस्तृत विवरण परिशिष्ट ६ में दिये गये हैं।

२—उपरिनिर्देशित ५६१ अभ्यर्थियों में से ४७० अभ्यर्थियों की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति को आयोग ने अनुमोदित किया और ४३ की नहीं। परिशिष्ट ६ के अभ्युक्ति–स्तम्भ में जहां कुछ और लिखा है, उसको छोड़कर, जो अनुमोदन दिया गया था, वह अल्पावधि वाले

पदों पर अवधि की समाप्ति तक, अथवा उस समय तक की नियुक्ति के लिये था, जब तक कि पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियमित ढंग से चुने हुये अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जायं। शेष ४८ उपाधिकारियों के विषय में स्थिति इस प्रकार थी :--

(१) एक कर्मचारी के संबंध में आयोग ने पूछा कि उसका चुनाव सम्पूर्ण पात्रता-क्षेत्र में से श्रेष्ठता के आधार पर किया गया था कि नहीं और सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्रावलियों को मांगा। तब शासन ने पद को सीधी भर्त्ती द्वारा चुनाव करके भरने का निश्चय किया और आयोग उससे सहमत हो गये (मद संख्या ३)।

(२) ६ कर्मचारियों के संबंध में आयोग ने सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को परामर्श दिया कि वे दीर्घावधि वाली रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव करने के हेतु निर्देश नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी--५०-५५, दिनांक १५ मई, १९५६ में जारी किये हुये शासकीय आदेशों के अनुसार स्थायी रिक्तियों में पदोन्नति के लिये चुनाव के हेतु निदश के साथ भेजें क्योंकि स्थायी पदोन्नति के लिये निर्देश की भी जल्दी ही सम्भावना थी। (मद संख्या ४२)।

(३) ४ कर्मचारियों के संबंध में आयोग ने कहा कि दो कर्मचारियों का, जो उनसे ज्येष्ठ थे, अवक्रमण करके उनकी नियुक्ति करना न्यायोचित नहीं था। (मद संख्या ४५)।

(४) ३ कर्मचारियों का अवक्रमण, उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा, न्यायोचित नहीं समझा गया (मद संख्या से ६५ व ४५)।

(५) १३ कर्मचारियों की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये उनकी उपयुक्तता के संबंध में आयोग ने कोई राय नहीं दी, किन्तु यह परामर्श दिया कि पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा नियमित चुनाव किया जाय, जिसमें स्थानापन्न पदाधिकारी भी भाग ले सकते हैं। (मद संख्यायें ८, १०, १८, २२, २३, ८३ और ८४)।

(६) ९ कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि उनमें से एक सेवा-निवृत्त हो गया था, एक को आयोग ने संबंधित पद के लिये पहले ही सीधी भर्ती द्वारा चुन लिया था, एक की नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हुई थी, एक का मामला आयोग के विचारक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं था और ५ उपाधिकारियों के मामले प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के थे। (मद संख्यायें ४५, ६५, २४, ८२, ८३ और ८५)।

(७) २ कर्मचारियों के मामलों पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि एक के मामले में अग्रेतर सूचना तथा दूसरे में चरित्रावली मांगी गई थी। (मद संख्यायें ४५ व ७४)।

(८) शेष १० कर्मचारियों के मामले, जिन पर आयोग ने विचार किया था, अवक्रमित कर्मचारियों के थे।

३--ऊपर के पैरा २ (७) में वर्णित २ कर्मचारियों के मामलों के अतिरिक्त ६६ मामले, जिनमें परिशिष्ट ६-अ में वर्णित ६६३ अभ्यर्थी थे, उस परिशिष्ट में दिये हुये कारणों से विचाराधीन वर्ष में निपटाये न जा सके।

४--कई मामलों में यह देखा गया कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये अस्थायी पदोन्नतियों के नियमितकरण का अनुरोध करते समय यह नहीं लिखा गया था कि सम्बन्धित कर्मचारी ज्येष्ठतम थे या नहीं या उनकी पदोन्नति से किसी ज्येष्ठ कर्मचारी का अवक्रमण हुआ या नहीं, अथवा चुनाव ज्येष्ठता या श्रेष्ठता के आधार पर किया गया। इस प्रकार के सभी मामलों को निपटाने के पूर्व ऐसी सूचना मांगनी पड़ी थी क्योंकि एक वर्ष से अधिक अवधि की अस्थायी पदोन्नति के मामलों में भी आयोग को यह देखना पड़ता है कि बिना पर्याप्त औचित्य

के किसी ज्येष्ठ कर्मचारी का अवक्रमण तो नहीं हुआ है और चुनाव तत्समय प्रवृत्त कसौटी के अनुसार किया गया है या नहीं।

५--वर्ष में अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के लिये जिन अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया गया था, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी, जिसका कारण कुछ हद तक यह है कि आयोग ने मई, १९५६ में निर्धारित नवीन प्रक्रिया [जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट ५(ब) में दिया गया है] के अनुसार स्थायी रिक्तियों में पदोन्नति के लिये चुनाव करते समय अस्थायी तथा स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या को अनुमोदित कर दिया था।

६--एक मामले में (परिशिष्ट ६ की मद संख्या १५) पशु पालन आयुक्त ने स्वयं एक विज्ञापन निकाल दिया था और एक विभागीय चुनाव समिति से सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करवा लिया था। उनसे कहा गया कि पद आयोग के विचार-क्षेत्र में था, इसलिये उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। किन्तु आयोग ने नियमित चुनाव होने तक अभ्यर्थियों की निरन्तर नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया और नियमित चुनाव करने के लिये पद का विज्ञापन फिर से निकाला।

७--एक मामले में (परिशिष्ट ६ की मद संख्या ६२) आयोग ने कृषि अधिकारी/सहायक उपनिवेशन अधिकारी, सरकारी राज्य प्रक्षेत्र, तराई, जिला नैनीताल के पद पर एक अभ्यर्थी की नियुक्ति का अनुमोदन केवल ३१ मार्च, १९५७ तक के लिये किया और सुझाव दिया कि पहले पद के लिये चुनाव करने के सामान्य सिद्धान्त तथा ढंग का निश्चय आयोग के परामर्श से कर लिया जाय ताकि उसके लिये चुनाव विलम्बतम् मार्च, १९५७ के अन्त तक किया जा सके। किन्तु जिस निर्देश के लिये सुझाव दिया गया था वह वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था।

८--आयोग ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के वैयक्तिक सहायक (मद संख्या ७१) के पद पर एक व्यक्ति की अग्रेतर निरन्तर नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जिस अन्तरकालीन (स्टाप गैप) प्रबन्ध को पहले अनुमोदित किया था, उसको सरकार दो वर्ष से अधिक समय तक चलाती रही और नियमित चुनाव किस ढंग से किया जाय, इसके विषय में कोई निर्णय नहीं किया था।

९--एक विभागीय चुनाव समिति ने बिक्री-कर अधिकारी के पदों पर दीर्घावधि की रिक्तियों में अस्थायी पदोन्नति के लिये १३ सहायक बिक्री-कर अधिकारियों को संस्तुत किया था। जून, १९५४ में इस संस्तुति पर आयोग का परामर्श मांगा गया था। सभी संस्तुत तथा अवक्रमित अभ्यर्थियों की चरित्रावलियों का, जिनकी संख्या कुल ६५ थी, अवलोकन करने के बाद आयोग ने जून, १९५५ में एक उपाधिकारी को पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं समझा और इसलिये उसको हटा देने की सलाह दी और समिति की शेष संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया। शासन ने उन सिफारिशों को नहीं माना और सितम्बर, १९५६ में आयोग से अनुरोध किया कि वे इस बात से सहमत हो जायं कि स्थिति पूर्ववत् बनी रहे। दिसम्बर, १९५६ में आयोग ने उत्तर दिया कि सिविल लिस्ट से उन्हें पता चला है कि उपरिनिर्देशित एक कर्मचारी को लेकर ग्यारह कर्मचारी ऐसे थे, जिनकी निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति आयोग के परामर्श के बिना की गई थी और उनको यह अनियमित मालूम पड़ती थी। उन्होंने परामर्श दिया कि न केवल उनकी जून, १९५५ की सिफारिशों को ही कार्यान्वित किया जाय, बल्कि शेष कर्मचारियों के मामलों को भी नियमितकरण के लिये उनके पास भेजा जाय। किन्तु शासन ने वर्ष की समाप्ति तक आयोग की संस्तुतियों को कार्यरूप में परिणित नहीं किया और दिसम्बर, १९५७ में उन्होंने फिर आयोग से अनुरोध किया कि वे इस बात की अनुमति दें कि तब तक यथास्थिति बनी रहे, जब तक कि नियमित चुनाव द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जायं। निर्देश आने पर यह पता चला कि न केवल वह अभ्यर्थी, जिसके विषय में आयोग विभागीय चुनाव समिति की संस्तुतियों से असहमत हुये थे, नहीं हटाया गया था, बल्कि कुछ ऐसे कर्मचारी पदोन्नत नहीं किये

गये थ, जिनकी स्थानापन्न पदोन्नति को आयोग ने समिति की संस्तुतियों से सहमत होते हुये अनुमोदित किया था। आयोग ने इस बात पर अपना असन्तोष प्रकट किया कि जो परामर्श उन्होंने १९५५ में दिया था, उसे किसी प्रकार भी नहीं माना गया।

१०--उन कर्मचारियों की कुल संख्या ५९४ थी, जिनकी नियुक्ति आज्ञाओं को नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या २४८६/२-बी--१६४-५५, दिनांक ११ अगस्त, १९५५ में जारी किये गये शासकीय आदेश के अनुसार आयोग के पास वर्ष के अन्तर्गत भेजा गया था। कई नियुक्ति आज्ञाओं के विषय में, जिनके बारे में एक वर्ष के अन्तर्गत और कुछ नहीं सुना गया, अनुस्मारक भजे गये और स्थिति के विषय में पूछताछ की गई।

१०--उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में या पदों पर विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तर-क्षेत्रीय खण्डों के भूतपूर्व कर्मचारियों का विलीनीकरण।

इस वर्ष आयोग ने विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खण्डों के १० कर्मचारियों के उत्तर प्रदेश की विभिन्न सेवाओं या पदों पर विलीनीकरण के मामलों पर विचार किया। उनका विवरण निम्नलिखित सारिणी में दिया जाता है :--

क्रम-संख्या	विलीनीकृत राज्य अथवा अन्तरक्षेत्रीय खंड का नाम	सेवा या पद, जिसके लिये विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	टेहरी-गढ़वाल	ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में सहायक अध्यापक (हिन्दी)	१	१ अगस्त, १९५६ को साक्षात्कार के बाद अनुमोदित।
२	तदेव	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित)	१	१७ सितम्बर, १९५६ को अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के बाद आयोग ने उनको अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज-पत्रित) में विलीनीकरण के लिये अनुपयुक्त समझा और परामर्श दिया कि देव सुमन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चम्बा, टेहरी (गढ़वाल) के प्रान्तीयकरण के समय जो वेतन उन्हें मिलता था, उसी प्रारम्भिक वेतन पर ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में अधीनस्थ शिक्षा सेवा में १२०--३०० रुपय के वेतन-क्रम में उन्हें विलीन किया जाय।
३	रामपुर	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन	१	अनुमोदित, क्योंकि आयोग ने पहले जब उनके मामले पर विचार किया था, तब से उन्होंने तीन सन्तोषजनक प्रविष्टियां प्राप्त कर ली थीं।

क्रम-संख्या	विलीनीकृत राज्य अथवा अन्तरक्षत्रीय खंड का नाम	सेवा या पद, जिसके लिये विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
४	चरखारी	पी० एम० एस० प्रथम	१	२ अगस्त, १९५६ को साक्षात्कार के बाद अनुमोदित।
५	बनारस	चकबन्दी अधिकारी	४	१ अगस्त, १९५६ को साक्षात्कार के बाद अनुमोदित।
६	रामपुर	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा	१	आयोग ने उपाधिकारी को विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में विलीनीकरण के लिये उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने परामर्श दिया कि उनको ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट ग्रेड में ७५–२०० रुपये के वेतन-क्रम में विलीन किया जाय।
७	बनारस	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित)	१	यह प्रकरण आयोग के पुनर्विचारार्थ भेजा गया था। आयोग अपने इस पूर्व मत पर दृढ़ रहे कि क्योंकि उपाधिकारी पहले ही ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में विलीन किया जा चुका था, उसका विलीनीकरण फिर किसी अन्य ग्रेड में नहीं हो सकता। पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उसकी नियुक्ति किसी उच्चतर ग्रेड में नहीं की जा सकती।
		योग ...	१०	

२—चरखारी राज्य के एक ओवरसियर का मामला, जो वर्ष के दरम्यान आयोग के पास भेजा गया था, वर्ष की समाप्ति तक निपटाया न जा सका, क्योंकि कुछ पत्रों की कमी थी और उन्हें मंगवाना पड़ा था।

११—स्थानान्तरण द्वारा भर्ती

वर्ष में स्थानान्तरण द्वारा चुनाव के निम्नलिखित तीन मामलों में आयोग से परामर्श लिया गया :

(१) एक अधिकारी का उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन–क्रम में सेक्शन 'सी' से सेक्शन 'बी' में स्थानान्तरण।

(२) एक अधिकारी का चिकित्सा विभाग से गृह विभाग (कारागार) में स्थानान्तरण।

(३) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के एक आशुलिपिक का सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर स्थानान्तरण।

आयोग ने प्रथम दो मामलों में प्रस्तावित स्थानान्तरणों को अनुमोदित किया, किन्तु तीसरे मामले में उन्होंने परामर्श दिया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिवालय में आशुलिपिक के पद को प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परीक्षा–फल पर भरा जाय।

१२—पुष्टिकरण

इस वर्ष आयोग को शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा जारी किये गये ज्ञाप संख्या २९४९/२-बी—१००–५३, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ के अनुसार पुष्टिकरण के लिये १६३ कर्मचारियों (जिसमें गत वर्ष के भी कुछ शामिल हैं) की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिये उनके मामलों पर विचार करना पड़ा। इनका विवरण परिशिष्ट ७ में दिया गया है।

२—(परिशिष्ट ७ में मद संख्याओं ३८ से ५१, ५३ तथा ५४ के सामने दिखलाये गये) ५८ कर्मचारियों के बारे में १६ मामले वर्ष के अन्त तक निबटाये न जा सके थे, क्योंकि या तो वे वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुये थे या कुछ सूचना मांगनी पड़ी थी। मद संख्या ११ में निर्देशित अधिकारियों में से एक का मामला भी उसकी अद्यावधिक चरित्रावली के अभाव में वर्ष में निबटाया नहीं गया। शेष १०४ कर्मचारियों के मामलों को आयोग ने वर्ष में निबटाया।

३—१०४ कर्मचारियों में से, ३१ पुष्टिकरण के लिये तथा ५ परीक्षण–काल पर स्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गय। आयोग ने ७ कर्मचारियों को पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित नहीं किया, १४ की सेवाओं को समाप्त करन के लिये तथा १ अधिकारी को २ वर्ष तक के अग्रेतर परीक्षण के लिये संस्तुत किया। शेष ४६ के मामलों का विवरण नीचे पैरा ४ से १० में दिया गया है।

४—दो अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित नहीं किये जा सके थे, क्योंकि चकबन्दी अधिकारी के वे पद, जिन पर उनको स्थायी रूप से नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था, अस्थायी थे।

५—(मद संख्याओं २० से २३ के सामने दिखलाये गये) १० कर्मचारियों के विषय में आयोग ने कहा कि अस्थायी पदों (जो बाद में स्थायी कर दिये गये थे) पर नियुक्तियां आयोग द्वारा नियमित चुनाव के फलस्वरूप नहीं की गई थीं। अतः वे स्थायी पदों के लिये उनके अस्थायी पदधारियों में से चुनाव करने के हेतु सहमत नहीं हुये और सुझाव दिया कि सब से पहले पद पर चुनाव करने का ढंग आयोग के परामर्श से तय कर लेना चाहिये। वर्ष की समाप्ति के समय चुनाव के ढंग के विषय में लिखा–पढ़ी हो रही थी।

६—मद संख्या ३२ में वर्णित ४ लेखा अधिकारियों में से एक के मामले पर, स्थायी रिक्ति के अभाव के कारण, विचार नहीं किया गया।

७—एक कर्मचारी (मद संख्या ३३), जिसको शासन ने मार्च, १९५७ में पुष्टिकृत करने का प्रस्ताव किया था, अप्रैल, १९५७ में मर गया। अतः आयोग ने उस पद के लिये एक आलेख्य विज्ञापन मांगा।

८--तीन कर्मचारियों (मद संख्या ५२) के विषय में आयोग ने परामर्श दिया कि पदों के अस्थायी पदधारियों को स्थायी करने के प्रश्न को उठाने के पूर्व उनके परामर्श से उन पदों के लिये वांछित अर्हताओं को निश्चित करना आवश्यक है।

९--एक मामले (मद संख्या ३४) में आयोग ने परामर्श दिया कि स्थायी पद का विज्ञापन निकाला जाय। किन्तु शासन सहमत नहीं हुये, क्योंकि (१) ऐसे पदों के लिये अभ्यर्थियों का अभाव था और (२) जिन दो प्रविष्टियों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी पुष्टिकरण का अधिकारी नहीं समझा गया था, वे गम्भीर नहीं समझी गई थीं और उसको सूचित नहीं की गई थीं। शासन ने आयोग से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। पुनर्विचार के पश्चात् भी आयोग अपने पूर्वमत पर दृढ़ रहे कि स्थायी पद का विज्ञापन निकाला जाना चाहिये, क्योंकि स्थायी पद के लिये अस्थायी पद की अपेक्षा योग्यतर अभ्यर्थी आकर्षित होते हैं। किन्तु शासन सहमत न हुये और अस्थायी पद के पदधारी को स्थायी पद पर पुष्टित कर दिया।

१०--(परिशिष्ट की मद संख्याओं २४, २५, २७, २९ तथा ३० में शामिल) २८ कर्मचारियों के मामले आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर से निर्देशित किये गये थे। पुनर्विचार के बाद और जब पिछली बार सम्बन्धित कर्मचारियों पर विचार किया गया था तब से जो प्रविष्टियां उन्हें मिली थीं, उन पर विचार करते हुये, आयोग एक कर्मचारी के पुष्टिकरण से और १९ कर्मचारियों के अग्रेतर परीक्षण (ट्रायल) से सहमत हुये। ५ कर्मचारी प्रतिधारण (रिटेन्शन) के लिये भी अनुपयुक्त समझे गये और शासन को परामर्श दिया गया कि उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायं। शेष तीन कर्मचारियों के विषय में आयोग इस मत पर दृढ़ रहे कि उनके द्वारा धारित पदों को या तो प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परीक्षाफल के अनुसार या विज्ञापन, साक्षात्कार इत्यादि के बाद भरा जाना चाहिये।

११--आयोग ने १९४८ में एक अधिकारी को कंसीलियेशन अफसर के एक अस्थायी पद पर नियुक्ति के लिये चुना था। १९५३ में आयोग से अनुरोध किया गया कि वे २९ मार्च, १९५२ में स्थायीकृत एक पद पर उस अधिकारी के पुष्टिकरण के लिये उसकी उपयुक्ता के बारे में अपना परामर्श दें। जुलाई १९५३ में आयोग ने परामर्श दिया कि सम्बन्धित अधिकारी की प्रगति धीमी और सबाध (हाल्टिंग) रही और उसका पुष्टिकरण तब तक न होना चाहिये जब तक कि वह और अच्छी प्रविष्टियां न प्राप्त कर ले। अक्तूबर १९५३ में शासन ने आदेश दिया कि उसे २९ मार्च १९५२ से परीक्षण-काल पर रख दिया जाय और उसके काम की देखरेख की जाय, जिसकी रिपोर्ट उनके पास भेजी जाय। दिसम्बर १९५४ में शासन ने उसके परीक्षण-काल की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि कर दी, क्योंकि उसका काम असन्तोषजनक था। जुलाई, १९५५ में शासन ने २९ मार्च १९५५ से उसको पुष्टिकृत करने का प्रस्ताव इस आधार पर किया कि अधिकारी के बारे में यह रिपोर्ट मिली थी कि परीक्षणकाल की विस्तारित अवधि में उसने अपने कार्य में पर्याप्त उन्नति दिखलाई थी। सितम्बर १९५५ में आयोग ने परामर्श दिया कि जब से उसकी नियुक्ति हुई तभी से उसको प्रतिकूल प्रविष्टियां मिलती रहीं, जिसके कारण उसका पुष्टिकरण उचित नहीं था। अतः उन्होंने परामर्श दिया कि स्थायी पद का विज्ञापन निकाला जाय और उसके लिये नियमित चुनाव किया जाय, जिसमें सम्बन्धित पदाधिकारी चाहे तो और लोगों के साथ चुनाव में भाग ले सकता है। जनवरी १९५६ में शासन ने अपने पूर्व मत की पुष्टि की कि अपने सम्पूर्ण सेवा-अभिलेखों के आधार पर वह पुष्टिकरण के लिये उपयुक्त था। आयोग ने इस विषय पर पुनर्विचार किया, लेकिन वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपनी चरित्रावली की प्रविष्टियों के आधार पर वह पुष्टिकरण के लिये उपयक्त नहीं था और वे अपने पूर्व अभिव्यक्त मत पर दृढ़ रहे कि पद को स्थायी बताते हुये विज्ञापन निकाला जाय और उसके लिये नियमित चुनाव किया जाय, जिसमें सम्बन्धित कर्मचारी चाहे तो और लोगों के साथ चुनाव में भाग ले सकता है। पर शासन सहमत न हुये और उन्होंने नवम्बर १९५६ में उसको राज्य श्रम सेवा, क्लास दो, में कंसीलियेशन अफसर के पद पर २९ मार्च, १९५५ से पुष्टित कर दिया।

१३—अपील तथा आनुशासिक कार्यवाही के मामले

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग से परामर्श के लिये ३३ अपील या प्रतिनिवेदन और १२ मौलिक आनुशासिक कार्यवाही के मामलों का निर्देश उनको किया गया। इनमें से १८ मामले निबटाये न जा सके, क्योंकि या तो वे वर्ष की अन्तिम अवस्था में प्राप्त हुये थे या आयोग को शासन से कुछ कागज-पत्र अथवा सूचना मांगनी पड़ी थी। आयोग ने शेष सभी २७ मामलों में अपना परामर्श दिया। २४ मामलों में शासन ने आयोग का परामर्श मान लिया और शेष ३ मामलों में वर्ष के अन्त तक शासनादेश प्राप्त नहीं हुये थे।

२—१९५५-५६ के सभी २० मामले, जिनमें निर्णय न हो सका था, आयोग द्वारा इस वर्ष निबटाये गये। १९ मामलों में आयोग का परामर्श मान लिया गया और १ मामले में वर्ष के अन्त तक शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ था।

३—१९५५-५६ के ५ मामले ऐसे थे, जिनमें शासनादेशों की प्रतीक्षा थी। उनमें से चार मामलों में आयोग का परामर्श मान लिया गया और १ मामले में नहीं माना गया, जिसका उल्लेख नीचे पैरा ५ में किया गया है।

४—१९५४-५५ के एक मामले में, जिसमें शासनादेशों की प्रतीक्षा थी (देखिये १९५५-५६ की रिपोर्ट के पृष्ठ १७ का पैरा ३), आयोग का परामर्श मान लिया गया।

५—पशुपालन विभाग के एक कर्मचारी के मामले में, जो भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कैटिल-कम-डेयरी फार्म, करनाल के अधीक्षक के पद पर प्रतिनिधायन पर रहते हुये दुग्ध-चूर्ण के क्रय-व्यवहार के संबंध में घोर कुप्रबन्ध का दोषी ठहराया गया था, आयोग ने देखा कि यद्यपि जांच अधिकारी ने सम्बन्धित कर्मचारी को बेईमान नहीं पाया था, फिर भी यह स्पष्ट था कि उसने घोरतम असावधानी की थी जिसके फलस्वरूप राज्य-निधि को हानि उठानी पड़ी। आयोग ने परामर्श दिया कि या तो कर्मचारी से यह पूछा जाय कि वह कारण बताये कि उसके कारण जो हानि हुई उसकी पूर्ति उससे क्यों न कराई जाय या विकल्प में एक वर्ष के लिये उसकी वेतन-वृद्धि रोक ली जाय, जो उसके भावी वेतन-वृद्धियों को स्थगित करने के लिये प्रभावी हो। शासन ने मामला पर पुनर्विचार करने के लिये उसे आयोग के पास फिर से भेजा, क्योंकि भारत सरकार ने केवल ६ मास के लिये वेतन-वृद्धि को रोकने का प्रस्ताव किया था और उत्तर प्रदेश सरकार यह वांछनीय नहीं समझती थी कि दण्ड में वृद्धि की जाय, क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी में बेईमानी की कोई भावना नहीं पाई गई थी। आयोग ने मामला पर पुनर्विचार किया और यह संकेत किया कि यदि बेईमानी सिद्ध हो गई होती तो पदच्युति का दण्ड दिया जाता, न कि केवल धनराशि के प्रत्यादान और/या एक वर्ष के लिये वेतन-वृद्धि को बन्द करने का और यह कि आयोग द्वारा संस्तुत दण्ड केवल उस घोरतम असावधानी के लिये था, जिसके कारण शासन को १,००० रुपये से अधिक की हानि उठानी पड़ी। अतः आयोग अपने पूर्व मत पर दृढ़ रहे। पर शासन ने भारत सरकार द्वारा संस्तुत कम दण्ड दिया।

१४—असाधारण पेंशन तथा उपदान

इस वर्ष असाधारण पेंशन तथा/अथवा उपदान की मांग के १७ मामले, जिनका वर्णन परिशिष्ट ८ में किया गया है, आयोग के परामर्श के लिये निर्देशित किये गये थे। इनमें से १५ पुलिस विभाग के और एक-एक वन विभाग तथा शिक्षा विभाग के थे। आयोग ने इनमें से १६ मामलों में तथा १९५५-५६ के शेष ५ मामलों में भी अपना परामर्श दिया। आयोग का परामर्श २० मामलों में मान लिया गया और एक में नहीं। एक मामला जो ३० मार्च, १९५७ को प्राप्त हुआ था, निबटाया नहीं गया।

२—१९५५-५६ के एक मामला में शासनादेश उस वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुआ था। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में यह मामला आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर से निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् आयोग ने कुछ सूचना मांगी जो वर्ष के अन्दर नहीं प्राप्त हुई थी।

३--१९५४-५५ का एक मामला था जो १९५५-५६ में आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर से निर्देशित किया गया था, प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निबटाया गया और आयोग का परामर्श मान लिया गया।

४--१९५३-५४ के दो मामलों में शासनादेशों की प्रतीक्षा थी। उनमें से एक मामले में आयोग का परामर्श मान लिया गया और दूसरे मामले में आयोग ने पुनर्विचार के पश्चात् शासन के विचारों को मान लिया।

१५--वैध व्ययों के प्रत्यर्पण के लिये दावे

इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी रक्षा के हेतु किये गये वैध व्ययों के प्रत्यर्पण के पांच मामले आयोग के परामर्श के लिये उनको निर्देशित किये गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट ९ में दिया गया है। आयोग ने इनमें से ३ मामलों में तथा १९५५-५६ के शेष दो मामलों में भी अपना परामर्श दिया। उनका परामर्श पांचों मामलों में मान लिया गया। एक मामले में, जिसको भूमि व्यवस्था आयुक्त ने आयोग को निर्देशित किया था, यह देखा गया कि उसमें अन्तिम आज्ञा शासकीय आदेशों की पुस्तिका के परिशिष्ट ७ के पैरा ७ के अनुसार शासन को देनी थी। इसलिये कागज-पत्र भूमि व्यवस्था आयुक्त को शासन को प्रस्तुत करने के लिये लौटा दिये गये। दूसरा विषय जो वर्ष के अन्त में प्राप्त हुआ था नहीं निबटाया गया।

१६--सेवाओं तथा पदों के लिये नियम

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में ४८ ऐसे मामले थे जिनका सम्बन्ध विविध सेवाओं तथा पदों पर भर्ती संबंधी नियमों तथा/अथवा नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में था। आयोग ने इनका परीक्षण करके अपनी आलोचनायें कीं या प्रस्तावित संशोधनों पर सलाह दी अथवा स्वयं संशोधनों के लिये सुझाव दिये। इन सब मामलों का वर्णन परिशिष्ट १० में दिया गया है।

२--निम्नलिखित नियमावलियां या नियमों के संशोधन, जिनके आलेख्यों पर आयोग पहले अपनी आलोचनायें भेज चुके थे, प्रतिवेदनाधीन वर्ष में अन्तिम रूप से बने :

(१) उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो, नियमावली के नियम १६ के खंड १ का संशोधन (१० वर्ष की निर्धारित सेवा की शर्त को, सेवा में पदोन्नति के लिये, शिथिल करने के लिये आयोग के परामर्श से एक उपबन्ध की व्यवस्था करने के संबंध में†)।

(२) सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली*।

(३) सिंचाई विभाग में ओवरसियर**।

(४) उत्तर प्रदेश लेखा सेवा नियमावली, १९४२ के नियम २२ का संशोधन (सेवा के वेतनक्रम में पंचवर्षीय दक्षता-रोक लागू करने के संबंध में)=।

(५) उत्तर प्रदेश आर्थिक बोध सेवा नियमावली+।

---

† देखिये विज्ञप्ति संख्या १८११/१२-बी--४१०-५४, दिनांक १० मई, १९५६।
*देखिये विज्ञप्ति संख्या २३६७/२-बी--११८-५४, दिनांक २१ जुलाई, १९५६।
**देखिये विज्ञप्ति संख्या २८९१/२३-ए--२९६-बी-४९, दिनांक ८ नवम्बर, १९५६।
=देखिये विज्ञप्ति संख्या एस-४६७०/१०--२-४९, दिनांक २७ नवम्बर, १९५६।
+देखिये विज्ञप्ति संख्या २४३२/२८-जी--९०-४३, दिनांक १० जनवरी, १९५७।

यह नोट करना आवश्यक है कि मद संख्या (५) में वर्णित नियमावली के आलेख्य पर आयोग की आलोचनायें मार्च १९४९ में ही शासन को भेजी जा चुकी थीं।

३--सितम्बर, १९५४ में सहायक निर्वाचन अधिकारी की सेवा नियमावली (अब सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सेवा नियमावली के नाम से विख्यात) का एक आलेख्य आयोग के आलोचनार्थ उनको भेजा गया था। आयोग ने आलेख्य का परीक्षण किया और उस पर अपनी आलोचनाएं शासन को जनवरी १९५५ में भेज दीं। शासन ने जनवरी १९५६ में नियमावली को अंतिम रूप दे दिया, ४ फरवरी, १९५६ के राजपत्र में उसको विज्ञापित किया और सदा की भांति उसकी एक प्रतिलिपि आयोग के सूचनार्थ उनको भेजी। आयोग ने देखा कि शासन ने नियमावली को अन्तिम रूप देते समय उसमें अनेक परिवर्तन कर दिये थे। कुछ परिवर्तन तो छोटे और अहानिकर थे, पर कुछ अन्य, जैसे पद के लिये चुनाव करने के हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं सम्बन्धी नियम, महत्वपूर्ण थे। आयोग ने संकेत किया कि बाद वाले परिवर्तनों को, बिना आयोग से अग्रेतर परामर्श किये, न करना चाहिये था और यह पूछा कि किन परिस्थितियों में वे परिवर्तन बिना उनसे परामर्श किये कर दिये गये थे। शासन ने उत्तर दिया कि आयोग का परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, क्योंकि परिवर्तनों से अभ्यर्थियों के विस्तृत क्षेत्र में से उचित चुनाव करने में आयोग तथा शासन के विवेक-क्षेत्र में वृद्धि, न कि कमी, हुई थी और उनके कारण आयोग के परामर्श से निश्चित सिद्धान्त से कहीं विचलित नहीं होना पड़ा था। दोनों परिवर्तन ये थे :--

(१) नियम ६ में शासन ने ४५ वर्ष के स्थान पर ४८ वर्ष की अधिकतम आयु-सीमा को रख दिया था, और

(२) नियम ७ में शासन ने 'दि डिग्री आफ बैचलर आफ लाज़' को एक अधिमान्य अर्हता के रूप में रख दिया था, जब कि आयोग द्वारा स्वीकृत आलेख्य में इसे अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया था।

आयोग ने उत्तर दिया कि शासन द्वारा किये गये परिवर्तन महत्वपूर्ण ही नहीं थे, बल्कि उनमें चुनाव के महत्वपूर्ण सिद्धान्त भी निहित थे और शासन का यह विचार कि आयोग द्वारा पूर्व स्वीकृत दोनों नियमों में निहित सिद्धान्तों से वे किसी प्रकार विचलित नहीं हुये थे, ठीक नहीं था। "चुनाव में आयु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसमें कुछ कार्य सम्पादन के लिये वांछित मानसिक एवं शारीरिक शक्ति का प्रश्न निहित रहता है।" और यह विचार कि आयु किसी कार्य विशेष के लिये शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का नियामक और सुनिश्चायक होता है, अलग कर दिया जाय, तो भी पात्रता-क्षेत्र का विस्तार करने में ही सिद्धान्त का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार, शैक्षिक अर्हता का निश्चय करने में भी निर्वाचन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त निहित है। जब किसी पद के लिये विधि का ज्ञान आवश्यक होता है, तो उस पद के लिये चुनाव करने के हेतु 'ला डिग्री' का होना आवश्यक समझा जाता है और उस पर बल दिया जाता है। इसमें और 'ला डिग्री' को अधिमान्य अर्हता मात्र कर देने में बिलकुल अन्तर है। बहरहाल आयोग शासन के इस विचार से कि उन परिवर्तनों को करने के पूर्व उनका परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, सहमत न हो सके।

४--२१ जनवरी १९५७ को शासन ने विज्ञप्ति संख्या ४८०२/२-बी--११८-५४ जारी किया, जिसमें निम्नलिखित सामान्य नियम था :--

"कोई व्यक्ति जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां होंगी, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र न होगा।

परन्तु यदि राज्यपाल को यह सन्तोष हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्ति प्रदान कर सकता है।"

उपर्युक्त नियम के प्रवर्तन से अपनी सहमति प्रकट करते हुये, आयोग ने यह परामर्श दिया था कि राज्यपाल को आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत सेवाओं और पदों पर चुनाव करने के लिये उस नियम के उपबन्ध से मुक्ति आयोग के परामर्श से देनी चाहिये और यह सुझाव दिया था कि इस बात को स्पष्ट करने के लिये उपबन्ध में समुचित संशोधन कर देना चाहिये। ऐसे मामलों में भारत सरकार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं करती। उनकी इस प्रथा का अनुसरण करते हुये शासन ने आयोग के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने बतलाया कि भारत सरकार ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं करती, इस तथ्य में अधिकार का बल होगा, न कि विधि का। आयोग के विचार से सामान्य नियम से मुक्ति प्रदान करने के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२१ (३) (ख) के अन्तर्गत आयोग से परामर्श करना अनिवार्य था।

१७--कृत्यों का परिसीमन सम्बन्धी विनियम

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निम्नलिखित पद आयोग के विचार-क्षेत्र में लाये गये*:--

(१) जिओलाजी और माइनिंग के अवैतनिक संचालक के अधीन टेक्निकल सहायक। (१८ अप्रैल, १९५६)।

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ। (२७ जून, १९५६)।

(३) सिंचाई विभाग के कृषि अभियन्त्रण उपविभाग में ओवरसियर। (११ जुलाई, १९५६)।

(४) सिंचाई विभाग में यांत्रिक निरीक्षक, ड्रिलर, वेल्डर, ट्रैक्टर मेकेनिक, चार्जमैन, सहायक फोरमैन, सीनियर इलेक्ट्रीशियन और पैटर्न मेकर। (११ जुलाई, १९५६)।

(५) बन्धक, उत्तर प्रदेश कारागार डिपो (जब कभी पद पुनर्जीवित किया जाय)। (१२ जुलाई, १९५६)।

(६) कारागार लेखा-परीक्षक। (१२ जुलाई, १९५६)।

(७) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अधीक्षक। (२५ जुलाई, १९५६)।

(८) संचालक, प्लानिंग रिसर्च और ऐक्शन इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में राजपत्रित अधीक्षक-सहित-पुस्तकाध्यक्ष। (२५ जुलाई, १९५६)।

(९) अनुसंधान पर्यवेक्षक, सिंचाई विभाग। (१९ सितम्बर, १९५६)।

(१०) वर्कशाप सुपरवाइजर एवं स्टोरकीपर, सिंचाई विभाग। (१९ सितम्बर, १९५६)।

(११) टेस्ट और कन्ट्रोल सुपरवाइजर्स, सिंचाई विभाग। (१९ सितम्बर, १९५६)।

(१२) वैज्ञानिक सहायक, सिंचाई विभाग। (१९ सितम्बर, १९५६)।

(१३) फोरमैन, सिंचाई विभाग। (१९ सितम्बर, १९५६)।

(१४) मेकैनिक, सिंचाई विभाग। (१९ सितम्बर, १९५६)।

---

*जिस शासनादेश से पद आयोग के विचार-क्षेत्र में रखे गये, उसकी तिथि प्रत्येक पद के सामने कोष्ठक में अंकित है।

(१५) श्रम विभाग में औद्योगिक गृह योजना के लिये **ओवरसियर**। (२३ फरवरी, १९५७)।

(१६) बिजली-घर अधीक्षक। (कृषि विभाग)।

(१७) हेड मिस्त्री ,, †

(१८) लाइन इन्सपेक्टर ,, †

(१९) फोरमैन (पम्प्स) ,, †

२—२० अगस्त, १९५६ को शासन के नियुक्ति (ख) विभाग में शासन ने शासनादेश संख्या २४२८/२-बी—१७८-५४ जारी किया, जिसमें उन्होंने आयोग के इस सुझाव को मान लिया कि किसी सरकारी नौकर द्वारा अपनी रक्षा के हेतु किये गये व्ययों के प्रत्यर्पण के दावों के उन मामलों में भी आयोग से परामर्श करना चाहिये, जिनमें "अपने कर्त्तव्यों (ड्यूटीज) के सम्पादन में कृत अथवा कर्तुमभिप्रेत कार्यों" से किसी प्रकरण का सीधा या स्पष्ट सम्बन्ध न रहा हो।

३—२००-३०० रु० के वेतन-क्रम में असिस्टेंट ट्रेड यूनियन्स इन्सपेक्टर के ३ पदों के सृजित किये जाने की सूचना पाने पर आयोग ने शासन को लिखा कि वे पद महत्वपूर्ण हैं, अतः उन्हें आयोग के विचार-क्षेत्र में रख दिया जाय।

४—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग इस बात से सहमत हुये कि निम्नलिखित पद उनके विचार-क्षेत्र में रखे जायं:—

(१) उपर्युक्त पैरा १ में मद संख्याओं (२) और (७) से (१४) के सामने दिखलाये गये पद।

(२) पंचायत राज संचालकालय में पत्रकार का पद।

(३) समाज कल्याण संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन, बालवारी प्रशिक्षण केन्द्र के अधीक्षक, महिला कल्याण योजना के जिला संघटक और टेक्निकल सहायक।

१८—विविध निर्देश

सेवा-निवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति, शासन के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों पर चुनाव के लिये डिग्रियों और डिप्लोमाओं की मान्यता, ज्येष्ठता-निर्धारण आदि से संबंधित ६९ अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण विविध निर्देशों की एक सूची परिशिष्ट ११ में दी गई है।

२—जिन अर्हताओं के विषय में आयोग से १९५६-५७ में या पूर्व वर्षों में परामर्श किया गया था, उनमें से निम्नलिखित अर्हतायें प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्रत्येक के सामने अंकित कार्यों के लिये स्वीकार कर ली गई:—

क्रम-संख्या	तिथि जब मान्यता के आदेश जारी किये गये	अर्हता	कार्य जिसके लिये मान्यता दी गई
१	१२-७-१९५६	केन्द्रीय या भाग 'क' या भाग 'ख' राज्य, विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा समाविष्ट विश्व-विद्यालयों द्वारा प्रदत्त सभी इंजीनियरिंग डिग्रियां और डिप्लोमें	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व सड़क), उत्तर प्रदेश में अभियन्त्रण सेवाओं में चुनाव के लिये।

†शासन ने यह भी आदेश दिया कि ये पद अधीनस्थ कृषि सेवा के संवर्ग में अस्थायी रूप से जोड़े गये समझे जायेंगे।

क्रम-संख्या	तिथि जब मान्यता के आदेश जारी किये गये	अर्हता	कार्य, जिसके लिये मान्यता दी गई
२	२६-१२-१९५६	केन्द्रीय या भाग 'क' या भाग 'ख' राज्य, विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा समाविष्ट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त सभी इंजीनियरिंग डिग्रियां और डिप्लोमें	स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग में उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा में चुनाव के लिये।
३	१-८-१९५६	काशी विद्यापीठ, काशी वाराणसी की मास्टर आफ अप्लाइड सोशियोलाजी (एम० ए० एस०)	कारागार विभाग के निम्नलिखित पदों के लिये सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करने के हेतु अधिमान्य अर्हता के रूप में :--
४	१-८-१९५६	टाटा इन्स्टीटयूट, बम्बई का डिप्लोमा इन सोशल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन।	(१) अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार। (२) पूर्णकालिक अधीक्षक, जिला कारागार। (३) प्रधानाध्यापक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ। (४) पूर्णकालिक व्याख्याता, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ। (५) उप जेलर।
५	२५-८-१९५६	जे० के० इन्स्टीटयूट आफ सोशियोलाजी एन्ड ह्यूमन रिलेशंस, लखनऊ विश्वविद्यालय की सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री।	मुख्य प्रोबेशन अफसर तथा प्रोबेशन अफसर के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु अधिमान्य अर्हता के रूप में।
६	२०-८-१९५६	इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, खड़गपुर द्वारा प्रदत्त बी० टेक० इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।	उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा (जल विद्युत शाखा) के लिये चुनाव करने के हेतु।
७	१-११-१९५६	इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, खड़गपुर द्वारा प्रदत्त बी० टेक० इन सिविल इंजीनियरिंग।	उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा (कनिष्ट वेतन-क्रम) सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये चुनाव करने के हेतु।
८	१०-१-१९५७	तदेव .	सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु।

क्रम-संख्या	तिथि जब मान्यता के आदेश जारी किये गये	अर्हता	कार्य जिसके लिये मान्यता दी गई
९	१०-१-१९५७	इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, खड़गपुर द्वारा प्रदत्त बी० टेक० इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग	सिंचाई विभाग में सहायक यान्त्रिक अभियन्ता के पद के लिये चुनाव करने के हेतु।
१०	२१-३-१९५७	इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, खड़गपुर द्वारा प्रदत्त बी० टेक० इन सिविल मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	उद्योग विभाग में उत्कृष्ट (सुपीरियर) अभियन्त्रण तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिये चुनाव करने के हेतु।
११	६-६-१९५६	असोशियेटशिप आफ दि यूनीवर्सिटी आफ लंदन इन्स्टीटयूट आफ एजूकेशन	उत्तर प्रदेश शासन के अधीन नौकरी के लिये किसी भारतीय विश्वविद्यालय की एम० एड० डिग्री के बदले में या उसकी वैकल्पिक अर्हता के रूप में "सभी व्यावहारिक प्रयोजनार्थ" स्वीकार की जायगी। ["किन्तु किसी भारतीय विश्वविद्यालय की उस डिग्री अथवा 'शिक्षा' में उससे छोटी डिग्री अथवा लंदन विश्वविद्यालय की एम० ए० (शिक्षा) डिग्री के सचमुच बराबर वह नहीं मानी जा सकती।"]।

३--उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय न एक निर्देश करके आयोग से पूछा कि यदि आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी भिन्न भिन्न तिथियों में कार्यभार ग्रहण करें, तो उनकी ज्येष्ठता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार या जिस क्रम में आयोग ने उनके नाम भेजे हैं उस क्रम में निश्चित की जानी चाहिये। इसके उत्तर में आयोग ने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी ने पद का कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न किया हो, तो उसकी ज्येष्ठता का निश्चय आयोग के संस्तुति-पत्र में निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाना चाहिये। उद्योग संचालक के फिर पूछने पर कि किसी पद का कार्यभार ग्रहण करने की वह अधिकतम अवधि क्या है, जिससे ज्येष्ठता पर प्रभाव न पड़े, आयोग ने उत्तर दिया कि एक अभ्यर्थी को जो पद दिया जाय उसका कार्यभार ग्रहण करने के लिये उसे सदैव यथोचित अवसर प्रदान करना चाहिये, क्योंकि ऐसे पर्याप्त कारण और औचित्यपूर्ण परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनसे विवश होकर वह निर्धारित समय में पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो। यदि कोई अभ्यर्थी अन्ततोगत्वा पद का कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो यह स्पष्ट है कि वह कार्यभार ग्रहण करना चाहता था, पर कुछ परिस्थितियां, जिन पर उसका वश नहीं था, ऐसा करने से उसे रोकती थीं। इसलिये नियुक्ति आज्ञा को जारी कर देना और यदि वह अपने कनिष्ठों के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व पद का

कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो जाय तो ऐसा कर देना कि वह ज्येष्ठता खो बठे, काफी न होगा। नियुक्ति प्राधिकारी को चाहिये कि यथोचित समय देने के बाद वह अभ्यर्थी को एक नोटिस दे जिसम कार्यभार ग्रहण करने की एक तिथि निश्चित कर दी जाय और यह लिख दिया जाय कि कार्यभार ग्रहण न करने पर ज्येष्ठता की हानि होगी या पद भी हाथ से निकल जायगा, और यदि उसके बाद भी कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है अथवा किसी निश्चित समय के भीतर ग्रहण करने में अपनी असमर्थता के लिये यथोचित कारण देते हुये कार्यभार ग्रहणकाल को बढ़ाने की प्रार्थना नहीं करता है तो ऐसा किया जा सकता है कि वह अपनी जेष्ठता या अपना पद, जैसी स्थिति हो, खो दे।

१९--अन्य विषय

१--आयोग द्वारा सीधी भर्ती सम्बन्धी अनुदेश तथा शासकीय सेवाओं में चुनाव के सिद्धान्त--जिन मामलों का वर्णन पिछली रिपोर्ट के पृष्ठ २१--२२ के पैरा १ व २ में किया गया था, उन पर शासन व आयोग क्रमशः वर्ष भर विचार करते रहे। वर्ष के अन्त के बाद आयोग द्वारा सीधी भर्ती के अनुदेशों को शासन ने अन्तिम रूप दिया और सभी सम्बन्धित अधिकारियों में घुमाया। शासकीय सेवाओं में चुनाव के सिद्धान्तों पर आयोग ने अपना अन्तिम पुनरवलोकन भी तैयार करके शासन को भेजा।

२--प्रश्नावली--सितम्बर, १९५६ में लोक प्रशासन की भारतीय संस्था के संचालक ने आयोग को सूचित किया कि संस्था ने भारत में लोक सेवा आयोगों की संरचना पर एक अध्ययन प्रारम्भ किया है, जिसके संबंध में निम्नलिखित विषयों पर सूचना की आवश्यकता है :

(१) संविधान, पश्चाद्वर्ती संशोधनों के साथ मौलिक अधिनियम।
(२) वार्षिक रिपोर्ट, उप विधियां, मैनुअल, अनुसूचियां आदि।
(३) राज्य लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों के कार्य करने के ढंग पर टिप्पणियां।
(४) प्रशासनिक प्रणाली में संघटन तथा पद्धति।
(५) लोक वित्त, लेखा तथा समाकलन (क्रेडिट), क्रय तथा प्रदाय।
(६) कल्याण तथा विकास प्रशासन।
(७) लोक अर्थशास्त्र तथा आर्थिक नीति, योजना आदि आदि।
(८) किसी शाखा या विभाग में शिक्षा तथा प्रशिक्षण।
(९) लोक सम्बन्ध (पब्लिक रिलेशन्स)।
(१०) अन्तरशासन सम्बन्ध (इन्टर गवर्नमेंट रिलेशन्स)।
(११) दिन-प्रति-दिन के प्रशासन में वैयक्तिक अनुभव। नवम्बर, १९५६ में राज्य शासन ने आयोग से उपर्युक्त सूचना संस्था को देने का अनरोध भी किया। तदनुसार आवश्यक सूचना एकत्र करके संस्था को भेजी गई।

३--अतिरिक्त कर्तव्य--(क) अध्यक्ष ने भारत सरकार के केन्द्रीय संघटन द्वारा लखनऊ में २२ अक्तूबर, १९५६ को बुलाये गये केन्द्रीय तथा राज्यिक सांख्यिकों के पंचम सम्मेलन के उद्घाटन-सत्र में भाग लिया।

(ख) सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला ने लोक प्रशासन की भारतीय संस्था, नई दिल्ली द्वारा ३ मार्च, १९५७ को "लोक सेवाओं के लिये चनाव तथा प्रशिक्षण" पर बुलाये गये एक सेमिनार में भाग लिया।

(ग) आयोग ने सदा की भांति इस वर्ष भी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन तथा उनकी देख-रेख की :

(१) क्लर्क्स (ए० एफ० एच० क्यू० और डी० जी० ओ० एफ०) ग्रेड परीक्षा, जून, १९५६।

(२) नेशनल डिफेंस अकाडमी परीक्षा, जून १९५६।

(३) मिलिटरी कालेज परीक्षा, जून, १९५६।

(४) स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज परीक्षा, जून, १९५६।

(५) आर्मी मेडिकल कोर परीक्षा, जुलाई, १९५६।

(६) इंडियन नेवी परीक्षा, जुलाई, १९५६।

(७) इंडियन एयर फोर्स परीक्षा, अगस्त, १९५६

(८) इन्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आदि परीक्षा, सितम्बर-अक्टूबर, १९५६।

(९) मिलिटरी कालेज परीक्षा, नवम्बर, १९५६।

(१०) इंडियन नेवी परीक्षा, दिसम्बर, १९५६।

(११) नेशनल डिफेंस अकाडमी परीक्षा, दिसम्बर, १९५६।

(१२) इन्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (विशेष चुनाव) परीक्षा, दिसम्बर, १९५६।

(१३) इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा, दिसम्बर, १९५६।

४—महत्वपूर्ण सूचना छिपाने के लिये अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही—आयोग ने पी० एम० एस० २ में नियुक्ति के लिये १९५३ में विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् तीन डाक्टरों को चुना था। शासन ने उनके मामलों का निर्देश आयोग को किया, क्योंकि चिकित्सा महाविद्यालयों में जिस अवधि में वे लोग प्रशिक्षण पा रहे थे, उस अवधि के संबंध में कुछ शिकायतें प्रकाश में आयी थीं। शिकायतों पर विचार करके आयोग ने परामर्श दिया कि उनमें से एक की सेवायें, जिसने आयोग को अपना आवेदन-पत्र देते समय यह छिपा लिया था कि हाऊस सर्जन के पद से वह पदच्युत कर दिया गया था, एक मास की नोटिस देकर समाप्त कर दी जाय। शेष दोनों के विरुद्ध मामूली शिकायतें थीं और आयोग ने परामर्श दिया कि उनको सेवा में रहने दिया जाय तथा वे यथासमय पुष्टित कर दिये जायं। इस मामले में शासन के अन्तिम आदेश वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये थे।

५—उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली एक एक समिति में आयोग के एक सदस्य को सम्मिलित करना :—नवम्बर, १९५६ में शासन ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव किया, ताकि श्रम अदालतों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों की एक सूची तैयार करने के हेतु निर्माण की जाने वाली समिति में आयोग का एक सदस्य भी रखा जाय और इस प्रस्ताव पर आयोग की सहमति का अनुरोध किया। आयोग ने इस पर अपनी सहमति दी।

६—अभ्यर्थियों को सुविधायें——२२ नवम्बर, १९५६ को आयोग ने निश्चय किया कि आवेदन-पत्रों की अग्रिम प्रतिलिपियां, यदि टाइप की हुई या साफ-साफ हाथ से लिखी हुई हों तो, केवल इसलिये नहीं अस्वीकृत की जायंगी कि वे छपे हुये प्रपत्र पर नहीं हैं। ऐसे आवेदन-पत्रों पर समुचित मार्ग से छपे हुये प्रपत्र पर आवेदन-पत्रों की प्राप्ति तक विधिवत् विचार किया जायगा।

७—आयोग को दी गई विशेष सहायता—आयोग शासन तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने टेक्निकल पदों के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के समय

उनके सहायतार्थ टेक्निकल परामर्शदाताओं की प्रतिनियुक्ति की। वे इस प्रकार प्रति नियुक्त किये गये विभागीय अधिकारियों तथा गैर सरकारी परामर्शदाताओं के भी उनके बहुमूल्य परामर्शों के लिये कृतज्ञ हैं।

२०--सामान्य कथ्य तथा निष्कर्षीय वक्तव्य

१--कार्य की अधिकता--आयोग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष अर्थात् १९५६-५७ में किये गये कार्यों का एक संघनित विवरण परिशिष्ट १ में दिया गया है। नीचे इन अंकों की तुलना पूर्व वर्षों के अंकों से की गई है--

विवरण	गत पांच वर्षों अर्थात् १९५०-५१ से १९५४-५५ का वार्षिक औसत	१९५५-५६ के वास्तविक आंकड़े	१९५६-५७ के वास्तविक आंकड़े
१	२	३	४
१--प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा एवं साक्षात्कार द्वारा दोनों प्रकार के चुनावों के संबंध में निबटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या	१२,६११	१३,७१३	३०,०३७
२--निर्वाचित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	१,०१८	१,५१०	२,४९१
३--उन प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या, जिनके विषय में संबंधित वर्षों में चुनाव पूरे न किये जा सके अर्थात् जो आगामी वर्षों के लिये छोड़ दिये गये	३,०७३	१२,०८०	६,०६०
४--उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर बिना विज्ञापन के भर्ती के, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के, पुष्टिकरण के और अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के संबंध में विचार किया गया था	१,७६१	२,७१८	३,२१४

ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि आयोग तथा उनके कर्मचारिवर्ग के ऊपर काम का बोझ १९५०-५१ से १९५४-५५ के पांच वर्षों के औसत से अत्यधिक ही नहीं रहा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। इससे गत प्रतिवेदन में अभिव्यक्त विचार की पुष्टि होती है, कि आयोग के कर्मचारिवर्ग में सारभूत वृद्धि परमावश्यक है।

२--आयोग के एक प्रतिनिधि की अध्यक्षता में तदर्थ समितियों द्वारा सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव--इस वर्ष आयोग से इस बात पर सहमत होने का अनुरोध किया गया कि जिला उद्योग अधिकारी, भूगर्भ शास्त्री, सहायक भूगर्भशास्त्री तथा कानपुर चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारिवर्ग के पदों के लिये सीधी भर्ती द्वारा चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति द्वारा किया जाय, क्योंकि चुनाव अविलम्ब करना था। आयोग ऐसी प्रक्रिया से सहमत न हो सके। यद्यपि कभी कभी कुछ पदों के लिये चुनाव करने में विलम्ब हो जाता है, पर आयोग अविलम्ब चुनाव किये जाने वाले मामलों को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के लिये सदैव तत्पर रहता है और ऐसे मामलों में चुनाव का काम पूरा करने के लिये ढाई से तीन मास का समय आवश्यक होता है।

३--परीक्षा भवन एवं कार्यालय के लिये स्थान--परीक्षा भवन के निर्माण में अच्छी प्रगति हो रही है और आशा की जाती है कि जल्दी ही निर्माण कार्य पूरा हो जायगा। पर आयोग के कार्यालय में वृद्धि के लिये स्थान का कोई प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है। जैसा गत प्रतिवेदन में पहले ही संकेत किया जा चुका है, इस समस्या पर अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

४--टेक्निकल परामर्शदाताओं को मनोनीत करना--गत प्रतिवेदन के पृष्ठ २५ के पैरा ४ को देखें। यह लिखते हुये आयोग को संतोष होता है कि शासन ने अब एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें आयोग को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मनोनीत टेक्निकल परामर्शदाता के अतिरिक्त अपनी मर्जी का स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है।

५--पदोन्नति की नई प्रक्रिया--जैसा अध्याय ८ में संकेत किया जा चुका है, इस वर्ष पदोन्नति की एक नई प्रक्रिया निकाली गई, जिसके अनुसार पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव करने के हेतु आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति द्वारा पहले पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाता है। पदोन्नति की कसौटी में भी इस वर्ष एक परिवर्तन किया गया, जिसका विवरण भी अध्याय ८ में दिया गया है।

६--उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (अधिशासी शाखा) के लिये आपात (इमरजेंसी) चुनाव--प्रतिवेदनाधीन वर्ष की एक विशेषता यह थी कि उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (अधिशासी शाखा) में से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये विशेष चुनाव किये जाने के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (अधिशासी शाखा) के लिये आपात चुनाव किया गया। आयोग के परामर्श से यह निश्चय किया गया कि इस चुनाव के लिये एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा की जाय, जिसमें २५ से ४० वर्ष की आयु वाले वे सभी उत्तर प्रदेश के अधिवासी बैठ सकें, जिनके पास कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री हो।

७--टेक्निकल पदों के लिये अभ्यर्थियों की दुर्लभता--प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी बनी रही, जैसा कि पूर्व अध्याय ६ के पैरा ४ में लिखा गया है। इस दुर्लभता को दूर करने के लिये आवश्यक उपायों का सुझाव आयोग गत प्रतिवेदन के पृष्ठ २५ के पैरा ५ में पहले ही दे चुके हैं।

८--नियमित सेवाओं के लिये वार्षिक चुनाव करने की वांछनीयता--पी० एम० एस० दो (परिशिष्ट ३ की मद संख्या २३०) के लिये चुनाव करने के सम्बन्ध में आयोग ने देखा कि उस सेवा के लिये पिछला चुनाव १९५३ में किया गया था। वे यह समझने में असमर्थ थे कि अन्य सेवाओं की भांति इस सेवा के लिये भी वार्षिक चुनाव क्यों नहीं किये जा सके। नियमित

रूप से वार्षिक चुनाव करने से कई लाभ होते हैं। उपलब्ध अभ्यर्थियों में से प्रति वर्ष चुनाव करने से आयु सीमा संबंधी बन्धनों द्वारा रोक उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती और अच्छे अभ्यर्थियों की सेवायें निश्चय ही उपलब्ध हो जाती हैं।

९--उपसंहार--आयोग को यह लिखते हुये संतोष होता है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है, शासन तथा अन्य प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा दिये गये परामर्शों को भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्य मन्त्री के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं कि जो मामले उनके समक्ष रक्खे गये, उन पर उन्होंने शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की।

राम नरेश लाल,
सचिव।

परिशिष्ट १

आयोग द्वारा १९५६-५७ वर्ष के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सूची

१—परीक्षा द्वारा भर्ती—

१—ली गई परीक्षाओं की संख्या	...	१०
२—प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या ...	...	९,२९९
३—अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्हें परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा प्रदान की गई	...	८,५७९
४—वास्तविक परीक्षार्थियों की संख्या	...	७,१७६
५—साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	...	७२४
६—चुने हुये अभ्यर्थियों की संख्या ...	...	३७६

२—विज्ञापन के उपरान्त चुनाव द्वारा भर्ती—

१—निकाले गये विज्ञापनों की संख्या ...	...	३१८
२—विज्ञापित पदों की संख्या जिनके लिये—		
(क) चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया	...	२,०६७
(ख) चुनाव वर्ष के अन्त तक नहीं किया जा सका	...	१,०१४
३—आवेदन पत्रों की संख्या जिनके लिये—		
(क) चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया	...	२०,७३८
(ख) चुनाव वर्ष के अन्त तक नहीं किया जा सका	...	६,०६०
४—साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	...	४,५७२
५—चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या ...	...	२,११५

३—अन्य विवरण—

१—ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर निम्नलिखित मामलों के सबन्ध में विचार किया गया—		
(१) बिना विज्ञापन के भर्ती ...	...	३१६
(२) पदोन्नति ...	...	२,१७१
(३) अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण	...	५६१
(४) स्थानान्तरण द्वारा भर्ती ...	...	३
(५) पुष्टिकरण ...	...	१६३
२—विलीनीकृत राज्यों के उन पदाधिकारियों की संख्या, जिन पर राज्य सेवाओं में अन्तर्निधान करने के हेतु विचार किया गया	...	१०
३—निबटाये गये अपील के तथा आनुशासिक मामले	...	४७
४—निबटाये गये असाधारण पेन्शन तथा/अथवा उपदान के मामले		२२
५—निबटाये गये वैध व्ययों के मामले	...	५
६—नियमावलियां और उनके संशोधन, जिन पर विचार किया गया		४८
७—अन्य महत्वपूर्ण विविध निर्देश ...	...	६९

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती

क्रम-सं०	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
*१	उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट एक्साइज सर्विस में एक्साइज इन्स्पेक्टर, १९५५	४२	५५८	३९६	२८९	अगस्त १६-१८, १९५५	सीनेट हाल, इलाहाबाद
*२	वरिष्ठ वन सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९५६-५९	२	६५	५३	४५	अक्तूबर १७-२१, १९५५	अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद
*३	फारेस्ट रेन्जर्स कोर्स, १९५६-५८	३	१३९	१२४	१०२	दिसम्बर १२-१४, १९५५	अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबा

२

सन् १९५६-५७

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	टेक्निकल परामर्शदाता का नाम यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४
श्री एस०जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	अप्रैल ३-६, १०-१२ और २५, १९५६	...	१०३	३७	
श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	अप्रैल १४, १९५६	श्री डी० एल० साह, आई० एफ० एस०, चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट, उत्तर प्रदेश	७	२	इनमें से एक अभ्यर्थी का चुनाव रद्द कर दिया गया किन्तु उसको ट्रेनिंग कोर्स १९५७-६० में भर्ती होने की आज्ञा दे दी गई।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	अप्रैल १४ और २५, १९५६	श्री डी०एल० साह, आई० एफ० एस०, सी० सी० एफ०, उत्तर प्रदेश और श्री एच० के० मघवल, पी० एफ० एस०, डिप्टी चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स, उत्तर प्रदेश	२३	३	

१	२	३	४	५	६	७	८
*४	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा——						
	१——उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	२०	१,४८७	१,२१९	१,०३८	दिसम्बर १५–१७, १९–२४,२६–३०, १९५५ और जनवरी २–६, १९५६	१——अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद २——गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद ३——सीनेट हाल, इलाहाबाद
	२——उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	८					
	३——उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा	६					
*५	उत्तर प्रदेश पंचायत आडिट आर्गेनाइजेशन, १९५५	१६५	३००	२६१	२०७	जनवरी २३–२५, १९५६	अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद
*६	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा——						
	१——उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा	३५	४२५	३९५	३६४	फरवरी २३–२५, १९५६	सीनेट हाल, इलाहाबाद
	२——उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारियों की सेवा	१०					

*पृष्ठ ४०–४१ पर फुटनोट देखिए।

९	१०	११	१२	१३	१४
श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। डा० आई० डी० कैलब, सहायक रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	अगस्त १३, १४, २२, २३, २४, २७, २९–३१, सितम्बर ३–७, और १०–१४, १९५६	श्री डब्ल्यू० ए० सी० पियर्स, आई० पी० एस०, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, प्रधान केन्द्र, इलाहाबाद (केवल उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिये)	२२९	(१) २१ (२) ९ (३) ७	तीन अतिरिक्त अभ्यर्थी नियुक्त किये गये प्रत्येक सेवा में एक।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	अप्रैल ३० और मई १–४, १९५६	..	१०८	८०	
श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश।	सितम्बर, १९–२१, २४, २७ और २८ और अक्तूबर १, ३, ५ और ८–१०, १९५६	श्री के० पी० माथुर, रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद	१४३	३६ १०	शासन ने अनुसूचित जातियों के दो अभ्यर्थियों को "परीक्षण के लिये उपयुक्त के आधार पर" नियुक्त किया।

१	२	३	४	५	६	७	८
७	परिवहन आयुक्त के संघटन में सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक (टेक्निकल)	२	२०	१०	८	अप्रैल २३ और २४, १९५६	उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट सेन्ट्रल रोड-वेज़ वर्क शाप, कानपुर
८	उत्तर प्रदेश सी० आई० डी० में आशु प्रतिवेदक	६	२२	२०	१४	जुलाई २३ और २४, १९५६	कार्यालय लोक सेवा आयोग
९	क़ानूनगो १९५६	५०	८०४	७०१	४६१	अगस्त २३, २४ और २५, १९५६	सीनेट हाल इलाहाबाद
१०	(१) उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट (२) उ० प्र० लोक सेवा आयोग कार्यालय में अवर वर्ग सहायकों के लिये सम्मिलित परीक्षा	५० १२	९८६	९३६	८४९	सितम्बर ६, ७ और ८, १९५६	१--सीनेट हाल, इलाहाबाद २--डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ

९	१०	११	१२	१३	१४
श्री आर०के० बासु, चीफ मेकेनिकल इंजीनियर, गवर्नमेंट सेन्ट्रल रोडवेज वर्कशाप, उत्तर प्रदेश	अगस्त १, १९५६	श्री एच० एन० माथुर, डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल)	७	३	श्री टी० पी० भल्ला, आयोग के सदस्य ने परीक्षा का निरीक्षण किया। तीसरा अभ्यर्थी केवल अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।
श्री एम० एन० सक्सेना, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	..	..	..	३	केवल तीन अभ्यर्थी संस्तुत किये जा सके और दो इस शर्त पर कि उन्हें हिन्दी आशुलिपि में एक दूसरी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। नियुक्ति आज्ञा की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	अक्तूबर २२-२६, १९५६	..	७९	५०	श्री एल० के० नागर, अतिरिक्त जिलाधीश, प्रयाग ने २२ तथा २७ अक्तूबर, १९५६ को ८ मील पैदल चलने की परीक्षा का संचालन किया।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ	..	..	..	५१ ४	(१) के लिये रिक्तियां-- १--बाहर के लिये लिये ... २५। २--विभागीय अभ्यर्थियों के लिये ... २५। योग ... ५०

१	२	३	४	५	६	७	८
११	(१) उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट (२) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में प्रवर वर्ग सहायकों के लिये सम्मिलित परीक्षा	४८ ६	१,४६८	१,४३५	१,११०	सितम्बर १०, ११, १२ और १३, १९५६	१--डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ। २--अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद ३--सीनेट हाल, इलाहाबाद
१२	फारेस्ट रेंजर्स कोर्स १९५७-५९	३	७४	६८	६१	अक्तूबर २९-३१, १९५६	अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद
१३	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षायें-- १--असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफिसर २--इन्टरटेनमेंट टैक्स न्सपेक्टर	 ४१ १२	२,६१६	२,४५२	२,१९२	नवम्बर २९ और ३०, १९५६	१--डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ

९	१०	११	१२	१३	१४
१—श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिंसिपल, डी० ए०वी० कालेज, लखनऊ २—श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र० ३—श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	..	..	..	५० ६	(१) के लिये रिक्तियां :— (क) बाहरी अभ्यर्थियों के लिये ... ३२। (ख) विभागीय अभ्यर्थियों के लिये ... १६। योग ... ४८
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	दिसम्बर २२, १९५६	श्री आर० सहाय, आई० एफ० एस०, चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स, उत्तर प्रदेश	२५		
१—श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिन्सिपल, डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ	...	...	...	...	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में व्यक्तित्व परीक्षा न ली जा सकी।

१	२	३	४	५	६	७	८
							२--लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ ३--अधिकारी, प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद ४--सीनेट हाल, इलाहाबाद
१४	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा -- १--नायब तहसीलदार २--पेशकार अधीनस्थ राजस्व (अधिशासी) सेवा में	१६ १	२,२२०	२,०४७	१,६९६	दिसम्बर ३ और ४, १९५६	१--डी०ए०वी० कालेज, लखनऊ २--लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ ३--अधिकारी, प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद ४--सीनेट हाल, इलाहाबाद

९	१०	११	१२	१३	१४
२--डा०सी० एम० ठाकोर, प्रिंसिपल, एल० सी०सी०, लखनऊ ३--श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ४--श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश					
१--श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिन्सिपल, डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ २--डाक्टर सी० एम० ठाकोर, प्रिन्सिपल, एल० सी० सी०, लखनऊ ३--श्री शिव लाल, सहा-यक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ४--श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	...	...	...	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में व्यक्तित्व परीक्षा नहीं ली जा सकी।

१	२	३	४	५	६	७	८
१५	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा १९५६—						
	१—यू० पी० सिविल (एक्जीक्यूटिव सर्विस	१४	१,०८५	९०८	७८३	दिसम्बर २१, २२, २४, २६ और ३१, १९५६ और जनवरी २, ५, ७, ९–१२, १४–१८, १९५७	१—सीनेट हाल, इलाहाबाद
	२—यू० पी० पुलिस सर्विस	१०					
	३—उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा सेवा	३					
	४—सेलस टैक्स आफिसर्स सर्विस	१९					२—अधिकारी, प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद
१६	अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के लिये हिन्दी आशुलिपिक	१	४	२	२	जनवरी २४, और जुलाई १७, १९५७	इलाहाबाद
	योग ...	२९४	९,२९९*	८,५७९*	७,१७६		

*३ से ६ के स्तम्भों के योग में मद सं० १ से ६ के सामने उन स्तम्भों में दिखलाये परीक्षाओं से है ।

९	१०	११	१२	१३	१४
१--डा० आई० डी० कैलब, सहा-यक निबन्धक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद २--श्री शिव लाल, सहा-यक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	...	...	...	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में व्यक्तित्व परीक्षा नहीं ली जा सकी।
...	...	...	...	१	सदस्य, श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी ने स्वयं परीक्षा का संचालन किया।
			७२४	३७६	

गये अंक शामिल नहीं है, क्योंकि उन अंकों का संबंध गत वर्ष १९५५--५६ में ली गई

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१	समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक समाज कल्याण अधि-कारी	१३	१३३	५१	४५
२	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ के प्रधानाचार्य एवं अधी-क्षक	१	७	४	४
३	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ में कायाचिकित्सा में रीडर	१	११	७	६
४	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल लखनऊ में आयुर्वेद में व्याख्याता, एक आयुर्वेदिक शरीर तथा पदार्थ विज्ञान और एक द्रव्यगुण तथा रस शास्त्र के अध्यापन के लिये	२	१५	१०	९
५	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ में द्रव्य-गुण तथा रस शास्त्र में डिमान्स्ट्रेटर	१	७	३	३
६	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ में ज्येष्ठ चिकित्सा अधि-कारी	१	१५	७	६
७	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी,	१	२४	७	७

३

१९५६–५७

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	टेक्निकल परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
२१	अप्रैल ३, ४, ५ और ६, १९५६	श्री छेदीलाल, संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	...
१	९ अप्रैल, १९५६	श्री एम० एन० के० पिल्लई, संचालक, देशी औषधि, त्रावनकोर–कोचीन–सरकार, त्रिवेन्द्रम	इसके लिये आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी उनके द्वारा एक दूसरे पद के लिये भी संस्तुत किया गया था। उस पद पर उसकी नियुक्ति की गई।
३	९ अप्रैल, १९५६	तदेव	
३	१० अप्रैल, १९५६	तदेव	
१	१० और ११ अप्रैल, १९५६	तदेव	
२	११ अप्रैल, १९५६	तदेव	
२	११ अप्रैल, १९५६	तदेव	

१	२	३	४	५	६
८	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में लेखा निरीक्षक	५	५३	३५	२७
९	(अ) राजकीय फलोद्यान, भरसार में औद्योगिकी कार्यों (आपरेशन्स) के प्रभारी अधिकारी, तथा	१	१४	१३	११
	(ब) उत्तर प्रदेश फलोपयोगिता रानीखेत के संचालकालय के अधीन पर्वतीय खंड (हिल जोन) के लिये प्रसार सेवा अधिकारी	१	१५	९	८
१०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएटग्रेड) (महिला शाखा) में हिन्दी अध्यापिकायें	१२	१९५	६३	४६
११	उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में ब्लाक डेवेलपमेंट अधिकारी	७५	२,८३४	३१५	२६०
१२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में संस्कृत अध्यापिकायें	१०	२८	२३	२१
१३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में इतिहास अध्यापिकायें	६	९०	२७	२२

७	८	९	१०
७	१२ और १३ अप्रैल, १९५६		
१	श्री वी० साने, फलोपयोगिता के संचालक, उत्तर प्रदेश, रानीखेत		
२			
१७	१६, १७ और १८ अप्रैल, १९५६	कुमारी के० डो० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला), उत्तर प्रदेश और डा० बी० एम० गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा पुनर्व्यवस्था विभाग, शिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद	
९५	१६, १७, १८, २०, २७, २८, ३० अप्रैल और १, २, ३, ७, ८ और ९ मई, १९५६	श्री एस० दीक्षित, शासन के अतिरिक्त सचिव, योजना विभाग और अतिरिक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	
१६	२० अप्रैल, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला) और श्री एस० शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा पुनर्व्यवस्था विभाग, शिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद	
११	२४ और २५ अप्रैल, और ७ मई, १९५६	कुमारी के० डो० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला), उत्तर प्रदेश	

१	२	३	४	५	६
१४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में भूगोल अध्यापिकायें	१०	२५	१३	१२
१५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में नार्मल स्कूलों में शिक्षा या मनोविज्ञान अध्यापिकायें	४	६३	२५	२२
१६	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में अर्थशास्त्र अध्यापिकायें	५	९८	४२	३८
१७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट) (महिला शाखा) में नागरिक शास्त्र में अध्यापिकायें	४	६९	३२	२९
१८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट) (महिला शाखा) में अंग्रेजी अध्यापिकायें	४	८४	३६	३०
१९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट) (महिला शाखा) में उर्दू अध्यापिकायें	१	११	५	५
२०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में गृह विज्ञान अध्यापिकायें	१०	२६	१६	१३
२१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में संगीत अध्यापिकायें	१५	३०	२६	२५

७	८	९	१०
१२	२४ और २७ अप्रैल, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना ने २४ अप्रैल को और श्रीमती रानी टंडन, प्रिंसिपल, राजकीय गृह विज्ञान, इलाहाबाद ने २७ अप्रैल, १९५६ को सहायता दी	
७	२४, २५, २७ अप्रैल, और १ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना* और डा० एस० एन० मेहरोत्रा, अनुसन्धान मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद	*२७ अप्रैल, १९५६ को कुमारी के० डी० खन्ना के स्थान पर श्रीमती रानी टंडन आई थीं।
८	२४, २५, २६, २७, ३० अप्रैल तथा १, २ और ३ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना, २७ अप्रैल को छोड़ कर शेष सभी दिन आईं	तदेव
११	२४, २५, २६, २७, ३० अप्रैल, तथा १, २, ३, ४ और ७ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला), उत्तर प्रदेश	
६	२५, २६ और २७ अप्रैल, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना* २५ और २६ अप्रैल, १९५६ को	*२७ अप्रैल, १९५६ को कुमारी के० डी० खन्ना के स्थान पर श्रीमती रानी टंडन आई थीं।
२	२६ और २७ अप्रैल, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना, २६ अप्रैल को और श्रीमती रानी टंडन, २७ अप्रैल, १९५६ को आईं	
६	२७, ३० अप्रैल तथा ३ और ८ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना और श्रीमती रानी टंडन	
१५	३० अप्रैल, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना और श्री जी० एन० नाटू, उप-प्रधान, भाठखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ	

१	२	३	४	५	६
२२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में शारीरिक शिक्षा अध्यापिका	१	४	३	३
२३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में विज्ञान (गणित सहित) अध्यापिकायें	१	२	१	..
२४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में गणित अध्यापिका	११	९	६	५
२५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा,) में विज्ञान (जीव विज्ञान सहित) अध्यापिका	१६	६	३	३
२६	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में मान्टेसरी अध्यापिका	१	३	३	१
२७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (महिला शाखा) में कला अध्यापिकायें	९	१५	१५	११
२८	(क) राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर में पावर हाउस इन्चार्ज तथा	१	६	५	४
	(ख) राजकीय प्रविधिक संस्था, गोरखपुर में पावर हाउस शिक्षक	१			
२९	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में---				
	(क) फोरमैन	२	६	५	४
	(ख) इन्स्ट्रक्टर वाच और टाइमपीस मैकेनिक्स	१	६	६	४

७	८	९	१०
१	३ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना और श्री पी० एन० माथुर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट, प्रान्तीय रक्षक दल, लखनऊ	
..	७ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना और डा० एस० सरन, रिसर्च साइकॉलॉजिस्ट, मनो-विज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश	एकमात्र अभ्यर्थी, जो साक्षात्कार के लिये बुलाई गई थी, वह भी नहीं आई।
५	७ मई, १९५६	तदेव	
३	८ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना और श्री एस० के० शोम, प्रिंसिपल, राजकीय इंटर कालेज, इलाहाबाद	
१	८ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना और कुमारी आई० डी० बोनी-फेसेस, बालिका गर्ल्स स्कूल की निरीक्षिका, तृतीय क्षेत्र, इलाहाबाद	
५	९ मई, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला), उत्तर प्रदेश	
१ १	१४ मई, १९५६	श्री एम० वी० रामाराव, प्रिंसिपल, जी० टी० आई०, लखनऊ	
२ १	१४ और १५ मई, १९५६	तदेव	

१	२	३	४	५	६
	(ग) इन्स्ट्रक्टर टाइपराइटर मैकेनिक्स	१	२	१	१
	(घ) इन्स्ट्रक्टर टर्निंग	१	१०	८	७
	(ङ) इन्स्ट्रक्टर मोल्डिंग	१	६	४	३
	(च) इन्स्ट्रक्टर जनरल मैकेनिक्स	१	५	३	३
	(छ) इन्स्ट्रक्टर आरमेचर वाइंडिंग	१	३	३	२
	(ज) इन्स्ट्रक्टर कारपेन्ट्री	१	५	४	४
३०	श्रम विभाग उत्तर प्रदेश कानपुर में,				
	(अ) जाब अनॉलिस्ट तथा लेखापाल	१	३	३	२
	(ब) सीनियर टाईम स्टडी हैन्ड्स	६	१९	१६	१६
३१	उत्तर प्रदेश उद्योगसेवा, क्लास दो में राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ के उप-प्रधानाध्यापक	१	९	७	७
३२	उद्योग संचालकालय उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी मार्किंग स्कीम में :-				
	(क) अधीक्षक (वस्त्र निर्माण १)	१	६	४	३
	(ख) अधीक्षक (वस्त्र निर्माण २)	१	३	३	२
	(ग) अधीक्षक (मुख्यालय)	१	२३	५	५
	(घ) अधीक्षक (छपाई)	१	९	६	६
	(ङ) अधीक्षक (ताले)	१	३	२	२
	(च) अधीक्षक (चर्म)	१	७	६	५
	(छ) अधीक्षक (दरी)	१	८	५	४
	(ज) परीक्षक (वस्त्र निर्माण)	५	१२	६	५
	(झ) परीक्षक (ताले)	१	२	१	१
३३	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में इतिहास के सहायक प्रोफेसर	२	२०	१६	१५

७	८	९	१०
१ २ २ १ १ १			
१ ६	१६ मई, १९५६	डा० बी० धर, सहायक श्रम कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, कानपुर	पांच रिक्तियों के लिये विज्ञापन निकाला गया था, किन्तु बाद में रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर ६ कर दी गई थी।
१	१७ मई, १९५६	श्री यम० समीउद्दीन, अतिरिक्त संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर	संस्तुत अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा संस्तुत प्रारम्भिक वेतन से अधिक प्रारम्भिक वेतन मांगा। आयोग ने पद को पुनर्विज्ञापित करने का निश्चय किया।
१ १ १ २ १ २ २ ५ १	१८, २१ और २२ मई, १९५६	श्री यम० समीउद्दीन उद्योग के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश, १८ मई को और श्री बी० बी० सिंह, उद्योग के उप संचालक, उत्तर प्रदेश २१ और २२ मई को।	
४	२१ मई, १९५६		

१	२	३	४	५	६
३४	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी मार्किंग स्कीम में परीक्षक (जूते)	१	८	६	४
३५	तदेव	१	७	२	२
३६	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल और ज्ञानपुर में हिन्दी के सहायक प्रोफेसर	२	२६	१३	९
३७	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल और ज्ञानपुर में हिन्दी के सहायक प्रोफेसर	२	२३	१४	११
	र प्रदेश उद्योग संचालकालय की चर्म-योजना में;				
	(क) वरिष्ठ प्रविधिक सहायक (चर्म संस्करण)	५	१२	१२	१०
	(ख) यान्त्रिक ओवरसियर, और	३	३	३	२
	(ग) शिक्षक (सहकारिता संगठन तथा वित्त)	३	६	४	..
३९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, रामपुर के लिये तैराकी तथा मालिश में व्याख्याता	१	४	३	३
४०	सी० एम० एस० राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ में :				
	(अ) वैद्युत अभियंत्रण में व्याख्याता	१	३	३	२
	(ब) प्रशासन संगठन में व्याख्याता	१	५	४	४
	(स) वर्कशाप चार्जमैन	२	७	५	३
४१	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल और ज्ञानपुर में अंग्रेजी में सहायक प्रोफेसर	६	७	५	५
४२	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर में वाणिज्य में सहायक प्रोफेसर	१	११	६	४

७	८	९	१०
२	२२ मई और ४ जून, १९५६	श्री बी० बी० सिंह, उप-संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश	इनमें से एक पद के लिये विज्ञापन नवम्बर, १९५५ में निकाला गया और दूसरे के लिये जनवरी, १९५६ में।
२	तदेव ..	तदेव ..	
४	२२ मई, १९५६	..	..
४	२३ मई, १९५६	..	..
६ २ ..	२३ मई, १९५६	श्री एफ० एच० होक, एफ० ए० ओ०, टेक्निकल एड-वाइजर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	..
१	२५ मई, १९५६	श्री पी० एन० माथुर, एड-मिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट, पी० आर० डी०, लखनऊ	..
१ १ ३	२५ मई, १९५६	श्री जी० सी० मुकर्जी, अधीक्षण अभियन्ता रिहान्ड सर्किल, इलाहाबाद	..
३	२८ मई, १९५६	..	बाकी ३ पदों के लिए संशोधित अर्हताओं के साथ फिर से विज्ञापन निकालने का सुझाव दिया था।
२	२८ मई, १९५६	..	..

१	२	३	४	५	६
४३	राजकीय रोडवेज़ कर्मशाला, कानपुर में गोदाम (स्टोर) अधीक्षक	१	१९	३	३
४४	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसन्धान स्टेशन में सहायक रसायनज्ञ	२	११	६	६
४५	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में टेस्ट तथा कन्ट्रोल सुपरवाइज़र	८	८	७	४
४६	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में भूगोल के सहायक प्रोफेसर	२	१५	९	८
४७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला में सीनियर टेस्टर	१	२०	१०	१०
४८	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में यान्त्रिक अभियन्त्रण में व्याख्याता	१	१	१	..
४९	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में राजनीति के सहायक प्रोफेसर	२	१३	८	६
५०	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर में दर्शन के सहायक प्रोफेसर	१	५	३	२
५१	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर	१	१३	६	५

७	८	९	१०
१	२८ मई, १९५६	श्री एम० एम० गुप्ता, डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, कर्म-शाला, उत्तर प्रदेश	साक्षात्कार के पूर्व एक व्याव-हारिक परीक्षा (प्रैक्टिकल टेस्ट) हुई, जो राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर में ६ अप्रैल, १९५६ को ली गई।
३	२८ मई, १९५६	श्री एच० जी० वर्मा, सुपरि-न्टेंडिंग इन्जीनियर प्लानिंग सर्किल, लखनऊ	...
४	२८ मई, १९५६	श्री एस० के० जैन, रिहन्द बांध डिजाइन तथा योजना संचालक, इलाहाबाद	आयोग ने सुझाव दिया कि शेष तीनों पर निजी बात-चीत करके आयोग के परामर्श से नियुक्ति की जाय।
४	२९ मई, १९५६	..	..
२	२९ मई, १९५६	डा० सी० एम० भाटिया, संचालक, ब्यूरो आफ साइ-कोलॉजी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	..
..	२९ मई, १९५६	डा० कृपा शंकर, सहायक संचालक, उद्योग (शिक्षा), उत्तर प्रदेश, कानपुर	..
४	३० मई, ७ और ११ जून, १९५६	..	..
२	३१ मई और ४ जून, १९५६	..	..
२	३१ मई तथा ४ जून, १९५६	..	..

१	२	३	४	५	६
५२	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में प्राणिशास्त्र के सहायक प्रोफेसर	२	१४	६	४
५३	प्रान्तीय नर्सिंग सेवा में सिस्टर ट्यूटर	१०	८	८	५
५४	बी० सी० जी० टीका में फील्ड प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश	१	३	३	३
५५	(अ) राजकीय टेक्निकल इन्स्टीटयूट, झांसी में ड्राइंग अध्यापक	२	४	३	३
	(ब) राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर में ड्राइंग अध्यापक	१			
५६	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के गोदाम क्रय उप-विभाग के लिये सहायक उद्योग संचालक (अभियन्ता)	१	८	७	४
५७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (महिला) में सहायक अध्यापिकायें (अंग्रेजी)	१६	३९	३५	२९
५८	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में भौतिक शास्त्र के सहायक प्रोफेसर	२	७	७	७
५९	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में ज्येष्ठ कवक विज्ञान सहायक (पी-६)	१	१४	७	५
६०	अधीनस्थ कृषि सेवा द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ वृक्ष संरक्षण सहायक (क्यू-५)	३	११	११	८
६१	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ अनुसंधान सहायक कवक विज्ञान (क्यू-१५)	१	२	२	१

७	८	९	१०
३	३१ मई, १९५६	डा० एच० आर० मेहरा, अध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	..
*६	३१ मई, १९५६	कुमारी यल० विलियम, अधीक्षक, नर्सिंग सेवायें, उत्तर प्रदेश	*वह अभ्यर्थी भी सम्मिलित है, जिस पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१	३१ मई, १९५६	डा० एस० एन० चटर्जी, सिविल सर्जन, इलाहाबाद	..
३	१ जून, १९५६	श्री बी० एस० त्यागी, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, गोरखपुर	प्रविधिक परामर्शदाता नहीं आये।
१	१ जून, १९५६	श्री एस० एस० अरोरा, डिप्टी जनरल मैनेजर, के० ई० एस० ए०	..
१६	२, ४ और २२ जून, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला), उत्तर प्रदेश	..
२	४ जून, १९५६	डा० पी० एन० शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	..
२	५ जून, १९५६	डा० ए० एस० श्रीवास्तवा, राजकीय एन्टॉमॉलॉजिस्ट, उत्तर प्रदेश शासन	..
३	५ जून, १९५६	डा० ए० एस० श्रीवास्तवा, राजकीय एन्टॉमॉलॉजिस्ट, उत्तर प्रदेश शासन	
१	५ जून, १९५६	तदेव	

१	२	३	४	५	६
६२	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल तथा ज्ञानपुर के लिये--				
	(अ) रसायन शास्त्र (आर्गेनिक) के सहायक प्राध्यापक	१	१४	१२	१०
	(ब) रसायन शास्त्र (इनआर्गेनिक) के सहायक प्राध्यापक	१	७	५	५
	(स) रसायन शास्त्र (भौतिक) के सहायक प्राध्यापक	२	१०	८	६
६३	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रुप में कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (कीट विज्ञान) (एन्टॉमॉलॉजी) (क्यू-४)	७	२७	२७	२२
६४	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल के लिये गणित में सहायक प्रोफेसर	१	१५	१०	९
६५	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रुप में अभियन्त्रण के व्याख्याता (पी-१)	१	५	४	३
६६	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रुप में ज्येष्ठ वृक्ष संरक्षण सहायक (यन्त्र) (पी-९)	१	६	६	६
६७	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रुप में अनुसन्धान सहायक (कीट विज्ञान) (क्यू-१४)	१	५	५	४
६८	राजकीय वेधशाला, वाराणसी में ज्योतिषीय सहायक	१	३	१	..
६९	अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रुप १ में वृक्ष अधिजनन (प्लान्ट ब्रीडिंग) के व्याख्याता (पी-२)	१	१०	७	६

७	८	९	१०
२ ३	५ तथा ६ जून, १९५६	डा० ए० सी० चटर्जी, अध्यक्ष, रसायन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	पद को एक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने के उपबन्ध के साथ पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया गया।
११	६ और ७ जून, १९५६	डा० ए० एस० श्रीवास्तवा, राजकीय एन्टॉमॉलॉजिस्ट, उत्तर प्रदेश शासन	...
२	७ जून, १९५६	डा० गोरख प्रसाद, रीडर, गणित विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	...
२	७ जून, १९५६	श्री एच० वी० भार्गवा, एग्रीकल्चरल इन्जीनियर, मुख्यालय, लखनऊ	..
२	७ जून, १९५६	तदेव	...
४	२७ जून, १९५६	डा० ए० एस० श्रीवास्तवा, राजकीय एन्टॉमॉलॉजिस्ट, उत्तर प्रदेश शासन	...
..	७ जून, १९५६	डा० एम० के० वी० बापू, चीफ ऐस्ट्रोनोमर, उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल	कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हुआ।
२	८ जून, १९५६	डा० ए० के० मित्रा, राजकीय इकनामिक बोटानिस्ट, उत्तर प्रदेश	

१	२	३	४	५	६
७०	अधीनस्थ कृषि सेवा क प्रथम ग्रूप में वनस्पति विज्ञान के व्याख्याता (पी–३)	१	१२	६	५
७१	रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर में स्टोर्स अफसर	१	२१	९	७
७२	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कृषि निरीक्षक (क्यू–१)	२७	८७	४९	४०
७३	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल एवं ज्ञानपुर में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर	१	१३	१०	९
७४	राजकीय डिग्री, महाविद्यालय नैनीताल अथवा ज्ञानपुर में जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर	१	७	५	४
७५	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ मृत्तिका सहायक (क्यू–११)	२	११	८	६
७६	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ रासायनिक सहायक (क्यू–१२)	१	८	४	४
७७	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर अथवा नैनीताल के लिये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (सीनियर स्केल) में अंग्रेजी के प्राध्यापक	१	१२	५	४
७८	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कापवेदर आब्जरवर (क्यू–२)	२	४	४	४
७९	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में सहायक व्याख्याता (१) (क्यू–१०)	४	११	९	८

७	८	९	१०
२	८ जून, १९५६	डा० ए० के० मित्रा, राजकीय इकनामिक बोटानिस्ट, उत्तर प्रदेश	...
२	११ जून, १९५६	श्री आर० के० बासू, चीफ मेकेनिकल इंजीनियर, रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	
३४	११, १२, १३ तथा १८ जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, कृषि उप-संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	१५ रिक्तियों का विज्ञापन निकाला गया था, परन्तु बाद में यह संख्या २७ कर दी गई।
२	१२ जून, १९५६	...	...
२	१३ जून, १९५६	डा० के० एस० भार्गवा, जीव विज्ञान के प्रोफेसर तथा उप-प्रधानाचार्य, जी० डी० कालेज, नैनीताल	यह पद दो बार विज्ञापित किया गया, क्योंकि पहला विज्ञापन निष्फल रहा।
५	१३ जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, उप-संचालक कृषि (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	...
४	१३ जून, १९५६	तदेव	...
२	१३ जून, १९५६	श्री राजा राव सिंह, अतिरिक्त शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश	...
३	१४ जून, १९५६	डा० आर० आर० अग्रवाल, राजकीय कृषि केमिस्ट, उत्तर प्रदेश	...
५	१४ जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, कृषि उप-संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	...

१	२	३	४	५	६
८०	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में सहायक व्याख्याता (२) (क्यू-१२)	१	६	४	३
८१	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में उप गन्ना आयुक्त (विपणन)	१	२७	११	११
८२	चीनी अनुसन्धान स्टेशन, शाहजहांपुर के संचालक के अधीन गन्ना विकास विभाग के लिये ज्येष्ठ रासायनिक सहायक	१	११	९	९
८३	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में मृत्तिका परिमाप में ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक	१	१	१	१
८४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अंग्रेजी के सहायक अध्यापक	५	१०१	१८	१०
८५	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप के ज्येष्ठ क्षेत्रिक सहायक, अग्रानामिकल असिस्टेन्ट (पी-८)	२	५१	१३	१३
८६	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ अग्रानामिकल असिस्टेन्ट (क्यू-६)	२	९	९	७
८७	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक (क्यू-७)	१	५	४	२
८८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में नागरिक शास्त्र के सहायक अध्यापक	३	९८	१८	१३
८९	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में औद्यानिक निरीक्षक (क्यू-८)	५	२२	२०	१७

७	८	९	१०
२	१४ जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, कृषि उप-संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	...
१	१४ जून, १९५६	...	...
२	१४ जून, १९५६	डा० आर० आर० अग्रवाल, राजकीय कृषि केमिस्ट, उत्तर प्रदेश	..
१	१४ जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, कृषि उप-संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	...
१	१५ जून, १९५६	...	आयोग ने सुझाव दिया कि शेष चार पद ३०० रु० तक के उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के उपबन्ध के साथ पुर्नविज्ञापित किये जायं।
३	१५ जून, १९५६	डा० आर० आर० अग्रवाल, राजकीय कृषि कैमिस्ट, उत्तर प्रदेश	
४	१५ जून, १९५६	तदेव	..
२	१५ जून, १९५६	तदेव	..
४	१८ जून, १९५६	..	..
९	१८ जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, उप-संचालक कृषि (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	...

१	२	३	४	५	६
९०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भूगोल के सहायक अध्यापक	२	७९	१९	१३
९१	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में ज्येष्ठ औद्यानिक निरीक्षक (पी–७)	१	२९	७	७
९२	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ अनुसन्धान सहायक (औद्भिदीय) (क्यू–३)	५	१५	१५	१०
९३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भौतिक विज्ञान के सहायक अध्यापक	८	९७	४०	२३
९४	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में ज्येष्ठ रुई विकास निरीक्षक (पी–४)	२	२३	१०	९
९५	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ अनुसन्धान सहायक (दैहिकी) फिजियोलाजी (क्यू–३)	२	८	८	५
९६	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में ज्येष्ठ कृषि निरीक्षक (पी–५)	२	९४	१९	१६
९७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (इतिहास)	१	२९	६	३
९८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भूगोल की सहायक अध्यापिकायें	६	३१	१६	१२
९९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में हिन्दी अध्यापिकायें	४	१२७	३२	२७
१००	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में वाणिज्य में सहायक अध्यापक	१	५५	१२	८

७	८	९	१०
४	१९ जून, १९५६	—	
२	१९ जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, उप-संचालक, कृषि (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश ।	
९	१९ जून, १९५६	तदेव	
१२	२०, २१, २२ तथा २९ जून, १९५६	डा० एस० एस० शर्मा, राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर के फिजिक्स के प्रोफेसर २०, २१ तथा २२ जून को और श्री आर० के० बौंद्रा, उप संचालक शिक्षा, गोरखपुर २९ जून को	
३	२० जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, कृषि उप-संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	
३	२० जून, १९५६	डा० बी० एन० लाल, कृषि उप-संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश ।	
३	२१ जून, १९५६	तदेव	
२	२२ जून, १९५६	..	
६	२२ जून, १९५६	कुमारी के० डी० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला), उत्तर प्रदेश ।	
१०	२५ जून और ३, ५, तथा ६ जुलाई, १९५६	तदेव	
२	जून २५, १९५६	—	

१	२	३	४	५	६
१०१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में मनोविज्ञान के सहायक अध्यापक	१	२१	६	३
१०२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संपरीक्षात्मक तथा शैक्षिक मनोविज्ञान की सहायक अध्यापिकायें	१०	६६	५१	४६
१०३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में इतिहास की सहायक अध्यापिकायें	८	४०	२६	२१*
१०४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अर्थशास्त्र की अध्यापिकायें	९	५४	२९	२४
१०५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में गृहविज्ञान की सहायक अध्यापिकायें	५	३७	२०	१५
१०६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में गणित में सहायक अध्यापक	२	९०	२०	१५
१०७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में रसायन शास्त्र के सहायक अध्यापक	११	१२६	४१	३२
१०८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में सहायक अध्यापिकायें	१	२२	१०	६
१०९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में तर्कशास्त्र में सहायक अध्यापक	१	९	६	२

१	२	३	४	५	६
११०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संस्कृत की सहायक अध्यापिकायें	२	१६	९	७
१११	सिंचाई विभाग में रिहन्द बांध संगठन में कल्याण अधिकारी	१	१५	८	४
११२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जीव-विज्ञान में सहायक अध्यापक	१	३२	१०	६
११३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अर्थशास्त्र के सहायक अध्यापक	२	१०९	२०	१५
११४	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा तथा पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा में दैहिकी के व्याख्याता	१	९	३	२
११५	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में कृषि, पशुधन, अर्थशास्त्र तथा संख्या सहित सांख्यकीय में व्याख्याता	१	१	१	१
११६	शिक्षित नवयुवकों में बेकारी कम करने की योजना के संबंध में राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ में कर्मशाला अधीक्षक	१	८	८	७
११७	उद्योग संचालकालय उत्तर प्रदेश के प्रथम ग्रूप में जिला उद्योग अधिकारी	१६	५४४	११६	९८

७	८	९	१०
२	३ जुलाई, १९५६	कुमारी के० डो० खन्ना, उप-शिक्षा संचालक (महिला), उत्तर प्रदेश तथा श्री एस० शर्मा, विशेषाधिकारी, शिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद	..
१	११ जुलाई, १९५६	श्री जे० एन० तिवारी, श्रम कमिश्नर, उत्तर प्रदेश	..
२	१२ जुलाई, १९५६	डा० के० एस० भार्गवा, बाटनी के प्रोफेसर तथा उपप्रधानाचार्य, डी० एस० बी० राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल	..
३	१२ तथा १३ जुलाई, १९५६	...	...
...	१६ जुलाई, १९५६	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रिन्सिपल, पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया। संशोधित अर्हताओं के साथ पद पुनर्विज्ञापित किया गया।
१	१६ जुलाई, १९५६	तदेव	...
२	१६ जुलाई, १९५६	श्री आर० बी० सक्सेना, संयुक्त संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर	...
७४	१६, १७, १८, २५, २६, २७, ३०, ३१ जुलाई तथा ७ और ८ अगस्त, १९५६	श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश १६, १७ तथा १८ जुलाई, १९५६ और श्री आर० बी० सक्सेना, संयुक्त संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश, शेष दिनों में।	...

१	२	३	४	५	६
११८	हारकोर्ट बटलर संस्था कानपुर में :				
	(क) व्यावहारिक अणुजैविकी में व्याख्याता,	१	२	२	२
	(ख) अणुजैविकी में टेक्निकल सहायक। तथा	१	१	१	१
	(ग) मशीन ड्राइंग में व्याख्याता	१	१	१	१
११९	सी० एम० एस० राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ उद्योग सेवा में :--				
	(क) मोटर मेकेनिक्स में व्याख्याता	१	११	७	६
	(ख) मास्टर इलेक्ट्रिकल वार्यारिंग और आर्मेचर वाइंडिंग	१	२	२	२
	(ग) मास्टर शीट मेटल वर्क	१	३	१	१
	(घ) सोल्डरिंग तथा वेल्डिंग मेकेनिक्स और	१	१	१	१
	(ङ) ड्राइंग मास्टर	१	१	१	१
१२०	औद्योगिक सहकारिता योजना (नान टेक्सटाइल) में :--				
	(क) रीजनल मार्केटिंग आफीसर	३	२२	१०	१०
	(ख) सहायक निबन्धक	१	६	५	५
१२१	कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश में अधिशासी शाखा में उपजेलर	१५	४८५	८७	६२
१२२	चर्म संस्कार उद्योग के विकास तथा आगरे में जूते के लिये पाइलट प्रोजेक्ट को स्थापना की योजना में :--				
	(क) सहायक उद्योग संचालक (चर्म-संस्कार) तथा	१	७	७	७
	(ख) अनुसंधान रसायन विज्ञ (चर्म संस्कार)	१	४	४	३

७	८	९	१०
१ १	१७ जुलाई, १९५६	डा० डी० आर० ढिंगरा, उप संचालक उद्योग (शिक्षा), उत्तर प्रदेश, कानपुर	
–	१७ जुलाई, १९५६	तदेव	कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न था। वेतनक्रम तथा अर्हताओं में संशोधन का सुझाव दिया गया।
३ १* ... १ १	१७ जुलाई, १९५६	तदेव	*चूंकि यह अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं था, पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया गया। किसी उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न हो सकने के कारण वांछित अनुभव की अवधि को कम करके पुन-र्विज्ञापित करने का सुझाव दिया गया।
३ २	२३ जुलाई, १९५६	श्री आर० बी० सक्सेना, संयुक्त संचालक, उद्योग, उ० प्र०	...
२०	२३, २४, २५, २६, और २७ जुलाई, १९५६	आई० जी० कारागार, उत्तर प्रदेश	...
...* १	२४ जुलाई, १९५६	श्री आर० बी० सक्सेना, संयुक्त संचालक, उद्योग, उ० प्र०	*आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत से किसी उपयुक्त अभ्यर्थी को ढूंढ़ लिया जाय और उनका परामर्श लेकर पद पर उस-की नियुक्ति कर दी जाय।

१	२	३	४	५	६
१२३	राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून के लिये--				
	(क) रेफरीजिरेशन इन्सट्रक्टर और एयर कन्डोशनिंग	२	५	४	३
	(ख) इन्सट्रक्टर रेडियो मैकेनिक	१	१०	५	४
	(ग) इन्सट्रक्टर ट्रेक्टर मेकैनिक	१	५	३	२
	(घ) इन्सट्रक्टर ब्लैक स्मिथी	१	३	२	२
	(ङ) इन्सट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन	१	२	२	१
	(च) राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्सट्रक्टर	१	१	१	१
	(छ) लेक्ट्रोप्लेटिंग इन्सट्रक्टर सी० एम० एस० राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ में और	१	२	२	२
	(ज) राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून के लिये इलेक्ट्रिक इन्सट्रक्टर	१	१	१	१
१२४	उत्तर प्रदेश शासन के मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में--				
	(क) उप अधीक्षक	१	१२	७	७
	(ख) सहायक अधीक्षक	२	८	४	४
१२५	उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग अधिकारी, द्वितीय ग्रेड	३५	६८०	१३७	११४
१२६	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में कार्डियालाजी में व्याख्याता	१	४	४	३
१२७	चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में अनाटमी में व्याख्याता	२	४	३	२
१२८	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध संगठन में सहायक भूगर्भ शास्त्री	१	११	७	६

७	८	९	१०
१ २ १ ...* ...* ...* ...* १	३० जुलाई, १९५६	श्री एम० वी० रामा राव, प्रिन्सिपल, जी०टी० आई०, लखनऊ	*आयोग ने सुझाव दिया कि ये सब पद संशोधित अर्हता के साथ पुनर्विज्ञापित किये जायें।
२ २	३१ जुलाई, १९५६	श्री ए० सी० सेन, कन्ट्रोलर, प्रिंटिंग, गवर्नमेंट आफ न्डिया, प्रिंटिंग और लेखन सामग्री विभाग, न्यू देहली तथा श्री एम० जी० शोम, अधीक्षक, प्रिंटिंग तथा लेखन सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद	...
३७	३१ जुलाई, १, २, ३, ६, ७ तथा ८ अगस्त, १९५६।	श्री आर० बी० सक्सेना, संयुक्त संचालक, उद्योग, उत्तर प्रदेश	...
२	२ अगस्त, १९५६	श्री के० एम० लाल, संचालक, एम० ऐण्ड एच० एस०, उत्तर प्रदेश	...
२	२ अगस्त, १९५६	तदेव ...	...
३	३ अगस्त, १९५६	श्री बी० एस० माथुर, एस० ई०, रिहन्द बांध कन्सट्रक्शन सर्किल, इलाहाबाद।	...

१	२	३	४	५	६
१२९	उत्तर प्रदेश पशु सेवा क्लास दो में पशु-पालन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कक्षा के प्रधानाध्यापक	१	८	५	५
१३०	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी मार्किंग योजना में--				
	(क) ड्राइंग, सर्वेइंग तथा गणित संबंधी औजारों के अधीक्षक	१	५	५	३
	(ख) ड्राइंग सर्वेइंग तथा गणित संबंधी औजारों के मेकैनिक ड्राफ्ट्समैन	१	२	१	१
	(ग) दरियों के परीक्षक, तथा	१	२	१	...
	(घ) प्रकाशन निरीक्षक	१	४	३	२
१३१	चर्म संस्कार उद्योग के विकास तथा आगरे में जूते के लिये पाइलट प्रोजेक्ट की स्थापना की योजना में उद्योग चर्म संस्कार तथा चर्म के संभागीय अधीक्षक	३	१०	६	६
१३२	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में गन्ना संरक्षण निरीक्षक	९	४४	३०	२६
१३३	आटोमोबाइल अभियन्त्रण में प्रशिक्षण के लिये :--				
	(अ) ग्रेजुएटों, तथा	२	६	५	५
	(ब) डिप्लोमा/सर्टीफिकेट प्राप्तों का चुनाव	८	१९	९	८
१३४	उद्योग संचालकालय, उ० प्र० में लघु अनुमाप उद्योग में विकास अधिकारी (टेक्निकल)	१	१८	१०	८
१३५	उत्तर प्रदेश के यंत्रीकृत राजकीय खेतों के उपसंचालक	१	१२	६	६

७	८	९	१०
...	३ अगस्त, १९५६	श्री जी० सी० जुनेजा, उप-संचालक, पशुपालन (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	आयोग ने सुझाव दिया कि पद को संशोधित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापित किया जाय।
२ १ ... १	६ अगस्त, १९५६	श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त संचालक, उद्योग, उत्तर प्रदेश	...
४	६ अगस्त, १९५६	तदेव	...
११	७ और ८ अगस्त, १९५६	श्री जी० पी० कपूर, उप गन्ना विकास आयुक्त (उ० प्र०)	४ रिक्तियों के लिये विज्ञापन निकाला गया था, पर बाद में यह संख्या बढ़ा कर विकास आयुक्त, ९ कर दी गई।
४ ८	९ अगस्त, १९५६	श्री एम० एम० गुप्ता, उप-परिवहन कमिश्नर, वर्कशाप, उत्तर प्रदेश	...
१	१० अगस्त, १९५६	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	...
१	२० अगस्त, १९५६	श्री एच० बी० शाही, पशु-पालन आयुक्त, उ० प्र०	...

१	२	३	४	५	६
१३६	उत्तर प्रदेश शासन के ग्लास टेक्नोलाजिस्ट	१	३	३	३
१३७	उद्योग संचालकालय उत्तर प्रदेश, कानपुर में लघु अभियंत्रण उद्योगों के विकास अधिकारी	१	१५	३	३
१३८	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा क्लास २ में प्रधानाचार्य, सी० एम० एस० गवर्नमेंट पालीटेक्निक, मेरठ	१	७	५	३
१३९	राजकीय प्रविधिक संस्था, लखनऊ में सर्वेइंग में व्याख्याता	१	४	३	२
१४०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा क्लास २ में कृषि महाविद्यालय, कानपुर में कृषि के सहायक प्राध्यापक	१	८	८	६
१४१	वी० पी० के० राजकीय पोलीटेक्निक, वाराणसी के लिये प्रधानाचार्य	१	३	२	२

७	८	९	१०
...	२० अगस्त, १९५६	डा० आत्मा राम, संचालक सेन्ट्रल ग्लास एेन्ड सेरामिक रिसर्च इन्सटीटयूट, यादवपुर, पश्चिमी बंगाल	जैसा गत प्रतिवेदन के परिशिष्ट ३ के मद ५२ में कहा गया था, इस पद का विस्तृत विज्ञापन भारत तथा विदेशों में किया गया था, फिर भी कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सका। तीन अभ्यर्थियों का, जिनका मामला विचाराधीन था, साक्षात्कार २० अगस्त, १९५६ को किया गया, किन्तु उनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। दिसम्बर, १९५६ में पद को पुनर्विज्ञापित किया गया।
१	१७ सितम्बर, १९५६	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	...
	११ अक्टूबर, १९५६	श्री जी० सी० बनर्जी, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, मुरादाबाद	कमीशन ने सुझाव दिया कि उपयुक्त अभ्यर्थी पाने के लिये निर्धारित अनुभव को कम कर दिया जाय और ४०० रुपया तक प्रारम्भिक वेतन देने की व्यवस्था कर दी जाय।
१	११ अक्टूबर, १९५६	श्री एस०एस०अरोरा, डिप्टी जनरल मैनेजर, के० ई० एस० ए०	...
१	१५ अक्टूबर, १९५६	डा० जे० जी० श्रीखन्डे, प्रधानाध्यापक, एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर	...
२	१५ अक्टूबर और २३ नवम्बर, १९५६	श्री एस० आर० खास्तगीर, राजकीय आर्ट्स और क्राफ्ट्स विद्यालय, लखनऊ के प्रधानाचार्य	...

१	२	३	४	५	६
१४२	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के लिये सर्विस मैनेजर	३	२९	६	३
१४३	(क) उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में सहायक सर्विस मैनेजर	३	२१	७	७
	(ख) उत्तर प्रदेश परिवहन संगठन में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (टेक्निकल)	१०	३५	५	५
१४४	राजकीय पोलीटेक्निक टेहरी (गढ़वाल) के प्रधानाध्यापक	१	१४	५	५
१४५	कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर में सहायक अभियन्ता	१	३	३	२
१४६	(क) उद्योग के सहायक संचालक (सामुदायिक योजना)	१	२८	१६	१५
	(ख) उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन पिछड़े हुये तथा अविकसित क्षेत्रों में कुटीरोद्योगों के विकास की योजना में उद्योग के मंडलीय अधीक्षक	४	५६	२१	१९
१४७	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज संगठन में यातायात अधीक्षक	५	६४	१७	१६
१४८	राज्य आर्थिक बोध सेवा में सहायक सांख्यिक	२	१६	१५	१३
१४९	(क) उत्पादन के अधीक्षक	६	५६	२२	१८
	(ख) उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की सामुदायिक विकास योजना के अधीन उत्पादन के सहायक अधीक्षक	२०	८५	४४	३०
१५०	विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के लिये हेड सर्वेयर कम-स्टैटिस्टीशियन	१	११	८	८

७	८	९	१०
...	१६ अक्टूबर, १९५६	श्री आर० के० बसु, रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर, के मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।
५	१६ अक्टूबर, १९५६	श्री एम० एम० गुप्ता, उप-परिवहन आयुक्त (कर्म-शाला), उ० प्र०, लखनऊ	...
३	,,		
२	१९ अक्तूबर, १९५६	डा० के० शंकर, सहायक संचालक, उद्योग (शिक्षा), उत्तर प्रदेश	...
१	१९ अक्तूबर, १९५६	श्री के० सी० गुप्ता, सामान्य प्रबन्धक, कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन	...
१	३० और ३१ अक्तूबर सन् १९५६	श्री आर० बी० सक्सेना, संयुक्त उद्योग संचालक, सामुदायिक योजना, उत्तर प्रदेश	...
६	,,		
५	१ नवम्बर, १९५६	श्री जे० एन० उग्रा, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
४	७ नवम्बर, १९५६	श्री जे० के० पान्डेय, उत्तर प्रदेश आर्थिक बोध एवं संख्या के संचालक	...
११ १२	७, ८, ९, १२ और २० नवम्बर, १९५६	श्री आर०बी०सक्सेना, उत्तर प्रदेश उद्योग के संयुक्त संचालक	...
२	८ नवम्बर, १९५६	श्री जे० के० पान्डेय, संचालक आर्थिक बोध एवं संख्या, उत्तर प्रदेश	...

१	२	३	४	५	६
१५१	अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सांख्यिक	१	१३	८	७
१५२	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश के फाइलेरिया संगठन में सहायक कीटवित्	१	६	५	३
१५३	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन चर्म योजना में--				
	(क) असिस्टेन्ट मैनेजर सहित सेल्स इन्चार्ज (प्रविधिक)	१	४	२	१
	(ख) परीक्षक (प्रविधिक)	१	३	३	१
	(ग) आर्टिस्ट सहित डिजाईनर तथा	१	४	१	१
	(घ) सहायक प्रबन्धक	१	५	५	२
१५४	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में अनुसंधान पर्यवेक्षक	३०	२९	१३	७
१५५	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक सहायक	२५	४२	३५	२०
१५६	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की सामुदायिक योजना की स्कीम के अधीन--				
	(क) दर्जीगीरी में ट्रेड टेस्टर	१	१५	३	२
	(क) बढ़ईगीरी में ट्रेड टेस्टर	१	६	४	३
	(ग) बुनाई में ट्रेड टेस्टर	१	२	२	२
१५७	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन क्वालिटी मार्किंग स्कीम में चर्म वस्तुओं के अधीक्षक	१	५	४	२

७	८	९	१०
२	८ नवम्बर, १९५६	तदेव	...
३	९ नवम्बर, १९५६	डा० जे० रहमान, उप संचालक, मलेरियोलाजी, उत्तर प्रदेश	...
१ १ १ ...	९ नवम्बर, १९५६	श्री आर० के० अग्रवाल, विकास अधिकारी (चर्म)	..
७	१२ नवम्बर, १९५६	श्री जे० पी० जैन, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य, मेरठ	चूंकि २३ पदों के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न थे, इसलिये आयोग ने सुझाव दिया कि अनुभव की वांछित अवधि को घटाकर एक वर्ष करके पद का पुनर्विज्ञापन निकाला जाय।
२०	१२, १३ नवम्बर, १९५६	तदेव	
१ १ १	१३ नवम्बर, १९५६	श्री यम० समीउद्दीन, उत्तर प्रदेश उद्योग के अतिरिक्त संचालक	
–	१३ नवम्बर, १९५६	तदेव	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा एक उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उसे अयोग की सहमति लेकर नियुक्त किया जाय।

१	२	३	४	५	६
१५८	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र में ऊन उद्योग के विकास के लिये उद्योग के मंडलाधीक्षक ।	१	५	४	३
१५९	हार कोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में यान्त्रिक अभियन्त्रण के सहायक प्राध्यापक	१	२	१	१*
१६०	उत्तर प्रदेश सर्विस आफ ब्वायलर्स तथा फैक्टरीज के क्लास एक में चीफ इन्स्पेक्टर आफ ब्वायलर्स, उत्तर प्रदेश	१	८	६	४
१६१	उत्तर प्रदेश सोल्जर्स, सेलर्स तथा ऐयरमैन्स बोर्ड, लखनऊ के सचिव	१	१४	६	४
१६२	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) में जिला विद्यालय निरीक्षक	५	४९७	१११	८७
१६३	उत्तर प्रदेश राज्य के देशी औषधालयों के लिये वैद्य	३०	२०७	१४७	११८
१६४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक वर्ग) में सहायक मनोवैज्ञानिक	१०	४३	११	१०
१६५	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में--				
	(क) सांख्यिकीय अधीक्षक तथा	१	३०	१४	१३
	(ख) ज्येष्ठ सांख्यिकीय सहायक	१			

७	८	९	१०
१	१३ नवम्बर, १९५६	श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, तथा श्री के० डी० पान्डेय, श्री गांधी आश्रम, लखनऊ	..
...	१६ नवम्बर, १९५६	प्रो० एम० सेन गुप्त, प्रधानाचार्य, अभियन्त्रण महाविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी	उसे उपयुक्त पाया गया, किन्तु उसने ५९० रुपया उच्चतर प्रारम्भिक वेतन मांगा। अतः शासन को सुझाव दिया गया कि ४५० रुपये का उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने का उपबन्ध करके पद को पुर्नविज्ञापित किया जाय।
..	१६ नवम्बर, १९५६	तदेव	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि उनके सुझाव के अनुसार संशोधित अर्हताओं के साथ पद को पुर्नविज्ञापित किया जाय।
१	१६ नवम्बर, १९५६	...	...
१०	१९, २०, २१, २२, २३, २८ और २९ नवम्बर, १९५६	...	..
४५	१९, २०, २१, २२, २३, २७, २८ और २९ नवम्बर, १९५६	श्री डी० ए० कुलकरनी, उप संचालक (आयुर्वेद), उत्तर प्रदेश, लखनऊ	..
९	३० नवम्बर, १९५६	डा० एस० एन० मेहरोत्रा, संचालक, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश	आयोग ने सुझाव दिया कि जो पद नहीं भरे गये हैं, उनके लिये पुर्नविज्ञापन निकाला जाय।
४	३० नवम्बर, १९५६	श्री एम० सी० पन्त, उप-श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।	..

१	२	३	४	५	६
१६६	हल्द्वानी तथा इलाहाबाद के हेल्थ विजिटर्स ट्रेनिंग स्कूलों के लिये महिला चिकित्सा अधिकारी	२	५	५	४
१६७	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश में प्रिन्टर्स इंजीनियर	१	३	३	३
१६८	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक गन्ना विकास अधिकारी	४०	१७४	१११	८२
१६९	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा खंडों में खन्ड विकास अधिकारी	६५	२५४१	२४४	२०४
१७०	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में--				
	(क) कनिष्ठ क्षैत्रिकी (अग्रानामिकल) सहायक, तथा	७	४६	३९	१७
	(ख) कनिष्ठ रासायनिक सहायक	२	१८	११	४
१७१	(क) सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	१	४०	१४	१३
	(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्	१			
१७२	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	५६	१३	११
१७३	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो में राजकीय केन्द्रीय वस्त्र निर्माण संस्था, कानपुर में केमिकल टेक्नोलाजी उप विभाग के प्रधान	१	७	७	४

७	८	९	१०
२	३० नवम्बर, १९५६	डा० (श्रीमती) जे० जयकर, संचालिका, मातृत्व तथा शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	...
१	३० नवम्बर, १९५६	श्री ए० सी० सेन, मुद्रण नियन्ता, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा श्री एम० जी० ग्रोस, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	...
४१	३, ४, ५ और २३ दिसम्बर, १९५६	श्री जी० पी० कपूर, उप गन्ना आयुक्त (डी), उत्तर प्रदेश।	
१४	३, ४, ५, ६, ७, १३, १४, १७, १८ और १९ दिसम्बर, १९५६	श्री एस० दीक्षित, अतिरिक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	...
१३ } ३ }	५, ६ तथा ७ दिसम्बर, १९५६	श्री जी० पी० कपूर, उप गन्ना आयुक्त (डी), उत्तर प्रदेश।	...
२	१० दिसम्बर, १९५६ तथा १७ जनवरी, १९५७	श्री मिट्ठन लाल, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान मंडल।	...
२	११ दिसम्बर, १९५६	श्री ओ० एन० मिश्रा, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।	...
२	१४ दिसम्बर, १९५६	श्री बेलगुन्डी, ड्राइंग मास्टर, न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर।	...

१	२	३	४	५	६
१७४	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालक के अधीन ट्यूशनल क्लासेज स्कीम में--				
	(क) उद्योग के सहायक संचालक	१	२९	७	५
	(ख) उद्योग के सहायक वित्तीय नियन्ता, तथा	१	३८	८	६
	(ग) उद्योग मंडलाधीक्षक	१	२५	८	५
१७५	उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता	४०	१०४	५१	४१
१७६	हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल संस्था, कानपुर के प्रधानाचार्य	१	७*	३†	१
१७७	प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उद्योगों के विशेषज्ञ	१	१५	९	७
१७८	पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश में मोटर वेहिकिल्स अधिकारी	१	१९	६	३
१७९	हल्द्वानी और इलाहाबाद में हेल्थ विजिटर्स ट्रेनिंग स्कूलों के लिये महिला अधिकारी	२	६	६	५
१८०	प्रबन्धक पाइलट टैनरी, मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद	१	४	३	३
१८१	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी संघ में अंकेक्षक	१५०	१,६५८	४६६	२९४

७	८	९	१०
१ २ १	१३, १४ दिसम्बर, १९५६	श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	..
३१	१७, १८ और १९, दिसम्बर, १९५६	श्री जी०के० अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	
१	२१ दिसम्बर, १९५६	डा० जे० सी० घोष, सदस्य, योजना आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली	*भारत में से ३ तथा यूनाइटेड किंगडम में से ४ को लेकर। †एक, जिसने आवेदन-पत्र भेजा तथा २ निजी बातचीत से प्राप्त लोगों को लेकर।
...	२१ दिसम्बर, १९५६	श्री आर० एस० जौहरी, उप-विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
	२ जनवरी और १२ अगस्त, १९५७	श्री एम०एम० गुप्ता, उप-परिवहन आयुक्त (कर्मशाला), उत्तर प्रदेश	...
३	२ जनवरी, १९५७	डा० डी० डी० भार्गव, उप-संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।	...
१	२ जनवरी, १९५७	श्री डी० पी० सिंह, संचालक, योजना अनुसंधान तथा कार्य संस्था, उत्तर प्रदेश	...
२३१	३, ४, ७, ९, १०, ११, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २४ और २५ जनवरी, १९५७	श्री के० बी० भटनागर, मुख्य अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां और पंचायत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	...

१	२	३	४	५	६
१८२	सहायक उद्योग संचालक (हैंडी क्राफ्ट योजना)	१	१२	९	६
१८३	आफिसर मैनेजर (टेक्निकल) सैन्ड वाशिंग प्लांट, शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद	१	६	५	३
१८४	सिंचाई विभाग, उ० प्र० में विद्युत् एवं यांत्रिक पर्यवेक्षक	४०	२९	१२	९
१८५	परिवहन संगठन, उत्तर प्रदेश के लिये ओवरसियर	७	५	४	२
१८६	उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में मद्य-निषेध तथा समाजोत्थान अधिकारी	१	१६६	५	
१८७	राजकीय काष्ठशिल्प संस्था, इलाहाबाद के लिए—				
	(क) काष्ठशिल्प शिक्षक (अस्थायी)	१	१२	६	५
	(ख) सहायक कैबिनेट शिक्षक (अस्थायी)	१	८	२	१
	(ग) काष्ठशिल्प शिक्षक (स्थायी)	१	१९	८	५
१८८	प्रान्तीय नर्सिंग सेवा, उत्तर प्रदेश में सहायक मैट्रन	५	१०	१०	९
१८९	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा (दो) में पं० जे० जे० राजकीय पोलीटेक्निक, अल्मोड़ा में अधीक्षक	१	१६	८	५

७	८	९	१०
..	७ जनवरी, १९५७	श्री एम० समीउद्दीन, अति-रिक्त संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश।	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बात चीत द्वारा कोई उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, जिसको आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाय।
२	७ जनवरी, १९५७	श्री एम० समीउद्दीन, अति-रिक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश और श्री बी० बी० भाटिया, उत्तर प्रदेश शासन के सहायक ग्लास टेक्नोला-जिस्ट	...
८	९ जनवरी तथा २०, फरवरी, १९५७	श्री बी० एस० माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, इलाहाबाद	...
२	९ जनवरी, १९५७	श्री के० सी० माथुर, अधीक्षण अभियंता, पंचम वृत्त, इलाहाबाद	आयोग ने सुझाव दिया कि भविष्य में इन पदों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियर के पदों के अभ्यर्थियों में से चुनाव किया जाय।
२	१० जनवरी, १९५७	श्री केहर सिंह, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
१ १ २	१० जनवरी, १९५७	श्री आर० के० शर्मा, प्रधाना-चार्य, राजकीय काष्ठ शिल्प संस्था, इलाहाबाद	(क) तथा (ग) के लिये भिन्न-भिन्न अर्हताएं वांछित थीं, अतः उनके लिये अलग-अलग आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये।
६	११ जनवरी, १९५७	कुमारी एल० विलियम्स, अधीक्षक, नर्सिंग सेवा, उत्तर प्रदेश	...
२	११ जनवरी, १९५७	डा० डी० आर० धींगरा, संयुक्त संचालक उद्योग (शिक्षा), उत्तर प्रदेश	...

१	२	३	४	५	६
१९०	अधीनस्थ उद्योग सेवा में औद्योगिक निरीक्षक	५३	९८५	१६७	१३४
१९१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक	४१	१,५०७	३०४	२३८
१९२	एल० एस० जी० ई० डी०, उत्तर प्रदेश में--				
	(क) सिविल ओवरसियर	२०२	३७	२७	१७
	(ख) वैद्युत् एवं यान्त्रिक ओवरसियर	२०	८	८	६
१९३	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत उद्योग के मंडलाधीक्षक ।	१	११	६	३
१९४	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन उद्योग के मंडलाधीक्षक (चिकन उद्योग)	१	१०	६	६
१९५	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो, में कर्मशाला अधीक्षक--एक राजकीय पोलीटेक्निक गोरखपुर में तथा एक राजकीय प्रविधिक संस्था, लखनऊ में	२	८	५	५
१९६	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में उप-परीक्षा तथा नियन्त्रण पर्यवेक्षक	१	९	५	३
१९७	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो में राजकीय केन्द्रीय वस्त्र निर्माण संस्था, कानपुर में वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिक उपविभाग के प्रधान	१	७	४	३
१९८	राजकीय ज्योतिषीय वेधशाला, नैनीताल में अनुसंधान सहायक	२	५	५	२

७	८	९	१०
३७	१४, १५, १६, १७, १८, २१, २२ तथा २३ जनवरी, १९५७	श्री आर० वी० सक्सेना, संयुक्त, संचालक उद्योग (कुटीरोद्योग), उत्तर प्रदेश	आयोग ने सुझाव दिया कि शेष रिक्त पद पुनर्विज्ञापित किये जायं।
६८	१४, १५, १६, १७, १८,२१,२२ जनवरी, १०, ११, १५, १६, १७ तथा १८ अप्रैल,१९५७	...	...
१७ / ८	२३, २४, तथा २५, जनवरी, १९५७	श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश	...
१	२४ जनवरी, १९५७	श्री एस० समीउद्दीन, अतिरिक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	...
१	२४ जनवरी, १९५७	तदेव	...
२	२५ जनवरी, १९५७	डा० डी० आर० धींगरा, उप-उद्योग संचालक, (शिक्षा), उत्तर प्रदेश	प्रविधिक परामर्शदाता साक्षात्कार में नहीं आये।
२	२५ जनवरी, १९५७	श्री एस० के० जैन, संचालक, रिहन्द बांध डिजाइन तथा योजना संचालकालय, इलाहाबाद।	...
१	२५ जनवरी, १९५७	डा० ए० एन० गुलाटी, दी स्वदेशी काटन मिलस कं० लिमिटेड, कानपुर	..
२	२५ जनवरी, १९५७	डाक्टर गोरख प्रसाद, गणित विभाग, इलाहाबाद विश्व विद्यालय	...

१	२	३	४	५	६
१९९	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन पहाड़ी ऊन योजना में आफिसर इन्चार्ज प्रयोगशाला	१	७	४	४
२००	(क) राजकीय पोलीटेक्निक झांसी में प्रथम सामान्य मेकैनिक	१	२	१	१
	(ख) राजकीय पोलीटेक्निक गोरखपुर में प्रथम मोटर मैकेनिक इन्सट्रक्टर	१	७	६	५
२०१	सी० एम० एस० गवर्नमेन्ट इन्स्टीटयूट आफ केमिकल टेक्नोलाजी, दौराला, मेरठ के लिये--				
	(क) इलेक्ट्रीशियन, तथा	१	२	२	२
	(ख) बढ़ई (हाई क्लास)	१	६	१	...
२०२	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन हैन्ड टूल्स उद्योग के लिये वर्क्स मैनेजर (उत्पादन)	१	३	३	१
२०३	उत्तर प्रदेश संचालकालय में कम्बल योजना के अन्तर्गत सहायक उद्योग संचालक (कम्बल)	१	९	६	६
२०४	(क) राजकीय पोलीटेक्निक, गाजीपुर में पैटर्न मेकर।	१			
	(ख) राजकीय पोलीटेक्निक, जौनपुर में पैटर्न मेकर सहित कार्पेन्टर	१	५	३	...
	(ग) राजकीय पोलीटेक्निक, जौनपुर में फर्स्ट इन्सट्रक्टर शीट मेटल स्मिथी	१	४	३	३
	(घ) राजकीय पोलीटेक्निक, जौनपुर में फर्स्ट इन्स्ट्रक्टर मोल्डिंग	१	३	३	३
२०५	राजकीय पोलीटेक्निक, इलाहाबाद तथा लखनऊ में फोरमैन	२	१२	१०	९

७	८	९	१०
१	२५ जनवरी, १९५७	श्री ए० पी० माथुर, उप-उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	...
१ १	२८ जनवरी, १९५७	श्री बी० एस० त्यागी, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, गोरखपुर	...
१ ...	२८ जनवरी, १९५७	तदेव	...
..	२८ जनवरी, १९५७	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा किसी उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, जिसको आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जा सके।
...	२८ जनवरी, १९५७	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	
... ...	२८ तथा २९ जनवरी, १९५७	श्री बी० एस० त्यागी, प्रधानाचार्य, राजकीय प्राविधिक संस्था, गोरखपुर	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, जिनको आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जा सके।
३	२९ जनवरी, १९५७	श्री एम० बी० रामाराव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	

१	२	३	४	५	६
२०६	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की कम्बल योजना के अन्तर्गत :				
	(क) मंडलाधीक्षक उद्योग (लेखा), तथा	१	१४	८	८
	(ख) मैनेजर्स इन्चार्ज, फैक्टरी	२	१०	६	६
२०७	इन्डस्ट्रियल स्टेट्स, आगरा और कानपुर के लिये प्रबन्धक	२	१७	११	८
२०८	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय में :				
	(क) सहायक संचालक, उद्योग (स्टोर्स पर्चेज सेक्शन) तथा	१	१९	९	८
	(ख) मंडलाधीक्षक (लोन्स ऐण्ड ग्रान्ट्स)	१	३२	१०	९
२०९	लीगल रिमेम्ब्रैन्सर्स पुस्तकालय, परिषद् भवन, लखनऊ के लिये पुस्तकाध्यक्ष	१	३३	८	४
२१०	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के लिये पुस्तकाध्यक्ष	१	६	५	३
२११	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन गन्ना निरीक्षक	३	१५९	२४	२२
२१२	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में डाक्टर (एलोपैथिक)	११	१२	१२	१०
२१३	सरोजिनी नायडू महाविद्यालय, आगरा में शरीर में डिमान्स्ट्रेटर	२	१	१	१
२१४	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में वैद्युत् तथा यान्त्रिक अधीक्षक	७	७	६	५

७	८	९	१०
१ १	२९ जनवरी, १९५७	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	
...	१ फरवरी, १९५७	तदेव	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, जिनको आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जा सके।
३* २	१ फरवरी, १९५७	तदेव	*एक, जिसको बाद में संस्तुत किया गया, को लेकर।
१	४ फरवरी, १९५७	श्री एच० के० सिन्हा, उत्तर प्रदेश शासन के उप-सचिव तथा उप-लीगल रिमेम्ब्रेंसर, लखनऊ	
१	४ फरवरी, १९५७	...	
६	६ और ७ फरवरी, १९५७	श्री बी० एस० सेठ, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	
१०	८ फरवरी और १७ मई, १९५७	डा० एस० एन० चटर्जी, सिविल सर्जन, इलाहाबाद	
१	८ फरवरी, १९५७	डाक्टर एस०पी०जैन, प्राध्यापक शारीर विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	
२	८ फरवरी, १९५७	श्री एच० जो० वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (योजना), उत्तर प्रदेश	

१	२	३	४	५	६
२१५	अधीनस्थ सहकारिता सेवा ग्रुप दो में सहकारिता निरीक्षक	२०४	१८०८	५२९	३७७
२१६	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में ..				
	(क) ज्येष्ठ वास्तुकार	१	४	४	३
	(ख) कनिष्ठ वास्तुकार	२	६	४	३
	(ग) सहायक वास्तुकार	४	१०	९	६
२१७	उत्तर प्रदेश सचिवालय आर्थिक बोध सेवा में संकलन सहायक	१	२५	९	६
२१८	उत्तर प्रदेश मिनिस्टिरियल आर्थिक बोध सेवा में सांख्यिकीय सहायक	२	५८	२३	१५
२१९	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रम निरीक्षक	१९	४०३	५३	४३
२२०	उत्तर प्रदेश सचिवालय आर्थिक बोध सेवा में प्रवर वर्ग सहायक	२	७५	१८	१२
२२१	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास १ में :				
	(क) उप-संचालक (प्रविधिक शिक्षा)	१	१२	५	५
	(ख) उप-संचालक (वाणिज्यीय)	१	१४	७	६

७	८	९	१०
*२५४	११, १२, १३, १४, १५, १८, १९, २०, २१, २२, और २३ फरवरी, १९५७	श्री एन० एस० माथुर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	*उन ५० अभ्यर्थियों को लेकर, जिनको सहकारिता विभाग के कहने पर उन संस्तुत अभ्यर्थियों की कमी को पूरा करने के लिये संस्तुत किया गया था, जो नियुक्ति लेने नहीं आये थे।
१ १ ४	१२ फरवरी, १९५७	श्री एम० एस० बिष्ट, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	शेष एक पद, जो भरा नहीं गया, उसके सम्बन्ध में आयोग ने सुझाव दिया कि उसे निजी बातचीत द्वारा आयोग के परामर्श के पश्चात् भरा जाय।
२	१३ फरवरी, १९५७	श्री जे० के० पान्डे, आर्थिक बोध एवं संख्या, उत्तर प्रदेश	
४	१३ और १४ फरवरी, १९५७	तदेव	
१९	१३, १४ और १५ फरवरी, १९५७	श्री ओ० एन० मिश्र, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	७ रिक्तियों के लिये विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ाकर ९ कर दी गई।
४	१५ फरवरी, १९५७	श्री जे० के० पान्डे, संचालक, आर्थिक बोध एवं संख्या, उत्तर प्रदेश	
२ २	१८ फरवरी, १९५७	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	

१	२	३	४	५	६
२२२	राजकीय पालीटेक्निक, चरखारी, हमीरपुर में :--				
	(क) अधीक्षक	१	२१	६	५
	(ख) दर्जीगीरी शिक्षक	१	३६	७	५
२२३	उद्योग विभाग में प्लास्टिक वस्तु निर्माण केन्द्र के लिये अधीक्षक	१	१	१	१
२२४	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में फोरमैन	४	५६	४७	४३
२२५	शासन के पब्लिक अनालिस्ट तथा शासकीय विश्लेषक उत्तर प्रदेश, लखनऊ की प्रयोगशाला में :--				
	(क) ज्येष्ठ विश्लेषकीय सहायक (भोजन)	२	२२	१८	१७
	(ख) ज्येष्ठ विश्लेषकीय सहायक (भेषज)	१	१२	८	५
	(ग) कनिष्ठ विश्लेषकीय सहायक (भोजन)	४	१७	१५	१२
२२६	बी० पी० के० पालीटेक्निक, वाराणसी में :--				
	(क) शेप मेंकिंग में ज्येष्ठ शिक्षक	१	३	१	१
	(ख) रिपाउज तथा चेजिंग में शिक्षक	१	५	२	२
	(ग) एनग्रेविंग तथा एनामिलिंग में ज्येष्ठ शिक्षक	१	८	५	५
	(घ) सोनारी में ज्येष्ठ शिक्षक	१	३	३	२
	(ङ) एलेक्ट्रोप्लेटिंग में ज्येष्ठ शिक्षक तथा	१	२	१	१
	(च) सुनारी में कनिष्ठ शिक्षक	१	५	४	३

७	८	९	१०
२ २	१९ फरवरी, १९५७	डा० कृपा शंकर, उप-उद्योग संचालक (शिक्षा), उत्तर प्रदेश ।	
१	१९ फरवरी, १९५७	श्री पी० के० कौल (संयुक्त उद्योग संचालक), लघु अनुमाप उद्योग, उत्तर प्रदेश ।	
८	२०, २१ और २२ फरवरी, १९५७	श्री बी० एस० माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, रिहन्द बांध निर्माण केन्द्र, आई० डब्ल्यू०, इलाहाबाद ।	
४ २ ६	२१ और २२ फरवरी, १९५७	डाक्टर सी० पांडे, सहायक भेषज नियन्ता, उत्तर प्रदेश ।	
१ १			
	२३ फरवरी, १९५७	श्री एच० एल० मेर, अधीक्षकीय क्राफ्ट्स मैन, स्कूल आफ आर्ट्स तथा क्राफ्ट्स, लखनऊ ।	
१ १ १			

१	२	३	४	५	६
२२७	उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम योजक——				
	(क) संगठन में अधिशासी अभियन्ता (नगर योजना)	१	७	६	४
	(ख) नगर योजना विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता प्रविधिक, तथा	१	६	४	३
	(ग) उत्तर प्रदेश शासन के नगर तथा ग्राम योजक के कार्यालय में सहायक अभियन्ता (आर्थिक एवं सामाजिक सर्वे)	१	२	१	१
२२८	उत्तर प्रदेश संचालकालय की करघा विकास योजना के अन्तर्गत सहायक उद्योग संचालक (रेशम)	१	९	८	८
२२९	उत्तर प्रदेश संचालकालय की अनयस्य (नान फेरस) धातु योजना के अन्तर्गत——				
	(क) विकास अधीक्षक तथा	१	३	३	२
	(ख) डिजाइनर	१	२	१	१
२३०	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा दो (पुरुष शाखा) में चिकित्सा अधिकारी	१७५	२५१	२४६	२१०
२३१	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की क्वालिटी मार्किंग योजना में:——				
	(क) अधीक्षक पक्का कलई (पीतल के बर्तन), मुरादाबाद	१	३	२	२
	(ख) परीक्षक पक्का कलई (पीतल के बर्तन), मुरादाबाद, तथा	१	३	३	३
	(ग) परीक्षक (प्रिन्ट्स) छपाई, फर्रुखाबाद	१	२	२	२

७	८	९	१०
१ १ १	२० मार्च, १९५७	श्री के० एन० मिश्र, नगर तथा ग्राम योजक, उत्तर प्रदेश ।	
२	२१ मार्च, १९५७	श्री आर० बी० सक्सेना, संयुक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश।	
२१	मार्च, १९५७	तदेव	आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पद के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी को निजी बात-चीत द्वारा प्राप्त करने के प्रयत्न किये जायं ।
१८५	२१, २२, २५, २६, २७, २८, २९ मार्च, तथा १, २, ३, ४,५ अप्रैल, १९५७	दो दिनों जब डा० पी० डी० श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त संचा-लक आये थे, को छोड़कर शेष दिन डा० एस० एन० चटर्जी, सिविल सर्जन इलाहाबाद ।	
१ १ १	२२ मार्च, १९५७	श्री पी० के० कौल, संयुक्त उद्योग संचालक (लघु अनुमाप), उत्तर प्रदेश ।	

१	२	३	४	५	६
२३२	ताड़गुड़ योजना के अन्तर्गत ताड़गुड़ विकास अधिकारी	१	११	८	६
२३३	मथुरा पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा में:--				
	(क) पैरासीटोलाजी (पर जीवी विज्ञान) के सहायक प्राध्यापक, तथा	१	६	४	३
	(ख) पशु पोषाहार के सहायक प्राध्यापक	१	११	९	७
२३४	मथुरा पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा में व्याधि विद्या (पैथोलाजी) के सहायक अध्यापक	१	७	६	३
२३५	मथुरा पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा में दैहिकी (फिजियोलाजी) के सहायक अध्यापक	१	८	७	५
२३६	मथुरा पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा में दैहिकी में व्याख्याता	१	६	६	३
२३७	मथुरा पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा में:--				
	(क) शाकाणु विद्या (बैक्टीरियोलाजी) में व्याख्याता, तथा	१	८	४	२
	(ख) पशुजनन विज्ञान (जेनेटिक्स एण्ड ब्रीडिंग) में व्याख्याता	१	८	६	३
२३८	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा-१ (महिला शाखा) में चिकित्सा अधिकारी	५	३३	२३	२०
२३९	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में:--				
	(क) ड्राइंग मास्टर तथा	१	२	..	..
	(ख) इन्सट्रक्टर मैकेनिकल ड्राफ्ट्स मैन	१	१	..	..

७	८	९	१०
१	२२ मार्च, १९५७	श्री पी० के० कौल, संयुक्त उद्योग संचालक, (लघु अनुमाप), उत्तर प्रदेश।	
१ ...	२५ मार्च, १९५७	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा दोनों पदों के लिये तथा डा० ओ० बी० टंडन, इलाहाबाद, कृषि महाविद्यालय, नैनी, इलाहाबाद, पशु पालन विभाग, केवल (ख) के लिये।	
१	२६ मार्च तथा ३० जुलाई, १९५७	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा।	
...	२६ मार्च, १९५७	तदेव	
२	२७ मार्च, १९५७	तदेव	
१ १	२७ मार्च, १९५७	श्री सी० वी० जी० चौधरी, दोनों पदों के लिये तथा श्री डी० सुदर्शन, इलाहाबाद कृषि महाविद्यालय, नैनी के पशुपालन विभाग के हेड, केवल (ख) के लिये।	..
८	२८ तथा २९ मार्च, १९५७	उप-संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (महिला), उत्तर प्रदेश।	..
..	..	..	कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला।
..	..	..	..

१	२	३	४	५	६
२४०	उत्तर प्रदेश संचालकालय की सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत स्मिथी ट्रेड टेस्टर	१	२	..	..
२४१	उत्तर प्रदेश सूचना संचालकालय में फोटो साउन्ड इन्जीनियर	१	१	..	..
२४२	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में वर्कशाप सुपरवाइजर कम स्टोर कीपर	१	१	..	..
२४३	चर्मसंस्कार उद्योग विकास योजना तथा आगरा में जूते के लिये पाइलट प्रोजेक्ट स्थापना में प्रबन्धक (प्रविधिक)	१	८	..	..
२४४	जिला गजेटियरों के संशोधन के लिये सम्पादक मंडल के सचिव	१	१	..	..

७	८	९	१०
..	..	..	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने के कारण, यह सुझाव दिया गया कि प्रविधिक अर्हताओं की शिथिलता के उपबन्ध के साथ पुनर्विज्ञापन निकाला जाय, ताकि अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी का चुनाव किया जा सके।
..	..	..	कोई पात्र अभ्यर्थी न मिला। पद पुनर्विज्ञापित किया गया (देखिए परिशिष्ट ३-अ की मद संख्या ८)।
..	..	..	कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला।
..	..	..	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने के कारण, यह सुझाव दिया गया कि अनुभव की अवधि को १० वर्ष से घटाकर ५ वर्ष करके पद का पुनर्विज्ञापन निकाला जाय। पद पुनर्विज्ञापित किया गया (देखिये परिशिष्ट ३-अ की मद संख्या ६)।
..	..	..	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने के कारण, शासन ने एक आई० ए० एस० अधिकारी को उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद नियुक्त करने का निश्चय किया।

१	२	३	४	५	६
२४५	बी० पी० के० राजकीय पालीटेक्निक वाराणसी के लिये कर्मशाला अधीक्षक	१	३	..	..
२४६	रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में आटोमोबाइल टेक्नीशियन्स ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत जूनियर इन्स्ट्रक्टर	१	४	..	..
२४७	बी० पी० के० राजकीय पालीटेक्निक वाराणसी में कास्टिंग एवं क्ले माडलिंग में ज्येष्ठ शिक्षक	१	२	..	..
२४८	राजकीय प्रविधिक संस्था लखनऊ में यंत्र निर्माण एवं चित्रशाला में द्वितीय शिक्षक	१	१	..	..
२४९	सिंचाई अनुसंधान संस्था, रुड़की में--				
	(क) बुनियादी अनुसंधान के लिये अनुसंधान अधिकारी, तथा	१	३	..	..
	(ख) सहायक अभियन्ता (विद्युत्)	१	१	..	..

७	८	९	१०
..	..	..	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने के कारण, यह सुझाव दिया गया कि अनुभव की अवधि को ३ वर्ष से घटाकर २ वर्ष करके तथा एक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने का उपबन्ध करके पुर्नविज्ञापन निकाला गया। पद पुर्नविज्ञापित किया गया (देखिये परिशिष्ट ३-अ की मद संख्या ८६)।
..	..	..	किसी उपयुक्त अभ्यर्थी के न मिलने के कारण, आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बात-चीत के द्वारा किसी उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राप्त किया जाय, अथवा उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के उपबन्ध के साथ पद को पुर्नविज्ञापित किया जाय।
..	..	..	कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला।
..	..	..	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने के कारण, यह सुझाव दिया गया कि निजी बात-चीत के द्वारा एक उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय।
..	..	.	किसी उपयुक्त अभ्यर्थी के न मिलने के कारण, आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत के द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय।
..	.	..	

१	२	३	४	५	६
२५०	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र निर्माण संस्था, कानपुर में यांत्रिक अभियन्ता	१	१	..	..
२५१	राजकीय ज्योतिषीय वेधशाला, नैनीताल के लिये प्रयोगशाला सहायक-सहित-यांत्रिक	१	६	..	..
२५२	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत हस्त निर्मित कागज उत्पादन सहित-अनुसंधान केन्द्र कालपी के लिये उत्पादन अधीक्षक	१	३	...	..
२५३	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अंतर्गत बरेली तथा मेरठ के खेल वस्तु निर्माण केन्द्रों के लिये कर्मशाला अधीक्षक	२	४	...	...
२५४	उत्तर प्रदेश राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिये मैट्रन	२	३	...	...
२५५	उत्तर प्रदेश संक्रामक गर्भपात (ब्रुसी-लोसिस) अनुसंधान योजना के लिये अनुसंधान अधिकारी	१	६	..	..
२५६	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा क्लास एक में राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प संस्था, बरेली के लिये प्रधानाचार्य	१	७	...	...
२५७	अभिलेखपाल, इलाहाबाद के कार्यालय में कनिष्ठ प्रविधिक सहायक	१	१	...	...
२५८	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, मुरादाबाद के लिये उद्योग के मंडलाधीक्षक	१	१	...	...

८	९	१०
..	..	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बातचीत के द्वारा एक अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय।
..	..	तदेव
...	...	...
...	...	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बातचीत के द्वारा एक अभ्यर्थी को प्राप्त किया जाय।
...	...	कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला।
..		तदेव
...	...	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बातचीत के द्वारा एक अभ्यर्थी को प्राप्त किया जाय।
...	...	कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला।
...	...	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बातचीत के द्वारा एक अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय।

१	२	३	४	५
२५९	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में पुस्तकाध्यक्ष	२	१	...
२६०	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अंतर्गत क्वालिटी मार्किंग स्कीम में परीक्षक, ज़री कसीदा, आगरा	१	१	...
२६१	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अंतर्गत क्वालिटी मार्किंग स्कीम में अधीक्षक (ऊनी दरियां), मिरजापुर	१	५	...
२६२	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत इलाहाबाद तथा बरेली में लकड़ी सुखाने के यंत्रों के लिये भट्ठा अभियन्ता	२	१४	...
२६३	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत लघु अनुमाप तथा कुटीरोद्योगों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के अधीक्षक	१	४	...
२६४	ओवरसियर, उत्तर प्रदेश, पशु विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा	१	१	...
२६५	पशुधन अनुसंधान स्टेशन मथुरा में कृत्रिम गर्भाधान के लिये अनुसंधान सहायक	१	...	...
२६६	राजकीय प्रविधिक संस्था, लखनऊ के लिये प्रथम सहायक अध्यापक	१	२	...
२६७	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत चर्मयोजना के यन्त्र-अभियन्ता	१	...	...

७	८	९	१०
...	...	...	कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हुआ।
...	..	...	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बातचीत के द्वारा एक अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय।
...	...	...	कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हुआ।
...	...	...	कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हुआ।
...	...	...	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बात चीत के द्वारा एक अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय।
...	...	...	किसी पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बात चीत. के द्वारा एक अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय।
...	...	...	तदेव
...	...	...	तदेव
...	...	...	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा।

१	२	३	४	५	६
२६८	सी० एन० एस० राजकीय पोलीटेक्निक, मेरठ के लिये लोहार (हाई क्लास)	१	...	...	...
२६९	राजकीय पोलीटेक्निक, लखनऊ के लिये इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रिक लाइनमैन	१	...	...	...
२७०	राजकीय पोलीटेक्निक, जौनपुर के लिये द्वितीय विद्युत्कार (इलेक्ट्रीशियन) शिक्षक	१	...	...	...
२७१	बी० पी० के० राजकीय पोलीटेक्निक, वाराणसी में ड्राइंग एवं डिजाइन में कनिष्ठ शिक्षक	१	...	...	...
२७२	राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ में द्वितीय प्राविधिक अध्यापक	१	...	...	...
२७३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में शिक्षा प्रसार कार्यालय, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय चलचित्र पुस्तकालय के लिये पुस्तकाध्यक्ष	१	...	...	...
२७४	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में दैहिकी में डिमान्सट्रेटर	२	...	...	...
२७५	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट, मुरादाबाद के लिये कर्मशाला अधीक्षक	१	...	...	...
२७६	उत्तर प्रदेश संचालकालय की क्वालिटी मार्किंग स्कीम में परीक्षक स्वर्ण धागा, वाराणसी	१	...	...	...
	योग ..	२,०६७	२०,७३८	५,८७१	४,५७२

८	९	१०
...	...	किसी अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि वांछित अनुभव की अवधि को घटाकर तीन वर्ष करने के बाद पुनर्विज्ञापन निकाला जाय।
...	...	किसी ने आवेदन पत्र नहीं भेजा। यह सुझाव दिया गया कि अर्हताओं को संशोधित करके पद को पुनर्विज्ञापित किया जाय।
...	...	तदेव
...	...	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा।
...	..	किसी अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बात चीत के द्वारा कोई अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय।
...	...	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा।
...	...	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा।
...	...	किसी अभ्यर्थी के न मिलने पर यह सुझाव दिया गया कि निजी बातचीत के द्वारा कोई अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय।
...	...	तदेव

परिशिष्ट ३–अ

सूची, जिसमें उन सेवाओं या पदों को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव, १९५६–५७ में नहीं किया जा सका––

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१	उत्तर प्रदेश ब्वायलर्स और फैक्टरीज के इन्स्पेक्टर की सेवा के क्लास दो में फैक्टरी इन्सपेक्टर (चिकित्सा)	२	९
२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जूनियर टेस्टर	४	२९
३	(अ) रासायनिक अभियन्त्रण उप–विभाग के अध्यक्ष तथा	१	५
	(ब) हारकोर्ट बटलर टैक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कान–पुर में वर्कशाप अधीक्षक	१	१८
४	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय के लिये लेखा अधिकारी	१	४
५	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा क्लास दो में उद्योग (टैनिंग) सहायक संचालक	१	३०
६	आगरा में फुटवियर के लिये पायलट प्रोजेक्ट की प्रस्था–पना तथा लेदर टैनिंग उद्योग के विकास की योजना में प्रबन्धक (टैक्निकल)	१	३
७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो, के सेक्शन 'डी' में ऊसर एवं क्षरित भूमि अवाप्ति तथा मिट्टी संरक्षण (स्वायत कंजरवेशन) की योजना में सहायक कृषि अभियन्ता	...	..
८	उत्तर प्रदेश सूचना संचालकालय कालम में फोटो साउन्ड इंजीनियर	१	४
९	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में मैकेनिक	१२	५३
१०	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में स्टोर के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में स्टोर अधिकारी	२	२

५	६	७	८
११	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में पुनस्संगठन के सम्बन्ध में स्टोर अधीक्षक	७	४०
१२	सिंचाई विभाग में ओवरसियर	३६०	५५७
१३	अनास्थेटिस्ट्स (एक राजकीय अस्पताल, इलाहाबाद अथवा किंग एडवर्ड सप्तम क्षय अस्पताल, भुवाली, नैनीताल के लिये तथा दूसरा क्षय अस्पताल, फिरोजाबाद के लिये)	२	५
१४	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में लेखा अधिकारी	१	७
१५	बी० पी० के० राजकीय पालीटेक्निक, वाराणसी के लिये:—		
	(अ) कास्टिंग और क्लेमार्डलिंग में जूनियर इन्स्ट्रक्टर	१	३
	(ब) जूनियर इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तथा	१	५
	(स) ड्राइंग मास्टर	१	८
१६	उत्तर प्रदेश सूचना (इंटेलीजेन्स) तथा प्रचार के उप-संचालक के अधीन अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रुप दो में आर्टिस्ट	१	६
१७	राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून के लिये:—		
	(अ) फोरमैन	१	१०
	(ब) ड्राइंग मास्टर	१	३
	(स) सहायक फोरमैन तथा	१	३
	(द) आटोमोबाइल इन्स्ट्रक्टर	१	६
१८	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता विद्युत् एवं यान्त्रिक	४	७५
१९	(अ) बुनियादी अनुसन्धान (मृत्तिका) के लिये सहायक अनुसन्धान अधिकारी	१	५
	(ब) बुनियादी अनुसन्धान (हिड्रालिक्स) के लिये सहायक अनुसन्धान अधिकारी	१	४
	(स) सिंचाई अनुसन्धान संस्था, रुड़की में बुनियादी अनुसन्धान (भौमिकीविज्ञ) (जिआलाजिस्ट) के लिये सहायक अनुसन्धान अधिकारी	१	६
२०	राजकीय चर्मकार्य विद्यालय, कानपुर में चर्म कार्यअनुदेशक (लेदर वर्किङ्ग इन्स्ट्रक्टर)	३	१०

१	२	३	४
२१	उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में सैनिक शिक्षा एवं समाज सेवा प्रशिक्षण योजना के अधीन इन्स्ट्रक्टर	२	७९
२२	उत्तर प्रदेश के पशुपालन संचालक के प्रशासकीय नियन्त्रण में इन्चार्ज की विलेज स्कीम के उपसंचालक	१	१५
२३	अधीनस्थ सहकारिता सेवा में निरीक्षक	३४	१,२७९
२४	उत्तर प्रदेश के पशु पालन संचालक के प्रशासकीय नियन्त्रण में उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में जिला पशुधन अधिकारी	३	२०
२५	राजकीय महिला शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के लिये प्रधानाध्यापिका	१	४
२६	राजकीय महिला शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के लिये उप-प्रधानाध्यापिका	१	७
२७	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा अधिकारी	४६	५५
२८	(अ) राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में प्रथम ट्रैक्टर मैकेनिक इन्स्ट्रक्टर	१	३
	(ब) राजकीय पालीटेक्निक, झांसी में द्वितीय सामान्य यान्त्रिक अनुदेशक	१	३
२९	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा क्लास दो में मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक	१	२०
३०	सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के लिये विशेष अनास्थेटिस्ट	१	७
३१	संस्कृत पढ़ाने के लिये विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	२	५६
३२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुषशाखा में हिन्दी अध्यापक	१८	३८६
३३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में हिन्दी अध्यापक	३	१९१

५	६	७	८
३४	स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में विद्युत् एवं यान्त्रिक अभियन्ता	१५	४७
३५	उत्तर प्रदेश स्वशासन अभियन्त्रण विभाग में असैनिक अभियन्ता	५०	६२
३६	(अ) फोरमैन	२	१२
	(ब) पं० जे० जे० राजकीय पालीटेक्निक, अल्मोड़ा में ज्येष्ठ इन्स्ट्रक्टर	१	१२
३७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा क्लास दो के 'स' उप-विभाग में राजकीय फल अनुसन्धान स्टेशन, सहारनपुर के लिये जूनियर हार्टीकल्चरिस्ट	१	३
३८	पी० एम० एस० (१) (पुरुषशाखा) में चिकित्सा अधिकारी	९	१२२
३९	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा क्लास एक में लखनऊ के कला एवं हस्तकला में वास्तुविद्या (आर्कीटेक्चर) के प्रोफेसर	१	२
४०	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा क्लास दो में राजकीय कला एवं हस्तकला, लखनऊ में--		
	(अ) ललित कला के सहायक अध्यापक, और	१	१८
	(ब) माडलिंग एवं स्कल्पचर के सहायक प्राध्यापक	१	४
४१	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) के लिये वाणिज्य के सहायक प्राध्यापक	१	१५
४२	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश मथुरा में--		
	(अ) डिमान्स्ट्रेटर	६	१५
	(ब) अनुसन्धान सहायक (पशुबन्ध्यता योजना)	१	४
	(स) अनुसन्धान सहायक (ब्रुसीलोसिस योजना), तथा	१	२
	(द) कनिष्ठ अनुसन्धान सहायक	१	२
४३	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के कृषि अभियन्त्रण उप-विभाग के लिये यान्त्रिक निरीक्षक	१०	२१
४४	राजकीय टेक्निकल संस्था गोरखपुर में द्वितीय सहायक अध्यापक	१	१

१	२	३	४
४५	राजकीय कला एवं हस्तकला महाविद्यालय, लखनऊ में :—		
	(अ) विज्ञान में व्याख्याता	१	१९
	(ब) मूर्तिकला में व्याख्याता	१	४
	(स) कुम्हारी में व्याख्याता, तथा	१	५
	(द) वाणिज्य कला में व्याख्याता	१	६
४६	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत क्वालिटी मार्किङ्ग स्कीम में :—		
	(क) अधीक्षक, सेन्ट्रल डिपो	१	१८
	(ख) अधीक्षक, जरी कढ़ाई, आगरा	१	१
	(ग) अधीक्षक, खेलकूद सामग्री, मेरठ	१	३
	(घ) अधीक्षक, सुवर्ण डोरा, बनारस	१	२
	(ङ) अधीक्षक, कम्बल, नजीबाबाद	१	३
	(च) परीक्षक, खेल के सामान, मेरठ	१	१
	(छ) परीक्षक, कम्बल, नजीबाबाद, एवं	१	२
	(ज) प्रचार निरीक्षक सहित विपणन संगठनकर्त्ता	१	५
४७	उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के कृषि अभियन्त्रण शाखा में मैकेनिकल ड्राफ्ट्स मैन	१	१
४८	उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत् निरीक्षक के संगठन में सहायक विद्युत् निरीक्षक	२	१८
४९	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में पैथोलौजी और बैक्ट्रीओलाजी के प्रोफेसर	१	१०
५०	उत्तर प्रदेश के लिये फ्रूट यूटीलाइजेशन संचालकालय, उत्तर प्रदेश, रानीखेत के अन्तर्गत ज्येष्ठ मार्केटिंग निरीक्षक	१	३
५१	के० ई० एस० ए० में अधिशासी अभियन्ता (प्रोजेक्ट)	१	१
५२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अंग्रेजी के अध्यापन के लिये सहायक अध्यापक	४	११७
५३	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ में :—		
	(क) कुम्हारी	१	५
	(ख) बुनाई	१	५

१	२	३	४
	(ग) रंगाई व छपाई	१	४
	(घ) धातु कार्य, तथा	१	२
	(ङ) काष्ठकार्य के लिये क्राफ्ट्स डिजाइनर	१	८
५४	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के लिये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा क्लास दो में स्वायल केमिस्ट	१	१४
५५	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में कनिष्ठ सहायक केमिस्ट	४	८
५६	उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधीन पुनर्व्यवस्था योजना के लिये विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में कृषि पर्यवेक्षक	५	५५
५७	राजकीय फल अनुसन्धान स्टेशन, शाहजहांपुर के लिये उत्तर प्रदेश क्लास दो के उप-विभाग 'स' में :--		
	(अ) सहायक माइकोलोजिस्ट, तथा	१	८
	(ब) सहायक एन्टोमोलाजिस्ट	१	९
५८	उत्तर प्रदेश प्लानिंग रिसर्च और ऐक्शन इन्स्टीट्यूट में :--		
	(अ) भूमि संरक्षण के विशेषज्ञ के सीनियर असोशियेट	१	७
	(ब) भूमि संरक्षण के विशेषज्ञ के जूनियर असोशियेट	१	४
५९	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर के लिये :--		
	(क) फर्स्ट इन्स्ट्रक्टर मोटर मैकेनिक्स	१	९
	(ख) फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन इन्स्ट्रक्टर	१	२
	(ग) ड्राइंग अध्यापक	१	३
	(घ) मोटर मैकेनिक्स में द्वितीय इन्स्ट्रक्टर	१	८
	(ङ) द्वितीय इन्स्ट्रक्टर, जनरल मैकेनिक्स	१	५
	(च) द्वितीय इन्स्ट्रक्टर, मोलडिंग, और	१	५
	(छ) द्वितीय इन्स्ट्रक्टर शीट मेंटल स्मिथी	१	४
६०	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में :--		
	(अ) रिसर्च आफिसर विरालोजी और बैक्ट्रियोलोजी तथा	१	८
	(ब) रिसर्च आफिसर, पैरासिटोलोजी	१	८
६१	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में दाययोग्यता (हेरीटेबिलिटी) का अनुमान करने के लिये अनुसंधान अधिकारी	१	११

१	२	३	४
६२	(अ) उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में कृत्रिम गर्भाधान के लिये अनुसन्धान अधिकारी और	१	१३
	(ब) पशु अभिजनक (ब्रीडर)	१	९
६३	पी० एम० एस० दो की महिला शाखा में पद	८०	४४
६४	राजकीय केन्द्रीय पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद से सम्बद्ध प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा शिक्षा में डिमान्स्ट्रेटर	१	५
६५	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की बुन्देलखंड सर्किल में कल्याण अधिकारी	१	१४
६६	कल्टीवेशन इन्चार्ज, कैटिल ब्रीडिंग कम डेयरी फार्म, कालसी, देहरादून	१	३
६७	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश की करघा (हैन्डलूम) विकास योजना के अधीन क्षेत्रीय मार्केटिंग अधिकारी	२	१८
६८	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश की क्वालिटी मार्किङ्ग स्कीम के अधीन उद्योग के संभागीय अधीक्षक	१	२७
६९	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अधीन प्रदर्शिनी तथा प्रचार अधिकारी	१	२५
७०	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक कृषि अभि-यन्ता	३	४३
७१	सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में सहायक अधीक्षक	१	१२
७२	जिला जेलों में पूर्णकालिक अधीक्षक	२	९६
७३	यंत्रीकृत राजकीय प्रक्षेत्र के प्रक्षेत्र सहायक तथा गव्य शाला और पशु प्रभारी	२	१२
७४	राजकीय काष्ठ कर्म संस्था, इलाहाबाद के लिये चित्र कला अध्यापक	१	१८
७५	अनुसन्धान सहायक, पशुधन अनुसन्धान स्टेशन, मथुरा	७	८
७६	सहायक एन्टोमोलाजिस्ट, फाइलेरिया संगठन, सार्व-जनिक स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश	३	९

१	२	३	४
७७	शासन के ग्लास टेक्नोलाजिस्ट, उत्तर प्रदेश,कानपुर	१	११
७८	राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल या ज्ञानपुर के लिये रसायन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक	१	१३
७९	उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटीमार्किंग योजना में परीक्षक (दरियां)	१	५
८०	अधीनस्थ उद्योग सेवा में यात्री (नियमित संवर्ग के बाहर)	३	१२
८१	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में हाउसिंग निरीक्षक	१०	११८
८२	ऐनीमल न्यूट्रीशन सेक्शन, भरारी, झांसी में प्रक्षेत्र सहायक	१	..
८३	भौमिकी और खनिकर्म संचालकालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में टेक्निकल सहायक	५	१०
८४	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर या नैनीताल के लिये प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक	१	९
८५	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में पशुधन पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कक्षाओं के लिये प्रिंसिपल	१	१०
८६	बी० पी० के० राजकीय पालीटेक्निक वाराणसी के लिये वर्कशाप अधीक्षक	१	१
८७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) में विद्यालय मनोवैज्ञानिक (पुरुष शाखा के लिये चार और महिला शाखा के लिये एक)	५	१६
८८	लाइब्रेरियन एच० बी० टी० आई०, कानपुर	१	१
८९	राजकीय टेक्निकल संस्था, गोरखपुर और लखनऊ में प्रत्येक के लिये एक :--		
	(क) व्याख्याता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	२	३
	(ख) व्याख्याता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग	२	२
	(ग) फोरमैन	२	८
	(घ) ड्राइंग मास्टर्स	२	१
	(ङ) मेकेनिक्स इन्स्ट्रक्टर्स, और	२	५
	(च) फिटिंग इन्स्ट्रक्टर्स	२	९

१	२	३	४
९०	उद्योग संचालकालय में नकली सामान के विक्रय तथा व्यापार चिह्नों (ट्रेड मार्क्स) के अतिलंघन को रोकने की योजना के अधीन अधीक्षक	१	३५
९१	करघा उद्योग विकास की योजना के अधीन उद्योग के संभागीय अधीक्षक	१	५
९२	राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ में लुहार (उच्च श्रेणी)	१	३
९३	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) के सेक्शन 'बी' में पशु उपयोग अधिकारी	१	६
९४	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अधीन मृद्भान्ड केन्द्र खुर्जा के टेक्निकल सहायक	१	२
९५	नैनीताल अथवा ज्ञानपुर (वाराणसी) के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिये अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक	३	१६
९६	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये प्रधानाचार्य	१	२२
९७	राजकीय पालीटेक्निक टेहरी (गढ़वाल) में :--		
	(क) कर्मशाला अधिकर्मी (फोरमैन)	१	१६
	(ख) ड्राइंग मास्टर और	२	६
	(ग) राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल) के लिये ड्राइंग मास्टर	१	५
९८	राजकीय पाइलट कर्मशाला (वर्कशाप) के लिये वर्क-शाप फोरमैन	४	७
९९	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश की करघा योजना के अधीन :--		
	(क) उत्पादन के अधीक्षक (१)	१	२७
	(ख) उत्पादन के अधीक्षक (नान टेक्सटाइल)	१	२४
	(ग) उत्पादन के अधीक्षक (२)	६	५६
	(घ) सहायक प्रबन्धक (विक्रय)	१	१७

१	२	३	४
	(ङ) क्षेत्रीय मार्केटिंग निरीक्षक	४	३०
	(च) वस्त्र निर्माण निरीक्षक	२	२०
	(छ) उद्योग निरीक्षक और	१	३
	(ज) उत्पादन के सहायक अधीक्षक	४	१७
१००	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के ट्यूशनल क्लासेज के अधीन :--		
	(क) उद्योग के अधीक्षक (मुख्यालय) और	१	१६
	(ख) उत्पादन के सहायक अधीक्षक	६	३२
१०१	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में अनाटमी में रीडर	१	४
१०२	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में मत्स्य के सहायक संचालक	१	८
१०३	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में मेकेनिकल इंजीनियरिंग में सहायक प्राध्यापक	१	३
१०४	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के पिछड़ी तथा अविकसित क्षेत्रों की योजना के अधीन ट्रेड टेस्टर (स्मिथी)	१	३
१०५	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश में खुर्जा की कुम्हारी योजना के अधीन :--		
	(क) टेक्निकल सहायक (अनुसन्धान प्रशिक्षण)	१	--
	(ख) माडलर और डिजाइनर	१	२
	(ग) ज्येष्ठ मैकेनिकल फोरमैन, और	१	--
	(घ) डिकोरेशन आर्टिस्ट	१	३
१०६	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अधीन :--		
	(क) अधीक्षक, उत्पादन (कम्बल)	२	७
	(ख) सहायक अधीक्षक, उत्पादन (कम्बल)	१	५
१०७	पशु पालन संचालक, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय के स्टैटिस्टिकल सेक्शन के लिये :--		
	(क) सहायक स्टैटिस्टीशियन	१	१०
	(ख) ज्येष्ठ स्टैटिस्टिकल सहायक और	१	६
	(ग) स्टैटिस्टिकल सहायक	२	४

१	२	३	४
१०८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय ओरियन्टल कालेज (मदरसा आलिया), रामपुर के लिये प्रधानाचार्य	१	८
१०९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में वाणिज्य पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	२	६४
११०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जीवविज्ञान पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	९	९१
१११	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भूगोल पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	२	८१
११२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कृषि पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	१	१३
११३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में गणित पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	६	१२९
११४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में इतिहास पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	६	१४०
११५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में तर्कशास्त्र पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	१	१४
११६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अंग्रेजी पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	६	११९
११७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	५	८५
११८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	२	६४
११९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	३	११२
१२०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिये सहायक अध्यापक	११३	९६
१२१	उत्तर प्रदेश प्राविन्शियल नरसिंग सेवा में मैट्रन्स	४	३०

१	२	३	४
१२२	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में कल्याण अधीक्षक	५	७९
१२३	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश में :--		
	(क) केमिकल इंजीनियर	१	४७
	(ख) केमिकल टेक्नालाजिस्ट और	१	
	(ग) इन्डस्ट्रियल एकनामिस्ट	१	
१२४	राजकीय गर्ल्स पालीटेक्निक, रामपुर के लिये प्रधानाध्यापिका	१	६
१२५	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पशु चिकित्सा सेवा में पशु चिकित्सा सहायक सर्जन	५०	५४
१२६	उत्तर प्रदेश नर्सिङ्ग सेवा में अधीक्षक	१	५
	योग ..	१,०१४	६,०६०

परिशिष्ट ४

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निपटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
१	नायब तहसीलदार ...	३	यह चुनाव अधीनस्थ अधिशासी सेवा (नायब तहसीलदार) नियमों १९४४ के नियम ५ (३) के अनुसार क़ानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में प्रथम तीन स्थान पाने वालों में से किया गया था।
२	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा	१	यह अभ्यर्थी पहले पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त की सेवा में था। आयोग ने १७ सितम्बर, १९५६ को उसका साक्षात्कार करने के बाद उसको उपयुक्त ठहराया।
३	सर्जरी के प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल कानपुर चिकित्सा महाविद्यालय	१	एक दूसरे महाविद्यालय के सर्जरी के प्रोफेसर तथा फैकल्टी आफ मेडिसिन के भूतपूर्व डीन को एक कन्ट्रैक्ट के आधार पर पांच वर्ष के लिये की गई अस्थायी नियुक्ति की स्वीकृति उस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये दी गई।
४	पी० एम० एस० १	२	अननुमोदित। शासन को सलाह की गई कि ये डाक्टर सीधी भर्ती द्वारा चुनाव में अन्य अभ्यर्थियों की भांति भाग लें।
५	अधीनस्थ कृषि अभियन्त्रण सेवा	१७०	अनुमोदित। सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करने के लिये एक आलेख्य विज्ञापन मांगा गया, जो प्राप्त हो गया।

१	२	३	४
६	राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयुर्वेद)	१५	शासन ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी निरोक्षकों के १४ पदों तथा स्टेट फारमेसी के सहायक प्रबन्धक के १ पद को वर्गोन्नत करने तथा उन पदों के विद्यमान पदधारियों को वर्गोन्नत पदों पर नियुक्त करने का सुझाव दिया। आयोग ने परामर्श दिया कि कुछ पद सीधी भर्ती द्वारा तथा कुछ उपर्युक्त विद्यमान पदधारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिये।
७	पी० एस० एम० एस०	१	अनुमोदित, क्योंकि अभ्यर्थी जिला परिषद् एलोपैथिक अस्पताल, बनघाट, जिला अल्मोड़ा का चिकित्सा-अधिकारी था, जिसका प्रान्तीयकरण हो गया था।
८	शक्ति (ख) विभाग में मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष पद	१	विशेष परिस्थिति में आयोग शासन के प्रस्ताव से सहमत हुये, पर अभ्यर्थी ने पद को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
९	उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल में सहायक ज्योतिषी	१	आयोग ने परामर्श दिया कि पद को विज्ञापित किया जाना चाहिये, ताकि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो सके। शासन सहमत हुये और एक आलेख्य विज्ञापन भेजा।
१०	अधीनस्थ सहकारिता सेवा के प्रथम ग्रूप में ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक	१	अननुमोदित। आयोग के परामर्श से नियुक्ति समाप्त कर दी गई।
११	आगरा चिकित्सा महाविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री में डिमांस्ट्रेटर	१	अभ्यर्थियों की कमी देखते हुये अनुमोदन दिया गया। पद को तीन बार विज्ञापित करने के पश्चात् चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के प्रधानाध्यापक उनकी सेवायें प्राप्त करने में समर्थ हुये थे।

१	२	३	४
१२	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर के लिये--		
	(१) प्रथम इन्स्ट्रक्टर मोटर मेकैनिक्स	१	उद्योग संचालक ने इन सातों पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया था और वे चाहते थे कि आयोग उनकी नियुक्तियों को अनुमोदित कर दें या उन पदों का विज्ञापन निकालें। आयोग ने पदों को विज्ञापित करने का निश्चय किया, क्योंकि अस्थायी होने पर भी उन पदों के स्थायी हो जाने की आशा थी।
	(२) प्रथम इलेक्ट्रिशियन	१	
	(३) ड्राइंग अध्यापक	१	
	(४) द्वितीय इन्स्ट्रक्टर मोटर मेकेनिक्स	१	
	(५) प्रथम जेनरल मेकेनिक इन्स्ट्रक्टर	१	
	(६) द्वितीय मोल्डिंग इन्स्ट्रक्टर	१	
	(७) द्वितीय इन्स्ट्रक्टर, शीट-मेटल स्मिथी	१	
१३	राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ में यंत्र निर्माण तथा चित्रकला के द्वितीय अनुदेशक	१	चूंकि पद का विज्ञापन निकालने पर आयोग को कोई पात्र अभ्यर्थी न मिल सका था, इसलिये उन्होंने उस अभ्यर्थी की नियुक्ति को अनुमोदित किया, जिसको उद्योग संचालक ने निजी बातचीत से प्राप्त किया था।
१४	गन्ना विकास विभाग में आडिटर	२	आयोग ने इन पदों के लिये उन अभ्यर्थियों में से दो को संस्तुत किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारिता सेवा में आडिटर के १५० पदों के लिये प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे।
१५	नेशनल एम्प्लायमेंट सर्विस, उत्तर प्रदेश के संचालक के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	आयोग ने इस पद के लिये उन अभ्यर्थियों में से एक को संस्तुत किया, जिन्होंने श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिये प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे।
१६	श्रम विभाग में ट्रेड यूनियन के सहायक निरीक्षक	२	आयोग ने इन पदों के लिये उन अभ्यर्थियों में से दो को संस्तुत किया, जिन्होंने श्रम निरीक्षक के पदों के लिये प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे, क्योंकि दोनों के वेतन-क्रम तथा अर्हतायें समान थीं।
१७	गन्ना विकास विभाग में ग्रूप दो में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास निरीक्षक	२६	इन पदों के लिये उन अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी चुने गये, जिन्होंने सहायक

१	२	३	४
			गन्ना विकास अधिकारी के १४ पदों के लिये प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे।
१८	सूचना विभाग के फिल्म सेक्शन में न्यूजरील केमरामैन	१	शासन ने एक अभ्यर्थी को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया, जिसको आयोग ने साढ़े तीन साल पूर्व फोटोग्राफी और फिल्म्स प्रभारी अधिकारी के पद के लिये आरक्षित सूची में चुना था। आयोग सहमत न हुये और सुझाव दिया कि विज्ञापन के बाद पद के लिये चुनाव किया जाना चाहिये।
१९	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अधीन प्राविधिक सहायक (ट्रेनिंग)	१	जब आयोग के विज्ञापन के फलस्वरूप कोई भी पात्र अभ्यर्थी न मिल सका तो उन्होंने एक ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति को अनुमोदित किया, जिसको उद्योग संचालक ने प्राप्त किया था।
२०	राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर में सहायक अध्यापक	१	अनुमोदित, इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि आयोग ने उसको शक्ति घर (पावर हाउस) अनुदेशक, राजकीय प्राविधिक संस्था, गोरखपुर के पद के लिये चुना था।
२१	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के बाढ़ के संगठन में सहायक जिओ-लाजिस्ट (भौमिकीविज्ञ)	१	अनुमोदित, इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि आयोग ने उसको सिंचाई विभाग के रिहन्द बांध संगठन में सहायक भौमिकीविज्ञ के पद के लिये चुना था।
२२	राजकीय काष्ठकर्म संस्था, इलाहाबाद में सहायक कैबिनेट शिक्षक	१	अनुमोदित, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि आयोग ने अभ्यर्थी को उसी संस्था में काष्ठ कर्म शिक्षक के पद के लिये चुना था।
२३	मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक	३	आयोग ने १९५३ में संस्तुत किया था कि ये अभ्यर्थी अन्यों के साथ नियुक्त किये जायें, किन्तु उस समय उनकी नियुक्ति न हो सकी थी। शासन

१	२	३	४
			ने १९५७ में उनको नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। आयोग सहमत न हुये, क्योंकि चुनाव के बाद एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका था और पुनर्विज्ञापन का सुझाव दिया। शासन सहमत हुये।
२४	आयुर्वेदिक औषधालय, नन्दप्रयाग में प्रभारी वैद्य	१	औषधालय का प्रान्तीयकरण हो जाने के कारण ६ अप्रैल, १९५६ को साक्षात्कार के पश्चात् अनुमोदित।
२५	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	१	अध्याय ७ के पैरा २ में वर्णित विशेष परिस्थिति में अनुमोदित।
२६	(१) कोर्ट आफ वार्ड्स के भूतपूर्व स्पेशल मैनेजरों, (२) सहकारिता विभाग में हलका (सर्किल) अधिकारियों, तथा (३) सिंचाई विभाग के भूतपूर्व उपराजस्व अधिकारियों में से चकबन्दी अधिकारी	३७	आयोग ने २९ अधिकारियों को अनुमोदित नहीं किया और ८ अधिकारियों के विषय में राय देने के पूर्व उनका साक्षात्कार करने का निश्चय किया।
२७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में महिला व्याख्याता	१	अनुमोदित, क्योंकि आयोग ने उनको राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लाहाबाद में २५०–८५० रु० के वेतन–क्रम में महिला अधीक्षक के पद के लिये जून, १९४८ में चुना था और वह पद फरवरी, १९५४ में समाप्त कर दिया गया था।
२८	सहायक सर्विस मैनेजर	२	आयोग ने परामर्श दिया कि दोनों पदों के लिये चुनाव विज्ञापन साक्षात्कार आदि के पश्चात् किया जाना चाहिये जिसमें स्थानापन्न पदधारी भी औरों के साथ भाग लें।
२९	प्रक्षेत्र प्रबन्धक, यन्त्रीकृत राजकीय प्रक्षेत्र	१	आयोग ने परामर्श दिया कि पद के लिये चुनाव विज्ञापन साक्षात्कार आदि के पश्चात् किया जाना चाहिये।
३०	सहकारिता निरीक्षक	१	अनुमोदित, क्योंकि अभ्यर्थी एक पुष्टिकृत ग्राम विकास निरीक्षक था, जो पद तोड़ दिया गया था।
३१	अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा	२	इन डाक्टरों का मूल चुनाव आयोग द्वारा नहीं हुआ था, किन्तु उनकी निरन्तर अस्थायी नियुक्ति (एक की

१	२	३	४
			सन् १९५२ से तथा दूसरे को सन् १९५४ से) का अनुमोदन, विधिवत् चुनाव तक के लिये, समय-समय पर आयोग से प्राप्त कर लिया गया था। १९५६ में शासन ने उनको सेवा के ग्रेड १ में स्थायी रूप से विलीन करने का प्रस्ताव किया। आयोग सहमत न हुये, क्योंकि दोनों ही केवल लाइ-सेन्शियेट थे और मेडिकल ग्रेजुएट न थे, इसलिये अर्ह न थे। किन्तु अभ्यर्थियों के बहुत अभाव के कारण विधिवत् चुनाव होने तक उनकी निरन्तर अस्थायी नियुक्ति का अनुमोदन दे दिया गया।
३२	राजकीय चर्म कर्म विद्यालय में चर्म कर्म शिक्षक	२	उद्योग संचालक ने आयोग से अनुरोध किया था कि वे या तो अभ्यर्थियों को अनुमोदित करें या पदों को विज्ञापित करें। आयोग ने पदों को विज्ञापित करने का निश्चय किया।
३३	राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ में यन्त्र निर्माण के द्वितीय शिक्षक	१	तदेव.
३४	ज्येष्ठ शिक्षक, पन्डित जे० जे० राजकीय पालीटेक्निक अल्मोड़ा	१	तदेव
३५	स्वायल केमिस्ट	१	उद्योग संचालक ने अनुरोध किया कि या तो उनके द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त अभ्यर्थी अनुमोदित किये जायं या पदों को विज्ञापित किया जाय। आयोग ने पदों को विज्ञापित करने का निश्चय किया।
३६	अन्वेषण सहायक (सिल्क वर्म रियरिंग)	१	
३७	एरिया अधीक्षक	२	
३८	निरीक्षक (सेरीकल्चर))	१३	
३९	निरीक्षक (एरीकल्चर)	१	
४०	अधीनस्थ कृषि सेवा	३	अनुमोदित, क्योंकि आयोग ने इन अभ्यर्थियों का विधिवत् चुनाव १९५१ में किया था और बाद में इनको सेवा केवल इसलिये समाप्त कर दी गई थी कि वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था (आई० ए० आर० आई०) में स्नातकोत्तर कोर्स पूरा कर सकें।
४१	पी० एस० एम० एस०	१	अनुमोदित, क्योंकि वे कटरा देवान खेरा, जिला उन्नाव के देहाती अंग्रेजी दवाखाना में प्रभारी डाक्टर थे, जिसका प्रान्तीयकरण हो चुका था।
	योग ...	३१६	

परिशिष्ट ४–अ

बिना विज्ञापन के भर्ती के वे मामले जो १ अप्रैल, १९५७ तक निबटाये नहीं गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	पी० एम० एस० II	२	बांगरमऊ और सिसेंदी औषधालयों का प्रान्तीयकरण हो जाने पर शासन ने प्रस्ताव किया कि उन औषधालयों के इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारियों को पी० एम० एस० II में विलीन कर लिया जाय। जो चरित्रावलियां और अग्रेतर सूचनायें मांगी गई थीं, वे वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुई थीं।
२	क्यूरेटर, आर्कीओलाजिकल म्यूजियम, मथुरा	१	वर्ष के अन्तिम भाग में प्राप्त हुआ।
३	सूचना संचालकालय में प्रकाशन अधिकारी	१	तदेव
४	पी० एम० एस० I	१	जो चरित्रावली फरवरी, १९५५ में मांगी गई थी, वह जुलाई, १९५५ में प्राप्त हुई, किन्तु उसमें १९५३–५४ तथा १९५४–५५ की प्रविष्टियां नहीं थीं, जो मांगी गईं।
५	विद्यालय प्रति–उप–निरीक्षक	१३*	*यह प्रस्ताव किया गया कि १० रिक्तियों को विद्यालय प्रति–उप–निरीक्षकों की सेवा नियमावली, १९४५ के नियम १३ के अनुसार क्षेत्रीय उप–शिक्षा संचालकों द्वारा मनोनीत १३ व्यक्तियों में से भरा जाय, किन्तु पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या आयोग को नहीं बतलाई गई थी। चुनाव की प्रक्रिया के प्रश्न पर शासन से पत्र–व्यवहार होता रहा।
	योग ...	१८	

परिशिष्ट ५

पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
१	उप-जेलर	१०	१४६	सिफारिशें मान ली गईं।
२	ट्रेजरी अफसर	२	७	सिफारिशें मान ली गईं।
३	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा ज्येष्ठ वेतनक्रम :--			
	(क) पुरुष शाखा	१०	२७	आयोग ने १० को पुरुष शाखा के लिये तथा ३ को महिला शाखा के लिये अनुमोदित किया। एक अभ्यर्थी के विषय में शासन के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है। शेष के बारे में सिफारिश मान ली गई।
	(ख) महिला शाखा	७	८	
४	राजकीय नार्मल तथा उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक	२५	४९०	आयोग के सदस्य, श्री राधा कृष्ण की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में २, ३, ४, ७, ९ तथा १० जनवरी, १९५७ और फिर २७ फरवरी, १९५७ को हुई और समिति ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करके चुनाव किया।
५	उप-विद्यालय निरीक्षक	७	१७६	
६	चिकित्सा सचिव की शाखा में निर्देश लिपिक	२	४	सिफारिशें मान ली गईं।
७	उत्तर प्रदेश वन सेवा	३६	६७	आयोग ने फारेस्ट रेंजरों की ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता संख्या ६७ तक के फारेस्ट रेंजरों की चरित्रावलियों का अवलोकन करने के बाद १४ को स्थायी

१	२	३	४	५
				तथा २१ को अस्थायी पदोन्नति के लिये संस्तुत किया। ५ उप-जेलरों को उपयुक्तता के विषय में आयोग ने अपनी राय रोक ली, क्योंकि उनके बारे में कुछ और सूचना की आवश्यकता थी। नवम्बर, १९५६ में शासन ने कुछ कर्मचारियों के मामलों को पुनर्विचारार्थ फिर से निर्देशित किया। वह निर्देश विचाराधीन रहा।
८	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिवालय में सहायक सचिव	२	३	आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में २३ अक्टूबर, १९५६ को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के लिए हुई। सिफारिशें मान ली गईं।
९	सामान्य सचिवालय में शासन के सहायक सचिव	७	२०	सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में ८ सितम्बर, १९५६ को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के लिये हुई। सिफारिशें मान ली गईं।
१०	वित्त विभाग में शासन के सहायक सचिव	२	६	सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में २० अक्टूबर, १९५६ को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के लिये हुई। सिफारिशें मान ली गईं।
११	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में सहायक मत्स्य विकास अधिकारी (स्टाकिंग)	१	५	तीन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लखनऊ में १५ नवम्बर, १९५६ को सदस्य, श्री राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ने किया। सिफारिशें मानली गईं।

१	२	३	४	५
१२	पी० एम० एस० (महिला II)	१	१	सिफारिशें मान ली गईं।
१३	उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग में अधीक्षक	४	१३	अभ्यथियों का साक्षात्कार लखनऊ में २५ अक्टूबर, १९५६ को आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ने किया। सिफारिशें मान ली गईं।
१४	सामान्य सचिवालय में अधीक्षक	२१	३६	आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ने ११ स्थायी तथा १० अस्थायी रिक्तियों के लिये चुनाव करने के हेतु लखनऊ में ११ व १२ दिसम्बर, १९५६ को ३४ अभ्यथियों का साक्षात्कार किया (और २ अभ्यथियों के मामलों पर उनकी गैर-हाजिरी में विचार किया)। सिफारिशें मान ली गईं, लेकिन केवल ९ स्थायी पदों पर नियुक्ति की गई, क्योंकि अन्य दो रिक्तियां, जिनकी सम्भावना थी, नहीं हुईं।
१५	सहायक मुख्य चुनाव अधिकारी, उत्तर प्रदेश	१	१५	तीन अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये सदस्य, श्री सु० न० म० त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति द्वारा बुलाये गये, जिसकी बैठक लखनऊ में १६ फरवरी, १९५७ को हुई। सिफारिशें मान ली गईं।
१६	खन्ड विकास अधिकारी (ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर)	...	...	आयोग सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रस्ताव से सहमत न हुये और परामर्श दिया कि सभी पदों को खुली भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिये।
१७	उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग में अधीक्षक	२	५	चरित्रावलियों के आधार पर सिफारिश करदी गई। परामर्श मान लिया गया।

१	२	३	४	५
१८	सामान्य सचिवालय में अधीक्षक	४	१७	चरित्रावलियों के आधार पर सिफारिश कर दी गई। परामर्श मान लिया गया।
१९	राजकीय काष्ठशिल्प संस्था, इलाहाबाद में काष्ठ-शिल्प शिक्षक	१	४	तदेव
२०	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता	५	१६	विभागीय चुनाव समिति ५ रिक्तियों के लिये केवल २ अभ्यर्थी संस्तुत कर सकी थी। आयोग ने उन दोनों अभ्यर्थियों को भी अनुपयुक्त समझा। अतः सीधी भर्ती द्वारा चुने हुये अभ्यर्थियों को उन पदों पर नियुक्त किया गया।
२१	वित्त विभाग में सहायक सचिव	२	७	चरित्रावलियों के आधार पर सिफारिश की गई। परामर्श मान लिया गया।
२२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (तर्क-शास्त्र)	३	५	चरित्रावालियों के आधार पर सिफारिश की गई। परामर्श मान लिया गया।
२३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (गणित)	१३	३१	तदेव
२४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	२	२	तदेव
२५	उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	७	११	अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ने ११ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लखनऊ में २६ अक्तूबर, १९५६ को किया और उनमें से ५ को स्थायीनियुक्ति एवं ३ को अस्थायी नियुक्ति के लिये संस्तुत किया।

१	२	३	४	५
				स्थायी नियुक्ति के लिये संस्तुत अभ्यर्थियों में से एक जब सेवा-निवृत्त हो गया, तब चुनाव समिति की बैठक १३ मार्च, १९५७ को फिर हुई, जिसने ६ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के बाद एक और को स्थायी नियुक्ति के लिये संस्तुत किया। स्थायी नियुक्ति के लिये संस्तुत ६ कर्मचारियों में से ४ की नियुक्ति हो गई। शेष दो कर्मचारियों के बारे में शासन की आज्ञा वर्ष के अन्त तक नहीं आई थी।
२६	विद्युत् विभाग में सहायक अभियन्ता	२	२	एक के बारे में सलाह मान ली गई। दूसरे के बारे में वर्ष के अन्त तक शासन की आज्ञा नहीं आई थी।
२७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (रसायन शास्त्र)	७	६	केवल ४ उपयुक्त कर्मचारियों को, जिनको विभागीय चुनाव समिति ने संस्तुत किया था, आयोग ने अनुमोदित किया। शेष ३ रिक्तियाँ शिक्षा संचालक के इच्छानुसार विज्ञापित की गईं। सिफारिशें मान ली गईं।
२८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक, (भौतिक शास्त्र)	१०	८	पदोन्नति के लिये केवल ८ अध्यापक पात्र मिले, जो अनुमोदित किये गये। शेष दो रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिये छोड़

१	२	३	४	५
				दिया गया । सलाह मान ली गई ।
२९	जिला रसद अधिकारी	२०	८०	आयोग ने एरिया राशनिंग अफसरों में से २६ अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिये उपयुक्त संस्तुत किया । वर्ष के अन्त तक नियुक्ति आज्ञा की प्रतीक्षा थी ।
३०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (नागरिक शास्त्र)	३	८	सिफारिशें मान ली गईं ।
३१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (इतिहास)	५	१७	तदेव
३२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अर्थशास्त्र)	३	७	तदेव
३३	अधीनस्थ श्रम सेवा, ग्रूप ३	२	१४	तदेव
३४	उत्तर प्रदेश सचिवालय की न्यायिक शाखा में निर्देश लिपिक	३	८	तदेव
३५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (संस्कृत)	९	१५	तदेव
३६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अरबी तथा फारसी)	५	६	तदेव
३७	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में कृषि में व्याख्याता	१	५	तदेव
३८	अधीनस्थ गन्ना सेवा के द्वितीय ग्रूप में सहायक गन्ना विकास अधिकारी	७	...	गन्ना आयुक्त को सलाह दी गई कि चूंकि कोई सेवा नियम नहीं है, इसलिये जिन सिद्धांतों के आधार पर उस सेवा के तृतीय ग्रूप में से

१	२	३	४	५
				द्वितीय ग्रूप में पदोन्नति की जानी हो, पहले उनको आयोग की सलाह से तय कर लेना चाहिये और तब उन सिद्धांतों के अनुसार एक नया चुनाव किया जाना चाहिये।
३९	सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	१	सिफारिश मान ली गई।
४०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी)	१६	२७	तदेव
४१	पी० एम० एस० १	२९	२३६	शासन को सलाह दी गई कि पात्र अभ्यर्थियों की सूची को आयु गणना की सही निर्णायक (क्रूशियल) तिथि के अनुसार संशोधित कर लिया जाय और तब १५ मई, १९५६ की शासनाज्ञा के अनुसार आयोग को अग्रेतर निर्देश किया जाय।
४२	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में हिन्दी अध्यापक	२२	४	केवल ४ पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे और वे सब अनुमोदित किये गये। आयोग ने सलाह दी कि शेष १८ रिक्तियों को सीधी भरती द्वारा भरा जाय। सलाह मान ली गई।
४३	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	१	९	सलाह मान ली गई।
४४	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापिकायें	४१	४३	पदोन्नति के लिये केवल ३० अभ्यर्थी उपयुक्त पाये गये और संस्तुत किये गये। सलाह मान ली गई।

१	२	३	४	५
४५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भूगोल)	७	२५	सलाह मान ली गई।
४६	सिंचाई विभाग में उप-राजस्व अधिकारी	२	२	तदेव
४७	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में सहायक लेखा परीक्षक	१	९	सिफारिश मान ली गई।
४८	गन्ना विकास विभाग में लेखा परीक्षा पर्यवेक्षक	२	११	तदेव
४९	गन्ना विकास विभाग में लेखा परीक्षक	६	१७	सदस्य, श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ने लखनऊ में १९ फरवरी, १९५७ को १० कर्मचारियों का साक्षात्कार किया। सिफारिश मान ली गई।
५०	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में दुग्धालय तथा पशु-इन्चार्ज	१	१०	सिफारिश मान ली गई।
५१	कोषाधिकारी (ट्रेजरी आफिसर)	२	१८	विभागीय चुनाव समिति ने जिन दो अभ्यर्थियों को संस्तुत किया था, उनमें से एक की मृत्यु हो गयी थी। आयोग ने दूसरे अभ्यर्थी को अनुमोदित किया और दूसरी रिक्ति के लिये फिर से चुनाव करने की सलाह दी। सलाह मान ली गई।
५२	कार्यालयों के निरीक्षक	२	२२	आयोग ने इलाहाबाद में ९ फरवरी, १९५७ को ९ कर्मचारियों का साक्षात्कार करके अपनी संस्तुति भेजी। एक के बारे में संस्तुति मान ली गई। दूसरे के बारे में आज्ञा की प्रतीक्षा है।

२	२	३	४	५
५३	तहसीलदार	६	१०	जिन ६ कर्मचारियों को आयोग ने दिसम्बर, १९५५ में पदोन्नति के लिये संस्तुत किया था, उनके मामलों को भूमि व्यवस्था आयुक्त ने आयोग को पुनर्विचारार्थ लौटा दिया था। आयोग ने १७ सितम्बर, १९५६ को १० उपाधिकारियों का साक्षात्कार करने के बाद अपनी अन्तिम सलाह भेजी। सलाह मान ली गई।
५४	फारेस्ट रेंजर	५१	७४	७४ उपरेंजरों की चरित्रा-वलियों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने १७ को स्थायी पदोन्नति के लिये, २३ को दीर्घावधि वाली रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नति के लिये तथा ७ को अल्पावधि स्थानापन्न रिक्तियों में परीक्षणार्थ संस्तुत किया, और ४ उपाधिकारियों के बारे में अग्रेतर सूचना प्राप्त होने तक अपनी सलाह रोक रखी। सलाह मान ली गई।
५५	नायब तहसीलदार तथा पेशकार	११	१६	आयोग ने जिन अभ्यर्थियों को उनकी चरित्रावलियों के आधार पर पदोन्नति के लिये संस्तुत किया था, उनमें से ११ अभ्य-र्थियों के मामले उनके पास पुनर्विचारार्थ लौटाये गये थे। आयोग ने २९ अक्टूबर, १९५६ को १६ उपाधि-कारियों का साक्षात्-कार करने के बाद

१	२	३	४	५
६०	नियोजन विभाग में उपपरियोजना अधिशासी अधिकारी (डिप्टी प्रोजेक्ट इक्जीक्यूटिव आफिसर)	५३	१७५	सदस्य, श्री पीताम्बर दत्त पान्डे की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ने लखनऊ में १६ से २१ अप्रैल, १९५६ को १७५ उपाधिकारियों का साक्षात्कार किया और ६१ व्यक्तियों का चुनाव किया।
६१	प्रधानाचार्य, ट्रेनिंग कम एक्सटेंशन केन्द्र	९	...	आयोग ने सलाह दी कि इन पदों पर विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिये, न कि विभागीय चुनाव समिति द्वारा उपपरियोजना अधिशासी अधिकारी के पदों के लिये चुने हुये ६१ उपाधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा।
६२	पंचायत निरीक्षक	१४	८५	आयोग ने चरित्रावलियों के आधार पर १४ उपाधिकारियों को पदोन्नति के लिये संस्तुत किया। सलाह मान ली गई।
६३	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास (प्रथम) में उपनिबन्धक	१	१	आयोग ने सलाह दी कि स्थायी पद पर पदोन्नति के लिये नियमित ढंग से फिर से चुनाव किया जाय।
६४	अधीक्षक, गोपनीय विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय	१	१	आयोग ने सलाह दी कि चुनाव नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी--५०-१९५५, दिनांक १५ मई, १९५६ में दी हुई संशोधित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिये।

१	२	३	४	५
६५	सामान्य सचिवालय में अधीक्षक	१	१	यह मामला आयोग को पुर्नविचारार्थ भेजा गया था। आयोग पुर्नविचार करने पर भी प्रस्तावित स्थायी नियुक्ति से सहमत नहीं हुये, क्योंकि सम्बन्धित उपाधिकारी की चरित्रावली की प्रविष्टियों के आधार पर प्रस्ताव का औचित्य नहीं था।
६६	सूचना संचालकालय में अधीक्षक	१	१	अनुमोदित।
६७	उत्तर प्रदेश कृषि संचालक के मुख्यालय में जिला कृषि अधिकारी (पब्लिक रिलेशन्स)	१	*	*पदोन्नति द्वारा चुनाव का निर्देश लौटा लिया गया और उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के उपविभाग (सी) के एक अधिकारी को उस पद पर हस्तान्तरित किया गया।
६८	पी० एम० एस० द्वितीय	४	६	४ पी० एस० एम० एस० डाक्टर, जिन्होंने संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोर्स पास कर लिया था, पदोन्नति के लिये अनुमोदित किये गये।
	योग ...	५७७	२,१७१	

परिशिष्ट ५—अ

पदोन्नति द्वारा भर्ती के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५७ तक निपटाये नहीं गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	न निपटाये जाने के कारण तथा अन्य अभ्युक्तियां
१	२	३	४
१	सहायक आबकारी आयुक्त	२	आयोग ने ८३ पात्र उपाधिकारियों की चरित्रावलियों का अवलोकन करने के बाद, उनमें से १४ का साक्षात्कार करने का निश्चय किया। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में साक्षात्कार न किया जा सका।
२	आबकारी अधीक्षक	३	
३	उत्तर प्रदेश वन सेवा	८	इन उपाधिकारियों के मामलों को आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास लौटा दिया गया था, देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या ७।
४	अतिरिक्त कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश	१	कुछ सूचना मांगी गई।
५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम	१९	कुछ पूछ-ताछ की गई।
६	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास दो में सहायक निबन्धक	२१	७९ पत्र उपाधिकारियों की अद्यावधिक चरित्रावलियां मांगी गई।
७	पशुपालन संचालक के वैयक्तिक सहायक	१	पत्र-व्यवहार होता रहा।
८	उपप्रधान कारागार निरीक्षक	२	६ अभ्यर्थियों को लखनऊ में ९ फरवरी, १९५७ को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था, जिनमें से ५ का साक्षाकार उस दिन किया गया क्योंकि एक नहीं आया था। जिस समिति की अध्यक्षता सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला ने की थी, उसने अपनी संस्तुतियों को अन्तिम रूप देने से पूर्व एक और अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने का निश्चय किया।

१	२	३	४
९	विधान सभा सचिवालय में कोषा-ध्यक्ष	४	सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्रावलियां मांगी गईं।
१०	राजकीय हाई तथा नार्मल विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकायें	२२	कुछ सूचनायें, जो मांगी गई थीं, वर्ष के अन्तिम भाग में प्राप्त हुईं।
११	बालिका विद्यालयों की निरीक्षिकायें	१५	तदेव
१२	उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा में लेखा अधिकारी	४	पात्र उपाधिकारियों की कुल संख्या ४८ थी। उनकी चरित्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने निश्चय किया कि उनमें से २० अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सदस्य, श्री राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति द्वारा किया जाय। वर्ष के अन्दर समिति की बैठक न हो सकी।
१३	तहसीलदार	५४	२२४ चरित्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने निश्चय किया कि १५२ उपाधिकारियों का साक्षात्कार सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला की अध्यक्षता में एक तदर्थ चुनाव समिति द्वारा किया जाय। वर्ष के अन्दर समिति की बैठक न हो सकी।
१४	सिंचाई विभाग में उपराजस्व अधिकारी	२२	चार रिक्तियों के बारे में निर्देश १९५५-५६ में आया था। उनके बारे में कुछ पूछ-ताछ की गई। १८ रिक्तियों के बारे में निर्देश वर्ष के अन्तिम भाग में प्राप्त हुआ था।
१५	सिंचाई विभाग में विद्युत् एवं यांत्रिक पर्यवेक्षक	२२	--
१६	सिंचाई विभाग में यांत्रिकी (मेकेनिक्स)	४	..

१	२	३	४
१७	कोषाधिकारी	१०	वर्ष के अन्तिम भाग में प्राप्त हुआ ।
१८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा ज्येष्ठ वेतन-क्रम में कृषि अर्थशास्त्री (एकोनामिस्ट)	१	तदेव
१९	उप-प्रधानाचार्य, बालकों के लिये राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर	१	तदेव
२०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में लेखा अधिकारी	१	तदेव
२१	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक के वैयक्तिक सहायक	१	तदेव
२२	कृषि संचालक के वैयक्तिक सहायक	१	चरित्रावलियों की प्रतीक्षा थी।
२३	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में ट्राफिक सुपरिन्टेन्डेंट	४	कुछ सूचनायें तथा चरित्रावलियां मांगी गयीं ।
२४	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रुप में ज्येष्ठ वृक्ष रक्षा सहायक (कवक विज्ञान) (माइकोलाजी)	१	पत्र-व्यवहार होता रहा ।
२५	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	७	९१ पात्र अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करने के बाद आयोग ने निश्चय किया कि उनमें से १९ उपाधिकारियों का साक्षात्कार अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति द्वारा किया जाय । प्रतिवेदनाधीन वर्ष में चुनाव की बैठक न हो सकी ।
२६	अधीनस्थ श्रम सेवा के द्वितीय ग्रुप में श्रम निरीक्षक	९	कुछ सुचनायें मांगी गयीं ।
२७	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रुप	८	कुछ चरित्रावलियां मांगी गयीं।
२८	उद्योग के सहायक संचालक (गोदाम-स्टोर्स)	१	मार्च, १९५७ में शासन से निवेदन किया गया कि या तो सभी पात्र उपाधि-

१	२	३	४
			कारियों की चरित्रावलियां भेज दी जायं या नियुक्ति (ख) विभाग ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी--५०-१९५५, दिनांक १५ मई, १९५६ में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार एक दूसरा निर्देश भेजा जाय।
२९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	६१	सम्पूर्ण चरित्रावलियों की प्रतीक्षा की जाती रही।
३०	उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा सिंचाई विभाग (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में सहायक अभियन्ता	२	चरित्रावलियां वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुई थीं।
३१	डिप्टी कलेक्टर	७	पत्र-व्यवहार होता रहा।
३२	फारेस्ट रेंजर्स	४	कुछ सूचनायें मांगी गईं (देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या ५४)।
३३	अधीनस्थ पशु चिकित्सा सेवा के उपविभाग 'ए' में पशु चिकित्सा निरीक्षक	१२	चरित्रावलियों की प्रतीक्षा थी।
३४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास १ में कृषि अभियन्ता	१	वांछित सूचना की प्रतीक्षा थी।
३५	कृषि महाविद्यालय, कानपुर में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक	१	कुछ पूछ-ताछ की गई।
३६	पंचायत लेखा परीक्षा संगठन में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	५	कुछ सूचनायें तथा चरित्रावलियां मांगी गईं।
३७	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास १ में उप निबन्धक	८	यह निश्चय किया गया कि इन दीर्घावधि स्थानापन्न रिक्तियों के लिये सदस्य, श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ११ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के बाद चुनाव करेगी। समिति की बैठक वर्ष में न हो सकी।
३८	उप निबन्धक, सहकारी समितियां, क्लास १	१	यह निश्चय किया गया कि ऊपर मद संख्या ३७ में उल्लिखित चुनाव समिति इस स्थायी रिक्ति के लिये भी चुनाव करेगी।

१	२	३	४
३९	नियोजन विभाग में २५०–८५० रुपये के वेतन–क्रम में ७५ रुपया विशेष वेतन के साथ उप परि–योजना अधिशासी अधिकारी	८	सभी पात्र उपाधिकारियों की एक ज्येष्ठता सूची तथा आवश्यक चरित्रावलियां मांगी गईं।
४०	नियोजन विभाग में २५०–५०० रुपये के वेतन–क्रम में ५० रुपया विशेष वेतन के साथ उप–परियो–जना अधिशासी अधिकारी	८१	तदेव
४१	रासायनिक सहायक	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ।
४२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान)	५	कुछ पूछ–ताछ की गई।
४३	सहकारिता लेखा परीक्षा संगठन में ज्येष्ठ लेखा–परीक्षक	५	सम्पूर्ण चरित्रावलियां वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुईं।
	योग ...	४५१	

परिशिष्ट ५—ब

उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या ४७६०/२-बी—५०-५५, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५६ द्वारा संशोधित ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी—५०-५५, दिनांक १५ मई, १९५६ की प्रतिलिपि।

चूंकि शासन ने आनुशासनिक कार्यवाही जांच समिति की सिफारिशों पर पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि पदोन्नति के लिये श्रेष्ठता को एकमात्र कसौटी मानना चाहिये, इसलिये सरकार राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से एक नई प्रक्रिया को निर्धारित करने के प्रश्न पर कुछ समय पूर्व से विचार कर रही थी। इस मामले पर सावधानी से विचार करने के बाद नियुक्ति विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या ४८६५/२—१८८-४१, दिनांक ३० जनवरी १९४२, में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुये राज्यपाल ने आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले पदों का पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के लिये निम्नलिखित संशोधित प्रक्रिया को निर्धारित किया है :—

(१) विभागाध्यक्ष अथवा उसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अथवा, यदि कोई विभागाध्यक्ष न हो, तो प्रशासन विभाग के शासकीय सचिव को किसी वर्ष विशेष के उच्चतर सेवा या पंक्ति में पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करनी चाहिये। इस सूची में अभ्यर्थियों की संख्या उन रिक्तियों की संख्या से दूनी होनी चाहिये, जिनको उस वर्ष के दौरान में मौलिक रूप से भरने का विचार हो।

(२) नामों को श्रेष्ठता के क्रम में रखना चाहिये, ज्येष्ठतानुसार नहीं।

(३) यथास्थिति, विभागाध्यक्ष या शासकीय सचिव को एक पूरक सूची भी तैयार करनी चाहिये, जिसमें उन उपाधिकारियों के नाम हों, जिनको वह वर्ष के दौरान में स्थानापन्न या अस्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझता हो। इस सूची में अभ्यर्थियों की संख्या यथा सम्भव उस अनुमानित संख्या के बराबर होनी चाहिये, जितनी संख्या में वर्ष के दौरान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के होने की सम्भावना हो।

(४) इन दोनों सूचियों की एक ज्येष्ठता सूची, जिसमें ज्येष्ठों, यदि कोई हों, के अवक्रमण के कारण दिये हों तथा सभी पात्र उपाधिकारियों की चरित्रावलियों के साथ लोक सेवा आयोग के पास भेज देनी चाहिये। लोक सेवा आयोग उनकी चरित्रावलियों का अवलोकन करेंगे और दोनों सूचियों में नये नाम, जैसा वे चाहें, जोड़ेंगे। तत्पश्चात् वे सभी कागज-पत्रों को नियुक्ति प्राधिकारी के पास लौटा देंगे।

(५) तब नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से एक तिथि निश्चित करेगा और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जिनके नाम लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की हुई अन्तिम सूचियों में अन्तर्विष्ट रहेंगे। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एक चुनाव समिति करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(१) लोक सेवा आयोग का एक प्रतिनिधि समिति की अध्यक्षता करेगा,

(२) यथास्थिति विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी अथवा शासकीय सचिव, और

(५) विभाग का एक और ज्येष्ठ अधिकारी जिसको नियुक्ति प्राधिकारी या शासन मनोनीत करना चाहे।

(६) साक्षात्कार के बाद जो अभ्यर्थी चुने जायेंगे, आयोग औपचारिक रूप से उनके नाम शासन या नियुक्ति प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष) के पास भेजेगा और आयोग का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) पहिली सूची में चुने हुये उपाधिकारियों के नाम पेरेन्ट सर्विस में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में फिर से रखे जायेंगे और उनकी नियुक्ति मौलिक रिक्तियों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या तक की जायगी, जिससे स्थायी रिक्तियों में वास्तविक नियुक्तियां हो जायं। श्रेष्ठता के क्रम में नियुक्ति करने के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जायगा। पहली सूची के शेष नामों तथा दूसरी सूची के नामों को मिलाकर यह समझा जायगा कि वह एक प्रवर सूची (सेलेक्ट लिस्ट) बनी है और जब-जब वर्ष के दौरान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियां होंगी तब-तब उन रिक्तियों पर वे अभ्यर्थी उस क्रम में नियुक्त किये जायेंगे, जिस क्रम में उनके नाम श्रेष्ठता सूची में रहेंगे। यह 'प्रवर सूची' एक वर्ष तक या अगले चुनाव में पुनरीक्षण होने तक लागू रहेगी।

(८) यदि लगातार दो वर्ष तक स्थायी रिक्तियां न हों और केवल स्थानापन्न तथा अस्थायी रिक्तियों के लिये चुनाव करना आवश्यक हो जाय, तो ऊपर विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा, सिवाय इसके कि यदि समिति चाहे तो उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार न करे, जिनका साक्षात्कार पहले ही पूर्व चुनाव में हो चुका हो।

२--सचिवालय के सभी विभागों से अनुरोध है कि वे तदनसार अपनी सेवा नियमा-वलियों को संशोधित कर लें।

परिशिष्ट ६

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	पी० एम० एस० दो (पुरुष शाखा)	८१	अनुमोदित।
२	पी० एम० एस० दो (महिला-शाखा)	२३	एक महिला को हटा देने की संस्तुति की गई। शेष अनुमोदित की गईं।
३	प्रधानाचार्य, कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१	आयोग ने पूछा कि चुनाव समस्त पात्र अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठता के आधार पर किया गया था या नहीं और सब पात्र उपाधिकारियों की चरित्रा-वलियों को भी मांगा। तत्पश्चात् शासन ने उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरने का निश्चय किया, जिससे आयोग सहमत हुये।
४	सहायक भौमिकीविद् (जिओलाजिस्ट)	२	अनुमोदित। ये सब पद भौमिकी तथा खनिक्रम (जियोलाजी तथा माइनिंग) संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत हैं।
५	भू रसायनज्ञ (जियोकेमिस्ट)	१	
६	प्रविधिक सहायक	४	
७	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में कार्डियोलाजी में व्याख्याता	१	अनुमोदित।
८	उप-प्रधान कारागार निरीक्षक	१	आयोग ने सलाह दी कि पद का चुनाव नियमित ढंग से किया जाना चाहिये।
९	शाकाणु विद्या (बैक्टीरियोलाजी) में सहायक प्राध्यापक, पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा	१	अनुमोदित।

१	२	३	४
१०	नियोजन, अनुसंधान तथा कार्यवाही संस्था में विस्तार (भूमि-संरक्षण) के विशेषज्ञ के सीनियर एसोशियेट	१	आयोग ने सलाह दी कि पद को विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् भरा जाय और स्थानापन्न पदधारी औरों के साथ चुनाव में भाग लें।
११	सहकारिता लेखा परीक्षा संगठन में क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी	३	अनुमोदित।
१२	राजकीय बालिका पोलीटेक्निक, रामपुर की मुख्याध्यापिका	१	अनुमोदित।
१३	विशेष कार्याधिकारी (पाठ्य पुस्तकें) के कार्यालय में विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में साहित्यिक सहायक	३	चूंकि नियुक्तियां पदोन्नति की विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थीं, इसलिये आयोग निरन्तर अस्थायी नियुक्तियों के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुये और सुझाव दिया कि चुनाव सम्पूर्ण पात्रता-क्षेत्र में से विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।
१४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में मुख्याध्यापिकायें	१२	आयोग ने ७ को नियुक्ति के लिये और ५ को अवक्रमित किये जाने के लिये अनुमोदित किया।
१५	कैटिल ब्रीडिंग-कम-डेयरी फार्म, कालसी, जिला देहरादून में कल्टीवेशन इन्चार्ज	१	अनुमोदित।
१६	प्रान्तीय रक्षक दल मुख्यालय में सहायक कमान्डेन्ट (नवयुवक कल्याण संगठन)	१	६ मास अथवा नियमित चुनाव होने तक के लिये, जो भी पहले हो, अनुमोदित।
१७	आर्थिक बोध निरीक्षक	३६	अनुमोदित।
१८	राजकीय सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में परियोजना अभियन्ता	१	आयोग ने परामर्श दिया कि चुनाव विज्ञापन और साक्षात्कार के पश्चात् नियमित ढंग से किया जाना चाहिये और एक आलेख्य विज्ञापन मांगा।

१	२	३	४
१९	सार्वजनिक निर्माण (ख) विभाग में सहायक अभियन्ता	२७	आयोग ने २३ को केवल ३१ दिसम्बर, १९५७ तक निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया तथा नियमित चुनाव करने के लिये एक आलेख्य विज्ञापन मांगा।
२०	नियोजन, अनुसंधान तथा कार्य-वाही संस्था के संचालक के कार्यालय में अधीक्षक	१	अनुमोदित।
२१	राजकीय दुग्धालय फार्म, चक गंजरिया, लखनऊ के सहायक दुग्धालय प्रबन्धक	१	अनुमोदित।
२२	पाइलाट परियोजना, इटावा में उप परियोजना अधिशासी अधि-कारी, भाग्यनगर तथा उप-विकास अधिकारी (कृषि)	२	आयोग ने परामर्श दिया कि चुनाव विज्ञापन और साक्षात्कार के पश्चात् नियमित ढंग से किया जाना चाहिये और एक आलेख्य विज्ञापन मांगा।
२३	यात्री विकास अधिकारी, क्षेत्रीय यात्री शाला, कुमायूं, नैनीताल	१	आयोग ने विज्ञापन करके सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करन का परामर्श दिया, जिसमें स्थानापन्न पदधारी औरों के साथ चुनाव में भाग लें।
२४	उद्योग संचालकालय के काम-शियल इन्टेलिजेंस सेक्शन में पुस्तकाध्यक्ष	१	उद्योग संचालक ने पद का विज्ञापन स्वयं निकाल कर एक अभ्यर्थी का चुनाव कर लिया था और उसकी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिये आयोग से अनुरोध किया था। आयोग ने परामर्श दिया कि पद उनके विचार-क्षेत्र में नहीं था।
२५	डिप्टी कलेक्टर	२	जिन दो तहसीलदारों को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया था, वे पद की सेवा नियमावली के नियम १०(२) के अनुसार पदोन्नति के लिये अपात्र थे। अतः अनुमोदित नहीं किये गये।
२६	उत्तर प्रदेश लेखा सेवा में कोषा-धिकारी	१	चूंकि अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रतियोगि-तात्मक परीक्षा के आधार पर संस्तुत किया गया था, किन्तु उसने विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से नहीं पास की थी, इसलिये उसकी स्थानापन्न नियुक्ति का अनुमोदन तब तक के लिये किया गया, जब तक कि वह सम्पूर्ण विभागीय परीक्षा न पास कर ले।

१	२	३	४
२७	विशेष भूमि अवाप्ति एवं-पुनर्वास अधिकारी, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज	१	मार्च, १९५७ तक अनुमोदित।
२८	एक केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक	५	अनुमोदित।
२९	यन्त्रीकृत राजकीय फार्म के फार्म मैनेजर (राजपत्रित)	१	अनुमोदित।
३०	सहायक कस्टोडियन, निष्क्रान्त सम्पत्ति	७	अनुमोदित।
३१	सहकारी समितियों, ग्रेड दो के निरीक्षक	१	अनुमोदित।
३२	उप-संचालक, समाज कल्याण (महिलायें)	१	अनुमोदित।
३३	सचिव, विधान परिषद्	१	अनुमोदित।
३४	कृषि महाविद्यालय, कानपुर में कृषि के सहायक प्राध्यापक	२	दो पात्र उपाधिकारियों के मामलों पर विचार करके एक को अनुमोदित किया।
३५	श्रम आयुक्त के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी (हाउसिंग)	१	अनुमोदित।
३६	ज्येष्ठ सांख्यिकीय सहायक	१	अनुमोदित।
३७	सांख्यिकीय अधीक्षक	१	अनुमोदित।
३८	स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के कार्यालय में सहायक लेखा परीक्षक	१	उसके हीन सेवा अभिलेखों को दृष्टि में रखते हुये उसको अनुमोदित नहीं किया गया।
३९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	२२	अनुमोदित।

१	२	३	४
४०	केन्द्रीय दुग्धालय प्रक्षेत्र (फार्म), अलीगढ़ में पिगरी विशेषज्ञ	१	अनुमोदित।
४१	जिला पशुधन अधिकारी	१	अननुमोदित। केवल श्रेष्ठता के आधार पर, फिर से चुनाव करने की सलाह दी गई।
४२	श्रम निरीक्षक	६	श्रम आयुक्त को सलाह दी गई कि दीर्घावधि की रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव करने के संबंध में निर्देश स्थायी पदोन्नति के लिये निर्देश के साथ १५ मई, १९५६ के नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप के अनुसार किया जाय।
४३	सहायक अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित।
४४	राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के लिये आधुनिक विषयों के अध्यापक	९	सात अध्यापकों को अनुमोदित किया गया और दो को, जो अर्ह नहीं थे, हटा देने की संस्तुति की गई।
४५	कोषाधिकारी	१४	आयोग ने ५ उपाधिकारियों को अनुमोदित किया। ४ उपाधिकारियों के विषय में उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति से उनसे ज्येष्ठ दो उपाधिकारियों का अवक्रमण उचित नहीं ठहरता। दो उपाधिकारियों के मामलों पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि उनमें से एक जल्दी ही सेवा-निवृत्त होने वाला था और दूसरे की चरित्रावली की प्रतीक्षा थी। एक उपाधिकारी के बारे में आयोग ने कहा कि चरित्रावली के आधार पर उसका अस्थायी रूप से भी चलते रहना उचित नहीं है।
४६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कृषि पर्यवेक्षक	५	अनुमोदित।

१	२	३	४
४७	पुस्तकाध्यक्ष, विधिक परामर्शदाता का पुस्तकालय	१	अनुमोदित ।
४८	अनु-निबन्धक (सब-रजिस्ट्रार)	२	अननुमोदित (नियमित ढंग से पदोन्नति द्वारा चुनाव करने की सलाह दी गई)।
४९	अंशकाल अनु निबन्धक	२	सेवा नियमावली के अन्ततः बनने तक अनुमोदित।
५०	उप संचालक, यंत्रीकृत राजकीय प्रक्षेत्र	१	कार्योत्तर अनुमोदन इस अभ्युक्ति के साथ दिया गया कि मामले का निर्देश आयोग को और पहले कर देना चाहिये था ।
५१	उत्तर प्रदेश शासन के रसायन परीक्षक के विभाग में रासायनिक सहायक	७	दिसम्बर, १९५७ तक इस शर्त के साथ अनुमोदित किये गये कि यदि उस मास के बाद रिक्तियों के चलते रहने की संभावना हो तो उनके लिये चुनाव नियमित ढंग से किया जाय।
५२	नियोजन, अनुसन्धान तथा कार्यवाही संस्था, उत्तर प्रदेश में सहकारिता के विशेषज्ञ के सीनियर असोसियेट	१	२५ जनवरी, १९५५ से २ जून, १९५६ तक की नियुक्ति अनुमोदित ।
५३	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापिकायें	३६	अनुमोदित, किन्तु यह परामर्श दिया गया कि उनमें से ७, जो अनर्ह हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र हटा दिया जाय ।
५४	प्रयोगशाला सहायक एवं यान्त्रिक, राजकीय ज्योतिष वेधशाला, नैनीताल	१	अननुमोदित, क्योंकि स्थानापन्न पदधारी में पद के लिये विहित अर्हतायें नहीं थीं।
५५	प्रधानाचार्य, राजकीय प्राच्य महाविद्यालय (मदरसा आलिया), रामपुर	१	अनुमोदित।
५६	डिप्टी कलेक्टर	२	आयोग ने १९५५ में परामर्श दिया था कि ये दोनों तहसीलदार निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के

१	२	३	४
			लिये उपयुक्त नहीं थे और इन्हें प्रत्यावर्तित किया जाय । पहले तो शासन ने इन्हें प्रत्यावर्तित करना स्वीकार कर लिया । लेकिन बाद में उनके मामलों को आयोग के पुर्नविचारार्थ फिर भेजा । पुर्नविचार के बाद आयोग अपने पूर्व निश्चय पर दृढ़ रहे, पर अन्त में इससे सहमत हुये कि उनमें से एक को, जो दूसरे राज्य में प्रतिनिधायन पर था, वहीं रहने दिया जाय । दूसरा प्रत्यावर्तित कर दिया गया ।
५७	पी० एम० एस० (डब्ल्यू) १ में पागलों के अस्पताल आगरा की महिला शाखा के इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारी	१	३१ दिसम्बर, १९५६ तक की नियुक्ति के लिये अनुमोदित ।
५८	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापक	३	अनुमोदित ।
५९	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापिकायें	२९	अनुमोदित ।
६०	अंशकालिक अनु-निबन्धक (सब-रजिस्ट्रार)	७	३१ दिसम्बर, १९५६ तक के लिये या तब तक की नियुक्ति के लिये अनुमोदित, जब तक कि नियमावली अन्तिम रूप से न बन जाय, जो भी पहले हो ।
६१	सहकारिता निरीक्षक	२	६ मास के लिये अनुमोदित किया गया और यह परामर्श दिया गया कि इस बीच सम्पूर्ण पात्रता-क्षेत्र में से केवल श्रेष्ठता के आधार पर नियमित चुनाव कर लिया जाय ।
६२	कृषि अधिकारी/सहायक उपनिवेशन अधिकारी, राजकीय स्टेट फार्म, तराई जिला नैनीताल	१	केवल ३१ मार्च, १९५७ तक की नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया गया और यह सुझाव

१	२	३	४
			दिया गया कि पहले आयोग से परामर्श करके पद के लिये चुनाव करने के सामान्य सिद्धांत तथा उसकी रीति का निश्चय कर लिया जाय ताकि उसके लिये चुनाव नियमित ढंग से अधिक से अधिक मार्च, १९५७ के अन्त तक किया जा सके ।
६३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में अनाटमी में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।
६४	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र निर्माण (टेक्सटाइल) संस्था, कानपुर में वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिक उप-विभाग के प्रधान	१	३१ मार्च, १९५७ तक की नियुक्ति के लिये अनुमोदित ।
६५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में सहायक अध्यापिकायें	१६	६ महिलाओं की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति का अनुमोदन किया गया और ३ का नहीं। दो महिलाओं के मामले में आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनमें से एक को आयोग ने सीधी भर्ती द्वारा उस पद के लिये पहले ही संस्तुत कर दिया था और दूसरी की स्थानापन्न नियुक्ति को एक वर्ष पूरे नहीं हुये थे । चार महिलाओं का अवक्रमण ठीक समझा गया, लेकिन एक का नहीं और उसे स्थानापन्न नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया ।
६६	पुलिस के उप-अधीक्षक	१	अनुमोदित ।
६७	जेलर	१२	आयोग ने परामर्श दिया कि स्थानापन्न पदोन्नति के लिये १५ मई, १९५६ को शासकीय

१	२	३	४
			आज्ञा के अनुसार सम्पूर्ण पात्रता क्षेत्र में से श्रेष्ठता के आधार पर एक नया चुनाव किया जाना चाहिये और जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, आयोग उप-जेलरों की जेलर के पदों पर स्थानापन्न पदोन्नति से सहमत न हो सकेंगे।
६८	तहसीलदार	८	सात दीर्घावधि स्थानापन्न रिक्तियों के लिये तथा एक वर्ष तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये अनुमोदित किये गये।
६९	पंचायत निरीक्षक	७	अनुमोदित।
७०	कृषि महाविद्यालय, कानपुर में कृषि अर्थशास्त्र तथा आस्थान (एस्टेट) प्रबन्ध में सहायक प्राध्यापक	१	अनुमोदित।
७१	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के वैयक्तिक सहायक	१	अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि शासन ने आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तरकालीन प्रबन्ध को २ वर्ष से अधिक समय तक चलते रहने दिया था और नियमित चुनाव किस प्रकार किया जाय, इसके सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किया था।
७२	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में भ्रूणविज्ञान (एम्ब्रियोलाजी) में व्याख्याता	१	६ मास तक के लिये या जब तक कि स्थायी पदधारी लौट न आये, जो भी पहले हो, तब तक के लिये अनुमोदित।
७३	प्रधानाचार्य, राजकीय प्रौद्योगिक संस्था, झांसी	१	अनुमोदित।
७४	उपनिवेशन विभाग (ग्रूप १) में ज्येष्ठ कृषि निरीक्षक	३	३० मई, १९५६ को १५ उपाधिकारियों का साक्षात्कार करके तथा शेष ४ उपाधिकारियों के मामलों पर, जो साक्षात्कार
७५	उपनिवेशन विभाग में कृषि निरीक्षक (ग्रूप दो)	१६	

१	२	३	४
			में नहीं आये थे, उनकी अनु-परिस्थिति में विचार करके आयोग ने ग्रुप एक के १ अभ्यर्थी को तथा ग्रुप दो के १५ अभ्यर्थियों को स्थानापन्न नियुक्ति को अनुमोदित किया। आयोग ने एक उपाधिकारी को ग्रुप एक में तथा एक को ग्रुप दो में कार्योत्तर अस्थायी नियुक्ति को भी अनुमोदित किया। शेष उपाधिकारियों के बारे में अग्रेतर सूचना मांगी गई।
७६	पी० एस० एस० II	१	कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।
७७	सिंचाई विभाग में ओवरसियर	७	अनुमोदित।
७८	जिला जेलों के पूर्णकालिक अधीक्षक	४	अनुमोदित।
७९	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में ज्येष्ठ वास्तुकार (आर्कीटेक्ट)	१	अनुमोदित।
८०	पी० एस० एस० I	८	अनुमोदित।
८१	सहायक यान्त्रिक अभियन्ता, सिंचाई विभाग	६	अनुमोदित।
८२	जिला नियोजन अधिकारी	१	आयोग इस बात से सहमत हुये कि यह प्रतिनियायन द्वारा नियुक्ति का मामला था।
८३	उप-परियोजना अधिशासी अधिकारी	४	आयोग इस बात से सहमत हुये कि ३ के मामले प्रतिनियायन के थे, किन्तु एक का मामला नहीं और परामर्श दिया कि एक पद विज्ञापित किया जाय।
८४	उप-परियोजना अधिशासी अधिकारी	६	चूंकि ६ जिला रसद अधिकारी/नगर राशनिंग अधिकारी, जो इन पदों पर कार्य करते

१	२	३	४
			आ रहे थे, पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों की सूची में नहीं आते थे, इसलिये आयोग ने परामर्श दिया कि इन पदों को पदोन्नति के सिवाय किसी अन्य प्रकार से भरा जाय। किन्तु यदि उनको जिला रसद अधिकारियों में से ही भरना है, तो अन्य सभी के मामलों पर भी विचार करना होगा।
८५	ट्रेनिंग–कम–एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में पद	१	आयोग इस बात से सहमत हुये कि यह प्रतिनिधायन द्वारा नियुक्ति का मामला है।
८६	अधीनस्थ कृषि सेवा	३	अनुमोदित।
८७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान)	२	अनुमोदित।
८८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	३०	अनुमोदित।
८९	राजकीय पॉलीटेक्निक, चरखारी हमीरपुर में अधीक्षक और सिलाई मास्टर	२	अनुमोदित।
९०	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा क्लास दो में पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कक्षा के प्रधानाचार्य	१	अनुमोदित।
९१	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के लिये सर्विस मैनेजर	२	अनुमोदित।
९२	कनिष्ठ वास्तुकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	अनुमोदित।
९३	ज्येष्ठ वास्तुकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	अनुमोदित।

१	२	३	४
९४	सहायक वास्तुकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	अनुमोदित।
९५	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की कम्युनिटी प्रोजेक्ट स्कीम के अन्तर्गत ट्रेड टेस्टर स्मिथी	१	अनुमोदित।
९६	पी० एम० एस० II	१	एक वर्ष के लिये अनुमोदित।
९७	पी० एम० एस० II	३	६ मास के लिये अनुमोदित।
९८	सिंचाई विभाग में ओवरसियर	११	अनुमोदित।
९९	नियोजन विभाग में सांख्यिक	१	अनुमोदित।
१००	कोषाधिकारी	३	अनुमोदित।
	योग ...	५६१	

परिशिष्ट ६-अ

नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५७ तक निबटाये नहीं गये थे

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	पी० एम० एस० II (पुरुष शाखा)	२०	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
२	पी० एम० एस० II (महिला शाखा)	१३	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
३	स्थानीय स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्ता	२९	कुछ पूछ-पाछ की गई और जो चरित्रावलियां नहीं आई थीं, उनको मंगाया गया।
४	जिला गव्यशाला (डेरी) प्रदर्शन प्रक्षेत्र तथा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में गव्य व्यवसाय तथा प्रक्षेत्र प्रबन्ध में फार्म मैनेजर-कम-लेक्चरर	१	शासन से अनुरोध किया गया कि वे पद के लिये नियमित चुनाव करने में शीघ्रता करें तथा स्थानापन्न पदधारी के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ सूचना भेजें। शासन ने एक आलेख्य विज्ञापन तथा मांगी हुई सूचना भेजा, जिन पर विचार किया जाता रहा।
५	सहायक यान्त्रिक अभियन्ता, सिंचाई विभाग	३	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
६	अनुसन्धान सहायक (तेल संग्रह तथा तेल बीज)	१	ए० एच० बी० टी० आई०, कानपुर के लिये नियमित चुनाव के लिए आवेदन-पत्रों को आमन्त्रित करते हुये एक विज्ञापन निकाला गया, किन्तु अस्थायी नियुक्तियां के नियमितकरण का मामला निबटाने को रह गया।
७	प्रौद्योगिक सहायक (तेल उपविभाग)	१	

१	२	३	४
८	ग्लास ब्लोवर	१	
९	प्रयोगशाला तथा कर्मशाला पर्यवेक्षक	१	
१०	प्रोद्योगिक सहायक (अभियन्त्रण)	१	
११	जिला रसद अधिकारी तथा एरिया राशनिंग अधिकारी	४	कुछ चरित्रावलियां मांगी गईं ।
१२	सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग	४४	कुछ चरित्रावलियां मांगी गईं ।
१३	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में मटेरिया मेडिका के सहायक अध्यापक	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त ।
१४	पी० एस० एम० एस०	१	कुछ सूचना मांगी गई ।
१५	आर्थिक बोध निरीक्षक	७	कुछ सूचना मांगी गई ।
१६	ज्येष्ठ आर्थिक बोध निरीक्षक	२१	कुछ सूचना मांगी गई ।
१७	सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	१५	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त ।
१८	सहायक अभियन्ता, विद्युत् विभाग	१४	जो चरित्रावलियां मांगी गई थीं, प्राप्त नहीं हुई थीं ।
१९	दर्जी शिक्षक	१	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र निर्माण संस्था, कानपुर के लिये । नियमित चुनाव के लिये आवेदन-पत्रों को आमन्त्रित करते हुये विज्ञापन को निकाल देने के बाद अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के प्रश्न पर विचार करना प्रारम्भ किया गया ।
२०	ड्राई क्लीनिंग तथा स्पाटिंग इन्स्ट्रक्टर	१	
२१	रंगाई तथा छपाई शिक्षक	१	
२२	होजियरी शिक्षक	१	
२३	रासायनिक परीक्षक के द्वितीय तथा तृतीय सहायक	२	एक चरित्रावली की प्रतीक्षा थी ।
२४	सहायक कमान्डेन्ट इन्चार्ज फिजिकल कल्चर प्रान्तीय रक्षक दल (नियोजन विभाग)	...	अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि कितने अभ्यर्थियों पर विचार करना है । कुछ पूछ-तांछ की गई ।

१	२	३	४
२५	उप-संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (आयुर्वेद) के वैयक्तिक सहायक	१	कुछ सूचना तथा चरित्रावलियां मांगी गईं।
२६	सहायक ग्रुप अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
२७	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास एक, में शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी	१	तदेव
२८	आबकारी निरीक्षक	१	तदेव
२९	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा	८	तदेव
३०	सहायक रसायनज्ञ, जी० सी० टी० आई०, कानपुर	१	तदेव
३१	जी० सी० टी० आई, कानपुर में भौतिक विज्ञान एवं गणित में व्याख्याता	१	तदेव
३२	प्रथम रंगाई सहायक, जी० सी० टी० आई०, कानपुर	१	तदेव
३३	ओवरसियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग	३६	कुछ चरित्रावलियां मांगी गईं।
३४	पी० एम० एस० I	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
३५	आबकारी निरीक्षक	३	जो चरित्रावलियां मांगी गई थीं, वे वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई थीं।
३६	प्रधानाचार्य, बालकों के लिये राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
३७	उप-प्रधानाचार्य, बालकों के लिये राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
३८	प्राक्टर एवं छात्रावास अधीक्षक, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल	१	कुछ सूचना मांगी गई।
३९	कर्मशाला अधीक्षक, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल	१	तदेव

१	२	३	४
४०	कर्मशाला अधीक्षक, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर	१	कुछ सूचना मांगी गई।
४१	संराधन अधिकारी	१	कुछ सूचना तथा अवक्रमित अभ्यर्थियों की चरित्रावलियां, यदि कोई हों, मांगी गईं।
४२	सहायक श्रम आयुक्त एवं सचिव, कानपुर टेक्सटाइल मिल्स रेशन–लाइजेशन इन्क्वायरी कमेटी	१	ज्येष्ठ अधिकारियों, यदि कोई हों, के अवक्रमण का कारण पूछा गया।
४३	सहायक लेखा अधिकारी, सहायता तथा पुनर्वासन	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
४४	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापक	१	मार्च, १९५६ में मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा थी।
४५	गन्ना निरीक्षक	६	वांछित चरित्रावलियों की प्रतीक्षा थी।
४६	मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद में ज्येष्ठ अनुसंधान मनोवैज्ञानिक	२	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
४७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो, में राज्य प्रक्षेत्र, तराई के लिये कृषि अधिकारी	२	पत्र–व्यवहार होता रहा।
४८	अंशकालिक अनु–निबन्धक	१०	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
४९	यन्त्रीकृत राज्य प्रक्षेत्र, हस्तिनापुर (मेरठ) में प्रक्षेत्र प्रबन्धक (फार्म मैनेजर)	१	जो सूचना आयोग ने १८ अप्रैल, १९५६ को मांगी थी, वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई थी।
५०	सहकारिता के विषेषज्ञ के सीनियर एसोसियेट, नियोजन, अनुसंधान तथा कार्यवाही संस्था, उ० प्र०	१८	ज्येष्ठता सूची तथा पात्र अभ्यर्थियों की चरित्रावलियां, जिनको आयोग ने मांगा था, वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुईं।
५१	प्रसार अध्यापक तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के व्याख्याता	२७	सूचना तथा चरित्रावलियां, जो मांगी गई थीं, वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुईं।
५२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	१२६	सब वांछित चरित्रावलियां वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थीं।

१	२	३	४
५३	पी० एम० एस० (डब्लू) I आगरा के पागलखाने के महिला उप-विभाग को इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारी	१	आयोग ने एक महिला डाक्टर की ३१ दिसम्बर, १९५६ ई० तक की निरन्तर स्थानापन्न पदोन्नति का अनुमोदन किया था, (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ५७)। बाद में शासन ने आयोग से अनुरोध किया कि वे उस तिथि के बाद को उसकी निरन्तर नियुक्ति से सहमत हो जायं। वर्ष की समाप्ति तक इस निर्देश को निबटाया न जा सका।
५४	सहायक कृषि अभियन्ता	२	वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुआ।
५५	जिला गन्ना अधिकारी (राजपत्रित)	५	जून, १९५५ में कुछ सूचना तथा चरित्रावलियां मांगी गई थीं। कई अनुस्मारकों के भेजे जाने पर वांछित सूचना जनवरी, १९५७ में प्राप्त हुई लेकिन चरित्रावलियां नहीं आई थीं। इसलिये चरित्रावलियां फिर से मंगवानी पड़ीं।
५६	औद्यानिकोविज्ञ (हार्टीकल्चरिस्ट) फल अनुसंधान स्टेशन, सहारनपुर	५	दो पात्र उपाधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का विवादास्पद मामला आयोग के विचाराधीन रहा।
५७	प्रशासी अधिकारी, गंगा खादर उपनिवेशन योजना, जिला मेरठ	१	पत्र-व्यवहार होता रहा।
५८	भ्रूण विज्ञान में व्याख्याता, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
५९	चकबन्दी अधिकारी	३	वांछित चरित्रावलियां वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुई।
६०	भूमि संरक्षण तथा ऊसर भूमि की अवाप्ति (रिक्लेमेशन) की योजना में फार्म मैनेजर	४	...
६१	सहकारिता निक्षरीक	१५५	कुछ पूछताछ की गई।
६२	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रुप १, में ब्लड मोल अफसर	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।

१	२	३	४
६३	विद्यालय प्रति उप–निरीक्षक	६	चरित्रावलियां वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुईं ।
६४	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रूप १	१६	कुछ सूचना तथा चरित्रावलियां मांगी गई थीं ।
६५	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रूप २	२०	तदेव
६६	सिंचाई विभाग में फोरमैन	३	चरित्रावलियों की प्रतीक्षा थी ।
	योग ...	६६३	

परिशिष्ट ७

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	वैयक्तिक अधिकारी, कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर	१	अननुमोदित। आयोग ने सुझाव दिया कि उनका परामर्श लेकर पहले पद के लिये चुनाव करने का ढंग तयकर लिया जाय, तब नियमित ढंग से उसके लिये चुनाव किया जाय।
२	कल्याण अधीक्षक, श्रम विभाग	२	एक पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित किया गया। दूसरा नहीं अनुमोदित किया गया और यह सलाह दी गई कि जिस पद पर वह स्थानापन्न था, उसके लिये विज्ञापन निकाला जाय।
३	रोडवेज संगठन में ट्राफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट	१०	अनुमोदित।
४	अभिलेखपाल, शिक्षा विभाग	१	अनुमोदित।
५	उत्तर प्रदेश शासन के कीटशास्त्रज्ञ (एन्टोमोलोजिस्ट) तथा उ० प्र० कृषि सेवा के ज्येष्ठ वेतन-क्रम में वृक्ष रक्षा सेवा के अधिकारी इन्चार्ज	१	अनुमोदित।
६	सहायक श्रम आयुक्त (न्यूनतम मजदूरी), उत्तर प्रदेश	१	दो वर्ष के परीक्षण-काल पर नियुक्ति लिये अनुमोदित।
७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के उप-विभाग 'ग' में नगर कम्पोस्ट अधिकारी	१	अननुमोदित। यह परामर्श दिया गया कि विज्ञापन आदि के बाद फिर से चुनाव किया जाय। इससे सहमत होकर शासन ने एक आलेख्य विज्ञापन भेजा।

१	२	३	४
८	डेवलपमेन्ट आफिसर (लेदर) ५००--१,२०० रु० के वेतन-क्रम में	१	अनुमोदित ।
९	संराधन अधिकारी	७	पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित नहीं किये जा सके, क्योंकि जिन पदों पर उनको स्थायी रूप से नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया था वे अस्थायी थे ।
१०	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा, क्लास दो, में सहायक मत्स्य विकास अधिकारी (स्टाकिंग)	१	अनुमोदित ।
११	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम)	७	६ अधिकारी अनुमोदित किये गये ; शेष १ अधिकारी की चरित्रावली में अद्यावधिक प्रविष्टियां नहीं थीं । अतः उसे लौटा दिया गया ताकि उसमें अद्यावधिक प्रविष्टियां कर दी जायं ।
१२	प्रधानाध्यापिका, महिला गृह विज्ञान एवं शिल्प महाविद्यालय, इलाहाबाद	१	अनुमोदित ।
१३	पी० एस० एम० एस०	१	असन्तोषजनक सेवा अभिलेख के कारण अनुमोदित नहीं किये गये ।
१४	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	दो वर्ष के परीक्षण-काल पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित ।
१५	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के कार्यालय में रिटर्न असिस्टेंट	१	अनुमोदित ।
१६	सहायक अभिलेखपाल, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, उ० प्र०	१	दो वर्ष के परीक्षण-काल पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित ।
१७	विशेष कार्याधिकारी, विधान विभाग, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित ।
१८	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास दो में भेषजीय विशेषज्ञ	१	तदेव

१	२	३	४
१९	उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल में मुख्य ज्योतिषी	१	अनुमोदित।
२०	सहायक विकास आयुक्त	३	चूंकि अस्थायी पदों पर (जो बाद में स्थायी कर दिये गये थे) नियुक्तियां आयोग द्वारा नियमित चुनाव के फलस्वरूप नहीं की गई थीं, इसलिये आयोग अस्थायी पदधारियों में से स्थायी पदों के लिये चुनाव करने के लिये सहमत नहीं हुये और सुझाव दिया कि पहले उनके परामर्श से चुनाव करने का ढंग तय कर लिया जाय। तब शासन ने यह प्रस्ताव किया कि चुनाव आयोग के किसी सदस्य की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति विज्ञापन आदि के बाद करे। इस प्रस्ताव पर आयोग वर्ष की समाप्ति तक विचार करते रहे।
२१	उप-परियोजना अधिशासी अधिकारी	५	
२२	प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र	१	
२३	सहायक लेखा अधिकारी	१	
२४	उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, सचिवालय में हिन्दी प्रतिवेदक	२	आयोग ने पहले यह मत व्यक्त किया था कि दोनों पद एक ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा के फल पर भरे जायं, जिसमें स्थानापन्न पदधारी भी दूसरों के साथ भाग लें। इसी मत पर वे दृढ़ रहे।
२५	न्यायिक अधिकारी	७	जिन सात अधिकारियों के पुष्टिकरण के लिये उनकी उपयुक्तता पर आयोग ने गत वर्ष परामर्श दिया था उनके मामले पुनर्विचार के लिये फिर आयोग के पास भेजे गये। आयोग इस बात से सहमत हुये कि उनमें से ४ अधिकारियों का काम और देखा जाय। शेष तीनों के बारे में आयोग अपने पूर्व मत पर दृढ़ रहे कि उनको सेवा से अलग कर दिया जाय।
२६	सहायक रेडियो अधिकारी (टेक्निकल)	१	अनुमोदित।
२७	बिक्री-कर अधिकारी	११	जिन ११ अधिकारियों को आयोग ने पुष्टिकरण के लिये अनुपयुक्त ठहराया था, उनके मामले आयोग के पुन-

१	२	३	४
			विचारार्थ फिर भेजे गये। पुनर्विचार करके आयोग इस बात से सहमत हुये कि एक अधिकारी पुष्ट किया जाय और ८ अधिकारियों के कामों की जांच एक वर्ष तक और की जाय। शेष २ अधिकारी प्रतिधारण (रिटेन्शन) के लिये भी उपयुक्त नहीं पाये गये और शासन को परामर्श दिया गया कि उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायं।
२८	सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	६	आयोग ने १ अधिकारी को पुष्टिकरण के लिये तथा ५ की सेवाओं को समाप्त कर देने के लिये संस्तुत किया। सलाह मान ली गई।
२९	ब्वायलर्स के निरीक्षक	१	यह मामला पुनर्विचार के लिये प्राप्त हुआ था। आयोग अपने इस पूर्व मत पर कि यह विज्ञापित किया जाय, आरूढ़ रहे। सलाह मान ली गई।
३०	सहायक बिक्री-कर अधिकारी	१७	जिन सात उपाधिकारियों को आयोग ने पुष्टिकरण के योग्य नहीं समझा था, उनके मामले पुनर्विचारार्थ फिर भेजे गये। आयोग उनके पुष्टिकरण से सहमत नहीं हुये, किन्तु इस बात से सहमत हुये कि उनके तथा एक और अधिकारी के काम की देख-रेख दो वर्ष तक की जाय। ९ और अधिकारियों के बारे में उन्होंने परामर्श दिया कि उनके सेवा अभिलेख ऐसे हैं, जिनसे उनका प्रतिधारण (रिटेन्शन) उचित नहीं ठहरता।
३१	ज्येष्ठ अनुसंधाता	२	अननुमोदित।
३२	कृषि विभाग में लेखा अधिकारी	४	आयोग ने तीन उपाधिकारियों को अनुमोदित किया। चौथे उपाधिकारी के लिये कोई रिक्त स्थान नहीं था।

१	२	३	४
३३	सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय	१	जिस उपाधिकारी को मार्च, १९५७ में पुष्टिकृत करने के लिये शासन ने प्रस्ताव किया था, वह अप्रैल, १९५७ में मर गया। अतः एक आलेख्य विज्ञापन मांगा गया।
३४	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में शारीर (अनाटामी) में व्याख्याता	१	आयोग ने परामर्श दिया कि स्थायी पद को विज्ञापन तथा साक्षात्कार के पश्चात् भरा जाय और स्थानापन्न पदधारी अन्य अभ्यर्थियों के साथ अवसर का उपयोग करे। परामर्श नहीं माना गया।
३५	सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	एक वर्ष के परीक्षण-काल पर रखे जाने के लिये अनुमोदित।
३६	संराधन अधिकारी	१	अननुमोदित। परामर्श नहीं माना गया।
३७	विशेष प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय दस्तकारी (हैन्डीक्राफ्ट्स)	१	दो वर्ष के परीक्षण-काल पर रखे जाने के लिये अनुमोदित।
३८	उत्तर प्रदेश राजकीय दस्तकारी में अधीक्षक (स्टोर्स)	१	चूंकि कुछ सूचना तथा चरित्रावलियां मांगी गई थीं, इसलिये निबटाया नहीं गया।
३९	उत्तर प्रदेश राजकीय दस्तकारी में अधीक्षक (बिक्री तथा आढ़त)	१	तदेव
४०	सहायक प्रबन्धक (बिक्री), उत्तर प्रदेश राजकीय दस्तकारी	३	तदेव
४१	आर्थिक बोध निरीक्षक	१९	तदेव
४२	शासन के सहायक विद्युत् निरीक्षक	३	चूंकि कुछ सूचना मांगी गई थी, इसलिये निबटाया नहीं गया।
४३	परिवहन संगठन में लेखा अधिकारी	७	तदेव
४४	इन्स्पेक्टर आफ ब्वायलर्स, उत्तर प्रदेश	१	चूंकि कुछ चरित्रावलियां मांगी गई थीं, इसलिये निबटाया नहीं गया।

१	२	३	४
४५	प्रौद्योगिक सहायक	२	चूंकि वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ था, इसलिये निब-टाया नहीं गया।
४६	राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ में सहायक अभियन्ता	२	चूंकि वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ था, इसलिये निबटाया नहीं गया ।
४७	राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ में सहायक लेखा अधिकारी	१	तदेव
४८	फिश (मार्केटिंग) अफसर .	३	तदेव
४९	सूचना संचालकालय में प्रवर वर्ग सहायक	९	तदेव
५०	सूचना संचालकालय में लेखापाल	३	तदेव
५१	आशुलिपिक	१	तदेव
५२	उद्योग संचालकालय के स्टोर्स पर्चेज सेक्शन में परीक्षक	३	आयोग ने परामर्श दिया कि अस्थायी पदधारियों के पुष्टिकरण के मामले को उठाने के पूर्व पदों के लिये वांछित अर्हताओं को आयोग के परामर्श से तय कर लेना चाहिये।
५३	सहायक सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	चूंकि वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ था, इसलिये निबटाया नहीं गया।
५४	सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	तदेव
	योग ..	१६३	

परिशिष्ट ८

असाधारण चोट या पारिवारिक पेंशनों और/अथवा उपदानों के सम्बन्ध में सन् १९५६-५७ के अन्तर्गत निम्नांकित व्यक्तियों के दावे प्राप्त हुये :--

१--पी० ए० सी०, मुरादाबाद की द्वितीय बटालियन के स्वर्गीय कान्स्टेबिल पान सिंह का परिवार।

२--बदायूं जिले के स्वर्गीय कान्स्टेबिल मन्जूर हुसेन का परिवार।

३--आगरा जिला पुलिस के एक व्यक्ति स्वर्गीय श्री रघुनाथ की विधवा।

४--राजकीय माध्यमिक महाविद्यालय, मसूरी के फारसी अध्यापक स्वर्गीय श्री एम० मनाजिर अहमद का परिवार।

५--पी० ए० सी०, इलाहाबाद की चतुर्थ बटालियन के स्वर्गीय हेड कान्स्टेबिल श्री सुखपाल सिंह का परिवार।

६--पी० ए० सी०, इलाहाबाद की चतुर्थ बटालियन के स्वर्गीय कान्स्टेबिल श्री चन्द्र बली सिंह का परिवार।

७--पी० ए० सी०, कानपुर की चौदहवीं बटालियन के स्वर्गीय कान्स्टेबिल श्री सूरज नारायण का परिवार।

८--पी० ए० सी०, कानपुर के स्वर्गीय कान्स्टेबिल लौटन राम का परिवार।

९--पी० ए० सी०, बरेली की ८वीं बटालियन के कान्स्टेबिल शेर सिंह।

१०--बुलन्दशहर जिला के स्वर्गीय कान्स्टेबिल रणधीर सिंह का परिवार।

११--कानपुर जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल चन्द्रमा तिवारी का परिवार।

१२--इलाहाबाद जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल मुहम्मद इफ्तिखार खां का परिवार।

१३--पी० ए० सी०, लखनऊ की तृतीय बटालियन के प्लाटून कमान्डर स्वर्गीय श्री जोरे सिंह का परिवार।

१४--बदायूं जिला के स्वर्गीय कान्स्टेबिल हर नन्दन प्रसाद का परिवार।

१५--पी० ए० सी०, लखनऊ की तृतीय बटालियन के कान्स्टेबिल दुखी राम।

१६--तराई व भावर डिवीजन के फारेस्ट गार्ड स्वर्गीय श्री बिशन सिंह का परिवार।

१७--पी० ए० सी०, कानपुर की १४ वीं बटालियन के हेड कान्स्टेबिल मुहम्मद मुहसिन।

परिशिष्ट ६

निम्नलिखित वैध व्ययों के प्रत्यपर्ण के दावे सन् १९५६–५७ के अन्तर्गत प्राप्त हुये :--

१--श्री बी० पी० संगल, सेवा-निवृत्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक अदालत में अपनी पैरवी करने में किये हुये व्यय के प्रत्यर्पण का दावा ।

२--श्री अजहर अब्बास जैदी, पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, द्वारा उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धाराओं ३४३/३३० के अन्तर्गत दायर किये गये एक मुकदमे में सेशन अदालत में अपनी पैरवी करने में किये हुये वैध व्ययों के प्रत्यर्पण का दावा ।

३--श्री दौलत राम पांडे, सेवा-निवृत्त सदर कानूनगो द्वारा उनके विरुद्ध दायर किये गये फौजदारी के एक मुकदमे में अपनी पैरवी में किये हुये वैध व्ययों के प्रत्यर्पण का दावा ।

४--सर्वश्री शिव राज सिंह और नाथू सिंह, जिला बिजनौर के कान्स्टेबिलों, द्वारा इंडियन पीनल कोड की धारा ३०२ के अन्तर्गत उनके विरुद्ध दायर किये हुये एक मुकदमें में अपनी पैरवी करने में किये हुये वैध व्ययों के प्रत्यर्पण का दावा ।

५--श्री जे० एन० सेन गुप्त, सेवा-निवृत्त पुलिस इन्स्पेक्टर द्वारा उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धाराओं १२०/४११ के अन्तर्गत दायर किये गये एक मुकदमे में अपनी पैरवी करने में किये हुये वैध व्ययों के प्रत्यर्पण का दावा ।

परिशिष्ट १०

सेवाओं तथा पदों के लिये नियमावलियां ––

१––उत्तर प्रदेश कारागार अधिशासी (कारागारों के अधीक्षक) सेवा की आलेख्य नियमावली।

२––उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास १, नियमावली के विद्यमान नियम ४ में संशोधन।

३––स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग में अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा में ओवर-सियरों के लिये आलेख्य नियमावली।

४––उत्तर प्रदेश कारागार (उप प्रधान कारागार निरीक्षक) सेवा नियमावली के आलेख्य नियम ५(१) का संशोधन।

५––उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली।

६––सहायक सचिव, विधान सभा विभाग के पद के लिये चुनाव सम्बन्धी तदर्थ सिद्धांत।

७––सहायक निर्वाचन अधिकारी की सेवा (अब सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सेवा के नाम से विख्यात) नियमावली में संशोधन।

८––उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल नियमावली।

९––श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम निरीक्षक तथा गृह निरीक्षक के पदों के लिये चुनाव के हेतु शैक्षिक अर्हताओं का निश्चयन।

१०––उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा में भर्ती के लिये उस हालत में आयु-सीमा का निर्धारण, जब कि चुनाव के लिये दो वर्ष की वकालत की अनिवार्य अर्हता हटा दी जाय।

११––उत्तर प्रदेश मुख्य प्रोबेशन अधिकारी सेवा नियमावली, १९५३ के नियमों ८, ११, १२, १५, १६, १८ तथा २० में संशोधन।

१२––अधीनस्थ आर्थिक बोध सेवा नियमावली के नियमों ९ तथा १४(२) में संशोधन।

१३––अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (तहसीलदार) नियमावली, १९४४ के नियम १२ में संशोधन, ताकि २ वर्ष के परीक्षणकाल को घटाकर एक वर्ष कर दिया जाय।

१४––तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा पेशकारों की विभागीय परीक्षा के पाठ्य-क्रम में रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५० तथा रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५१ और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को शामिल करने का प्रस्ताव।

१५––अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (नायब तहसीलदार) नियमावली, १९४४ के नियम ५ में संशोधन।

१६––उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा, क्लास दो, सिंचाई (जल-विद्युत शाखा) नियमावली से संलग्न वर्कशापों और फार्मों की सूची में संशोधन।

१७––उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) सिंचाई विभाग नियमावली के परिशिष्ट १ का संशोधन।

१८––उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली, १९५२ के परिशिष्ट 'क' के नियम १३ में संशोधन।

१९—उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली, १९५२ के परिशिष्ट 'ख' में संशोधन।

२०—सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ताओं के ग्रेड में पदोन्नति सम्बन्धी नियमावली के नियम ७ में संशोधन।

२१—राजकीय केन्द्रीय पेडागाजिकल संस्था, इलाहाबाद में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा शिक्षा में डिमान्स्ट्रेटर के पद के लिये चुनाव के हेतु अर्हताओं का निर्धारण।

२२—ए० एन० झा ग्रामीण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुद्रपुर में फार्म असिस्टेन्ट के पद के लिये चुनाव के हेतु अर्हताओं का निर्धारण।

२३—राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के कर्मचारिवर्ग के संवर्ग का निश्चयन।

२४—उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में फिल्म उत्पादन संचालक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताओं का निश्चयन।

२५—सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों के लिये विभागीय परीक्षा की नियमावली में संशोधन।

२६—सचिवालय के प्रवर वर्ग में विभागीय अभ्यर्थियों के लिये ५० प्रतिशत रिक्तियों को सुरक्षित करने का प्रश्न।

२७—उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवर तथा अवर वर्ग सहायकों की परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों को बनाने का निश्चयन।

२८—सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अन्तर्गत सरकारी नौकरों के वेतन के कालिक वेतन-क्रमों (टाइम स्केल्स) में पंचवर्षीय दक्षता रोकों को लागू करना।

२९—सचिवालय में गोपन विभाग के सहायक सचिव तथा अधीक्षकों के पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी नियम।

३० अधीनस्थ कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली क नियम ७ में संशोधन।

३१—उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (अधिशासी शाखा) नियमावली, १९४१ के नियमों १० तथा १७ में संशोधन।

३२—उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, १९५२ के नियम १० में संशोधन।

३३—सिंचाई विभाग में सहायक (असैनिक) तथा सहायक (यान्त्रिक) अभियन्ता की विभागीय परीक्षा के लिये आलेख्य नियमावली।

३४—उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (न्यायिक शाखा) (सेवा की शर्तें) नियमावली, १९४२ के नियम १०(२) में संशोधन।

३५—सेवा नियमावलियों को शिथिल करने के उपबन्ध के लिये सामान्य नियम।

३६—विभाग के संगठनकर्त्ताओं में से मुख्य निषेध तथा समाजोत्थान संगठन के पदों को भरने की रीति तथा श्रोत।

३७—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के विनियम ९ (३) का पुनरीक्षण।

३८—यह प्रश्न कि राज्य शासन के अन्तर्गत सेवाओं तथा पदों के लिये चुनाव करने के हेतु टेरीटोरियल आर्मी और नेशनल कैडेट कोर को अधिमान्य अर्हता के रूप में माना जाय या नहीं।

३९—उस महिला अभ्यर्थी को, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले से ही पत्नी हो, शासन के अन्तर्गत सेवाओं या पदों पर नियुक्ति से प्रतिवारित करने के लिये एक सामान्य नियम को बनाना।

४०—विद्यमान मंडलीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी अधिकारियों और स्टेट फार्मेसी के सहायक प्रबन्धकों को राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयर्वेद) में विलीन करना।

४१--अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में बालिका विद्यालयों की उप-निरीक्षिका के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु सिद्धान्त ।

४२--सहायक बिक्री कर अधिकारी तथा मनोरंजन कर निरीक्षक की सम्मिलित परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम ।

४३--श्रम संगठन में सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया ।

४४--उत्तर प्रदेश सचिवालय के सूचना विभाग में प्रवर वर्ग सहायक, निर्देश लिपिक तथा अवर वर्ग सहायक के पदों के लिये चुनाव के श्रोत ।

४५--सहकारिता लेखा परिक्षा संगठन में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के ५१ पदों के लिये चुनाव के श्रोतों का निश्चयन ।

४६--मलेरिया निरीक्षक के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु न्यूनतम अर्हताओं का निश्चयन ।

४७--सहकारिता लेखा परीक्षा संगठन में लेखा परीक्षक के पदों के लिये सीधी भर्ती द्वारा चुनाव के हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम ।

४८--विधान सभा विभाग में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये तदर्थ सिद्धान्त ।

परिशिष्ट ११

महत्वपूर्ण विविध निदेश

१--स्थानीय स्वशासन (अभियन्त्रण) विभाग में उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा के लिये चुनाव के हेतु इंस्टीट्यूट आफ म्युनिसिपल (एंड काअन्टी) इंजीनियर्स, लन्दन के टेस्टमूर सर्टिफिकेट को सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियन्त्रण में डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान करना।

२--उद्योग विभाग में ललित कला एवं प्ररचना (डिजाइनिंग) में चित्रकला अध्यापक के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु विश्वभारती शान्ति निकेतन के ललित कला एवं प्ररचना में डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना।

३--आर्थिक बोध निरीक्षक के पद के चुनाव के लिये काशी विद्यापीठ की एम० ए० एस० डिग्री को मान्यता प्रदान करना।

४--स्थानीय स्वशासन (अभियन्त्रण) विभाग में सहायक अभियन्ता तथा ओवरसियर के पदों के चुनाव के हेतु कुछ डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं को मान्यता प्रदान करना।

५--हिन्दी में किसी अन्य अर्हकरी परीक्षा (क्वालीफाइंग टेस्ट) को पास करने की शर्त से मुक्त करने के लिये राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा प्रदत्त 'कोविद' सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न।

६--राज्य ट्रैक्टर संगठन तथा कृषि कर्मशाला, लखनऊ की अभियन्त्रण सेवाओं के लिये चुनाव करने के हेतु कुछ डिग्रियों और डिप्लोमाओं को मान्यता प्रदान करना।

७--श्री एस० नासिर हुसेन की अस्थायी डिप्टी कलेक्टर तथा प्रधानाचार्य, कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर के पद पर निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

८--अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, ग्रेड १ में पांच अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति।

९--श्री बाबू राम वर्मा, सेवा निवृत्त जिला तथा सेशन्स जज की जज (पुनरीक्षण), बिक्री कर, उत्तर प्रदेश के पद पर पुनर्नियुक्ति।

१०--श्री मुहम्मद सुलतान हसन खां, सेवा-निवृत्त डिप्टी कलेक्टर की क्षेत्रीय सहायक (प्रतिकर) आयुक्त के पद पर पुनर्नियुक्ति।

११--डा० एस० बी० सिंह की कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश के पद पर पुनर्नियुक्ति।

१२--डा० एम० एन० अग्रवाल की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में पुनर्नियुक्ति।

१३--डा० बंशीधर की स्थानापन्न सहायक श्रम आयुक्त के रूप में निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

१४--सर्वश्री राम चरन वर्मा तथा बृजनन्दन लाल की राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के मेम्बर जज के पदों पर निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

१५--श्री पी० बी० एल० श्रीवास्तव, सेवा-निवृत्त डिप्टी कलेक्टर की सुधार प्रन्यास नगर पालिका, लखनऊ के भूमि अवाप्ति अधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्ति।

१६--श्री सुखराज बहादुर की निष्क्रान्त स्वत्व संगठन (इवैक्वी इन्टरेस्ट आर्गेनाइजेशन) में मुंसरिम के पद पर पुनर्नियुक्ति।

१७--सर्वश्री भगवती प्रसाद तथा शिव नारायण सक्सेना, सेवा-निवृत्त तहसीलदार की सहायक निष्क्रान्त सम्पत्ति संरक्षक के पदों पर पुनर्नियुक्ति।

१८--श्री रघुराज बहादुर, सेवा-निवृत्त जिला जज की अतिरिक्त निष्क्रान्त सम्पत्ति संरक्षक, उत्तर प्रदेश के पद पर पुनर्नियुक्ति।

१९--श्री बी० पी० सक्सेना, उत्तर प्रदेश शासन के पब्लिक अनालिस्ट की प्रयोगशाला में कनिष्ठ वैश्लेषिक सहायक की अग्रेतर पुनर्नियुक्ति।

२०--श्री महाबीर प्रसाद निगम की आय-कर वसूली के लिये कानपुर में सृजित तहसीलदार के एक अस्थायी पद पर एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

२१--श्री दीन दयाल ककरानिया की सहायता तथा पुनर्वास संगठन में शिक्षा अधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्ति।

२२--डाक्टर ए० एस० दीक्षित, आई० एस० गुप्त, एस० एम० एच० जाफरी, बी० एल० पटने तथा बिशुन नारायण की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में पुनर्नियुक्ति।

२३--श्री राम करन सिंह, सेवा-निवृत्त स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर की मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में विशेष भूमि अधिकारी के अस्थायी पद पर निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

२४--श्री मुहम्मद इब्राहीम खां, सेवा-निवृत्त स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर की जौनपुर में डिप्टी कलक्टर तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पद पर पुनर्नियुक्ति।

२५--श्री अहसान मुहम्मद की अस्थायी डिप्टी कलेक्टर तथा प्रतिकर अधिकारी, मुरादाबाद के पद पर पुनर्नियुक्ति।

२६--श्री दीनानाथ चड्ढा की विद्युत् विभाग में अस्थायी लाइन इन्सपेक्टर के पद पर पुनर्नियुक्ति।

२७--श्री ए० एच० मोइनुद्दीन की उद्योग विभाग में परीक्षक (लेखा-परीक्षा तथा लेखा) के अस्थायी राजपत्रित पद पर पुनर्नियुक्ति।

२८--सर्वश्री दाता राम मिश्र, आफताब अहमद तथा राजा राम मेहरा, सेवा-निवृत्त जजों की बिक्री कर विभाग में जज (अपील) के पदों पर पुनर्नियुक्ति।

२९--डा० सी० बी० सिंह की प्रधानाचार्य एवं सर्जरी के प्राध्यापक, कानपुर चिकित्सा महाविद्यालय के पद पर पुनर्नियुक्ति।

३०--डा० ए० के० मित्रा की उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के ज्येष्ठ वेतन-क्रम में आर्थिक वनस्पति शास्त्रज्ञ (रबी, धान्य तथा आलू) के पद पर पुनर्नियुक्ति।

३१--यह प्रश्न कि प्रथम अपराधियों के लिये लोक सेवाओं का दरवाजा खोल देना वांछनीय है या नहीं।

३२--विकास तथा मार्केटिंग अधिकारी, तराई और भावर राजकीय आस्थान के पद को कुमायूं डिवीजन में पेशकारों के संवर्ग में शामिल करना।

३३--राज्य में औद्योगिक विकास की योजना के संबंध में सृजित पदों के लिये अभ्यर्थियों के चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया।

३४--विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों, उत्तर प्रदेश के लिये व्याख्याताओं के चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया।

३५--कानपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिये व्याख्याताओं, रीडरों तथा अन्य राजपत्रित कर्मचारिवर्ग के पदों के लिये अभ्यर्थियों के चुनाव का प्रस्ताव।

३६--राजकीय मुद्रणालय जांच समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नावली।

३७--डा० सी० के० त्यागी को सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में व्याधि विद्या (पैथोलाजी) के रीडर के पद पर कार्य करते हुये, व्याधि विद्या के अतिरिक्त प्राध्यापक का वैयक्तिक नामोद्देश प्रदान करना।

३८--श्री पी० एन० खन्ना, भूतपूर्व सदस्य, अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रूप दो, को निर्धारित आयु-सीमा से छूट देना।

३९--डाक्टर के० एन० सक्सेना द्वारा पी० एम० एस०-१ में की गई अस्थायी सेवा को सिविल सर्जन के पद के लिये पात्र होने के हेतु आवश्यक सम्पूर्ण सेवा की अवधि में गिनना।

४०--१९ डाक्टरों को नियमित चुनाव होने तक पी० एम० एस० २ में अस्थायी नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा से मुक्त करना।

४१--श्री शिव दत्त काले को राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयुर्वेद) में नियुक्ति के लिये निर्धारित टेक्निकल अर्हता से मुक्ति प्रदान करना।

४२--श्री शम्भू दयाल की कृषि विभाग में विशेष कार्याधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्ति।

४३--डा० एस० अम्मर हुसेन, स्टेट अस्पताल, श्रीनगर (जम्मू और काश्मीर) में आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष को पी० एम० एस० १ में अस्थायी नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा से मुक्ति प्रदान करना।

४४--श्रीमती यू० ला० फ्रेनेस, मैट्रन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ की २७ मई, १९५६ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

४५--डा० बी० एस० गुप्त तथा डा० आत्मा राम, अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के सेवा-निवृत अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति।

४६--यह प्रश्न कि डाक्टर आर० एस० माथुर ने २८ अक्तूबर, १९५३ से १३ अक्टूबर, १९५४ तक प्लांट पैथोलाजिस्ट के पद पर जो सेवा की है, उसे परीक्षणकाल की अवधि की गणना में शामिल किया जाय या नहीं।

४७--श्री पी० एल० शर्मा, सेवा-निवृत्त सहायक महालेखापाल, उत्तर प्रदेश की सहायता तथा पुनर्वास, उत्तर प्रदेश के आयुक्त के वित्तीय परामर्शदाता के पद पर ३० सितम्बर, १९५७ ई० तक निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

४८--श्री गजाधर लाल की प्रादेशिक मार्केटिंग अधिकारी, कानपुर के पद पर ३० सितम्बर, १९५६ ई० तक निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

४९--श्री के० एस० गोयल, सेवा-निवृत्त शासकीय अनुसचिव, वित्त विभाग की उसी विभाग में विशेष कार्याधिकारी के पद पर २२ नवम्बर, १९५६ से तीन मास के लिये पुनर्नियुक्ति।

५०- डाक्टर अम्बिका प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी इन्चार्ज नर्सरीज द्वारा की गई अस्थायी सेवा को उनके परीक्षण-काल की अवधि में गिनने का प्रस्ताव।

५१--पांच डिसचार्ज्ड पंचायत निरीक्षकों की अस्थायी नियुक्तियों की समाप्ति के विरुद्ध उनके प्रतिनिवेदन।

५२--डाक्टर सी० बी० सिंह, सर्जरी के प्राध्यापक, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा की ३० अप्रैल, १९५६ ई० तक की अग्रेतर अवधि के लिये निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

५३--श्री बी० एन० वर्मा, उत्तर प्रदेश सचिवालय के सेवा-निवृत्त निर्देश लिपिक की ३० सितम्बर, १९५६ ई० तक के लिये निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

५४--सर्वश्री आर० के० बाजपेयी, पी० सी० कपूर तथा बी० एन० श्रीवास्तव, आई० ए० आर० आई० में स्नातकोत्तर कोर्स पूरा कर लेने के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रूप दो में फिर से कार्यभार ग्रहण करने पर उसमें उनकी ज्येष्ठता का निश्चयन।

५५--श्री जे० पी० मिश्र, सेवा-निवृत्त तहसीलदार की बिक्री अधिकारी, मुख्यालय, निष्क्रान्त सम्पत्ति के पद पर ३१ मार्च, १९५७ ई० तक के लिये पुर्नानियुक्ति।

५६--श्री बी० एन० जुत्सी, सेवा-निवृत्त जिला तथा सेशन्स जज की स्पेशल जज, लखनऊ के पद पर पुर्नानियुक्ति की अवधि को ३१ मार्च, १९५७ ई० तक बढ़ाना।

५७--सचिवालय के अस्थायी सहायकों तथा आशुलिपिकों का स्थायी पदों में विलीनीकरण।

५८--अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रूप दो में श्री एस० एम० दीवान जी की ज्येष्ठता के निश्चयन का प्रश्न।

५९--श्री ग्यान सिंह, पशु-चिकित्सा सहायक सर्जन की २८ मई १९५६ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुर्नानियुक्ति।

६०--अधीनस्थ सहकारिता सेवा के दो उपाधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निश्चयन।

६१--भारत सरकार द्वारा आई० ए० एस० के लिये विशेष चुनाव कर लेने के फल-स्वरूप उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (अधिशासी शाखा) में सम्भावित रिक्तियों को भरने के लिये आपात चुनाव करने की रीति तथा श्रोत।

६२--डाक्टर जे० पी० वर्मा, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के एक अधिकारी की जुलाई, १९५७ ई० तक के लिये पुर्नानियुक्ति।

६३--श्रम सेवा, क्लास दो में होने वाली रिक्तियों में से २५ प्रतिशत को अधीनस्थ श्रम सेवा के अभ्यर्थियों में से एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा कड़ा चुनाव करके पदोन्नति द्वारा भरने के लिये सुरक्षित रखना।

६४--पदोन्नति द्वारा तथा सीधी भर्ती द्वारा चुने हुये ट्राफिक सुपरिन्टेन्डेन्टों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निश्चयन।

६५--डाक्टर बी० ए० अग्निहोत्री की कारागार उद्योगों के अस्थायी संचालक के पद पर १ अप्रैल, १९५६ से ६ मास की और अवधि के लिये निरन्तर पुर्नानियुक्ति।

६६--इन्डियन इन्स्टीटचूट आफ टेक्नोलॉजी, खरगपुर द्वारा प्रदत्त सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर आफ टेक्नोलॉजी की डिग्रियों को सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता तथा सहायक (यान्त्रिक) अभियन्ता के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु मान्यता प्रदान करना।

६७--इन्डियन इन्स्टीटचूट आफ टेक्नोलॉजी, खरगपुर द्वारा प्राप्त डिग्रियों को उद्योग विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठ अभियन्त्रण तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिये चुनाव करने के हेतु मान्यता प्रदान करना।

६८--श्री हशमत अली खां, विलीनीकृत रामपुर राज्य के एक भूतपूर्व अधिकारी का उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (अधिशासी शाखा) में पुष्टिकरण।

६९--सूचना संचालकालय में आशुलिपिक के तीन पदों के लिये चुनाव करने की रीति।